



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2020-21



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



## हिमाचल प्रदेश सरकार



**विनियोग लेखे**

**2020-21**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**



विनियोग लेखे  
2020- 21  
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xv)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(xvii-xix)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	.. 1-4
2. राज्यपाल और मंत्री-परिषद	.. 5-8
3. न्याय प्रशासन	.. 9-15
4. सामान्य प्रशासन	.. 16-27
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	.. 28-40
6. आबकारी और कराधान	.. 41-44
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	.. 45-57
8. शिक्षा	.. 58-71
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	.. 72-95
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	.. 96-113
11. कृषि	.. 114-126
12. उद्यान	.. 127-135
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	.. 136-167
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	.. 168-176
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	.. 177-187
16. वन और वन्य जीवन	.. 188-201
17. निर्वाचन	.. 202-203
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	.. 204-213
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	.. 214-238
20. ग्रामीण विकास	.. 239-249
21. सहकारिता	.. 250-253
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	.. 254-259
23. विद्युत विकास	.. 260-263
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	.. 264-266
25. सड़क और जल परिवहन	.. 267-271
26. पर्यटन और नागर विमानन	.. 272-275
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	.. 276-282
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	.. 283-290
29. वित्त	.. 291-304
30. विविध सामान्य सेवाएं	.. 305-314
31. जनजातीय विकास	.. 315-400
32. अनुसूचित जाति उप-योजना	.. 401-459
परिशिष्ट	
वर्ष 2020-21 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के अंकड़ों का अनुदानवार विवरण	.. 460



## भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

### इन लेखाओं में:-

‘मूल’ का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

‘पूरक’ का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

‘पुनर्वि०’ का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

### प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

## बचत

### दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

### प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

## आधिक्य

### दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

### प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।





---

# विनियोग लेखाओं का सारांश

---

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान / विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
<b>1-</b>	<b>विधान सभा-</b>		
	दत्तमत	41,94,18	3,10,00
	प्रभारित	1,06,94	..
<b>2-</b>	<b>राज्यपाल और मंत्री-परिषद-</b>		
	दत्तमत	16,73,49	..
	प्रभारित	8,30,96	..
<b>3-</b>	<b>न्याय प्रशासन-</b>		
	दत्तमत	2,04,82,68	8,27,97
	प्रभारित	53,74,91	..
<b>4-</b>	<b>सामान्य प्रशासन-</b>		
	दत्तमत	2,48,78,29	8,56,01
	प्रभारित	13,58,23	..
<b>5-</b>	<b>भू-राजस्व और जिला प्रशासन-</b>		
	दत्तमत	13,63,10,88	12,48,77
	प्रभारित	..	..
<b>6-</b>	<b>आबकारी और कराधान-</b>		
	दत्तमत	1,01,74,43	8,00,01
	प्रभारित	..	..
<b>7-</b>	<b>पुलिस और सम्बद्ध संगठन-</b>		
	दत्तमत	15,49,20,22	73,43,16
	प्रभारित	9,42	..
<b>8-</b>	<b>शिक्षा-</b>		
	दत्तमत	70,68,13,97	1,30,46,48
	प्रभारित	72,58	..
<b>9-</b>	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-</b>		
	दत्तमत	24,06,99,56	2,63,55,21
	प्रभारित	40,00	..
<b>10-</b>	<b>लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-</b>		
	दत्तमत	37,52,85,29	14,34,02,72
	प्रभारित	27,86	17,77,47

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
37,89,09	1,77,29	4,05,09	1,32,71	..	..
89,60	..	17,34	..	..	..
13,77,48	..	2,96,01	..	..	..
7,24,95	..	1,06,01	..	..	..
1,60,26,45	5,15,01	44,56,23	3,12,96	..	..
46,42,39	..	7,32,52	..	..	..
2,13,20,65	12,45	35,57,64	8,43,56	..	..
12,73,56	..	84,67	..	..	..
12,46,67,52	12,48,77	1,16,43,36	..	..	..
..	..	..	..	..	..
84,21,56	5,99,72	17,52,87	2,00,29	..	..
..	..	..	..	..	..
12,43,75,45	43,05,50	3,05,44,77	30,37,66	..	..
9,42	..	..	..	..	..
57,06,04,75	1,30,44,47	13,62,09,22	2,01	..	..
72,58	..	..	..	..	..
19,17,35,18	2,54,74,75	4,89,64,38	8,80,46	..	..
40,00	..	..	..	..	..
27,89,83,00	14,96,13,13	9,63,02,29	..	..	62,10,41
					(62,10,40,558)
18,23	12,45,20	9,63	5,32,27	..	..

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
	1	2
(₹ हजार में)		
<b>11- कृषि-</b>		
दत्तमत	4,48,46,85	86,00,95
प्रभारित	5,30	..
<b>12- उद्यान-</b>		
दत्तमत	4,93,46,10	16,85,13
प्रभारित	..	..
<b>13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>		
दत्तमत	27,74,82,36	9,51,47,66
प्रभारित	8,51	2,95,10
<b>14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-</b>		
दत्तमत	4,30,99,84	19,19,08
प्रभारित	..	..
<b>15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना-</b>		
दत्तमत	77,01,42	4,44,54,00
प्रभारित	..	..
<b>16- वन और वन्य जीवन-</b>		
दत्तमत	8,09,81,64	20,73,00
प्रभारित	1,07	..
<b>17- निर्वाचन-</b>		
दत्तमत	43,78,75	6,00,00
प्रभारित	..	..
<b>18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-</b>		
दत्तमत	2,31,29,60	23,63,73
प्रभारित	..	..
<b>19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-</b>		
दत्तमत	12,72,46,16	12,03,05
प्रभारित	..	..
<b>20- ग्रामीण विकास-</b>		
दत्तमत	14,09,76,58	11,87,01
प्रभारित	34	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
3,69,49,26	76,49,30	78,97,59	9,51,65	..	..
..	..	5,30	..	..	..
4,78,11,67	13,85,42	15,34,43	2,99,71	..	..
..	..	..	..	..	..
26,44,74,43	9,21,64,37	1,30,07,93	29,83,29	..	..
16,90	1,15,47	..	1,79,63	8,39	..
				(8,39,000)	
3,52,15,36	17,73,46	78,84,48	1,45,62	..	..
..	..	..	..	..	..
55,11,64	2,26,47,07	21,89,78	2,18,06,93	..	..
..	..	..	..	..	..
6,39,30,48	17,18,26	1,70,51,16	3,54,74	..	..
..	..	1,07	..	..	..
37,80,13	6,00,00	5,98,62	..	..	..
..	..	..	..	..	..
1,91,66,95	14,54,44	39,62,65	9,09,29	..	..
..	..	..	..	..	..
12,07,72,01	7,08,80	64,74,15	4,94,25	..	..
..	..	..	..	..	..
12,46,29,78	11,86,00	1,63,46,80	1,01	..	..
34	..	..	..	..	..

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
<b>21-</b>	<b>सहकारिता-</b>		
	दत्तमत	38,95,47	58,56,97
	प्रभारित	13,04	..
<b>22-</b>	<b>खाद्य और नागरिक आपूर्ति-</b>		
	दत्तमत	3,05,67,35	13,97
	प्रभारित	..	..
<b>23-</b>	<b>विद्युत विकास-</b>		
	दत्तमत	5,39,12,53	3,07,30,02
	प्रभारित	..	..
<b>24-</b>	<b>मुद्रण और लेखन सामग्री-</b>		
	दत्तमत	30,51,83	41,58
	प्रभारित	..	..
<b>25-</b>	<b>सड़क और जल परिवहन-</b>		
	दत्तमत	5,74,67,80	1,48,50,66
	प्रभारित	8,52	..
<b>26-</b>	<b>पर्यटन और नागर विमानन-</b>		
	दत्तमत	1,53,48,68	9,58,71,00
	प्रभारित	..	..
<b>27-</b>	<b>श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-</b>		
	दत्तमत	3,73,52,35	85,93,01
	प्रभारित	..	..
<b>28-</b>	<b>शहरी विकास,नगर और ग्राम योजना तथा आवास-</b>		
	दत्तमत	7,34,11,28	1,80,03,26
	प्रभारित	10,00,00	..
<b>29-</b>	<b>वित्त-</b>		
	दत्तमत	73,82,44,93	17,77,51
	प्रभारित	49,31,92,55	1,13,96,14,14
<b>30-</b>	<b>विविध सामान्य सेवाएं-</b>		
	दत्तमत	1,01,50,70	38,36,07
	प्रभारित	2,27,25	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
36,25,24	58,55,97	2,70,23	1,00	..	..
..	..	13,04	..	..	..
2,75,69,97	13,85	29,97,38	12	..	..
..	..	..	..	..	..
5,35,11,63	3,04,03,74	4,00,90	3,26,28	..	..
..	..	..	..	..	..
27,60,48	41,58	2,91,35	..	..	..
..	..	..	..	..	..
5,62,89,09	1,54,61,72	11,78,71	..	..	6,11,06
					(6,11,05,979)
8,52	..	..	..	..	..
1,31,59,83	34,02,70	21,88,85	9,24,68,30	..	..
..	..	..	..	..	..
2,57,13,54	79,10,51	1,16,38,81	6,82,50	..	..
..	..	..	..	..	..
7,54,50,55	68,97,25	..	1,11,06,01	20,39,27	..
				(20,39,26,716)	
..	..	10,00,00	..	..	..
61,79,79,01	10,03,69	12,02,65,92	7,73,82	..	..
44,72,48,71	1,11,41,04,06	4,59,43,84	2,55,10,08	..	..
93,43,57	36,80,64	8,07,13	1,55,43	..	..
2,27,25	..	..	..	..	..

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
(₹ हजार में)		
<b>31- जनजातीय विकास-</b>		
दत्तमत	15,04,70,94	4,41,29,17
प्रभारित	..	2,46
<b>32- अनुसूचित जाति उप योजना</b>		
दत्तमत	14,53,71,93	14,47,02,01
प्रभारित	..	..
<b>जोड़</b>		
दत्तमत	3,79,38,68,08	72,18,29,17
प्रभारित	50,22,77,48	1,14,16,89,17
<b>सकल जोड़</b>	<b>4,29,61,45,56</b>	<b>1,86,35,18,34</b>



लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
10,89,01,55	3,65,85,63	4,15,69,39	75,43,54	..	..
..	2,47	..	..	..	0
					(453)
11,89,02,80	12,97,27,37	2,64,69,13	1,49,74,64	..	..
..	..	..	..	..	..
3,17,67,50,10	56,72,62,85	61,91,57,25	16,13,87,79	20,39,27	68,21,47
				(20,39,26,716)	(68,21,46,537)
45,43,72,45	1,11,54,67,20	4,79,13,42	2,62,21,98	8,39	0
				(8,39,000)	(453)
3,63,11,22,55	1,68,27,30,05	66,70,70,67	18,76,09,77	20,47,66	68,21,47
				(20,47,65,716)	(68,21,46,990)

**विनियोग लेखे**  
**विनियोग लेखाओं का सारांश**  
(क्रमशः)

**वर्ष 2020-21 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया।**

**निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-**

**राजस्व प्रवर्ग**

28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

**पूंजीगत प्रवर्ग**

10- लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन

25- सड़क एवं जल संसाधन

**निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-**

**राजस्व प्रवर्ग**

13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

**पूंजीगत प्रवर्ग**

31- जन जातीय विकास-

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में यह वसूलियां (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या-460) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदान संख्या (अनुदान संख्या- 11 तथा 13) के अन्तर्गत ₹ 36,98,000 का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ। बिना बजट प्रावधान का व्यय वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

मार्च 2021 में ₹ 4,53,70,14,000 का बजट प्रावधान पांच अनुदानों (अनुदान संख्या- 08, 14, 29, 30 तथा 31) में पुनर्विनियोजन द्वारा किया गया। जबकि निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने 148 नये उप-शीर्ष (राजस्व प्रवर्ग में 111 तथा पूंजीगत प्रवर्ग में 37) महालेखाकार की पूर्व सलाह के बिना खोल दिये जैसा की भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है।

**टिप्पणी:-** ₹ 2,27.65 करोड़ की राशि को वाञ्छर तथा अन्य दस्तावेजों को व्यय के प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (ले0व ह0) की पुस्तकों में “उचंत” के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार उक्त राशि को वर्ष 2020-21 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विनियोग लेखों में वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया है।

**विनियोग लेखे  
विनियोग लेखाओं का सारांश  
(समाप्त)**

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	<u>प्रभारित</u>		<u>दत्तमत</u>	
	<u>राजस्व</u>	<u>पूंजीगत</u>	<u>राजस्व</u>	<u>पूंजीगत</u>
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	45,43,72,45	1,11,54,67,20	3,17,67,50,10	56,72,62,85
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	..	..	27,76,29,76	56,93,14
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है ।	45,43,72,45	1,11,54,67,20	2,89,91,20,34	56,15,69,71

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 460 पर दिये गये हैं।



## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जांच भी सम्मिलित है।



मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

### **मामले का महत्व**

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इन लेखाओं की परिशुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण बनाये रखने के लिए आवश्यक है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तीन दत्तमत्त अनुदानों और दो विनियोजनों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹ 88.69 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 8,729.78 करोड़ का अधिक व्यय नवम्बर, 2021 तक राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित था। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य विधान सभा द्वारा नियमों के अन्तर्गत विधेयक के द्वारा पारित राशि से अधिक धन की समेकित निधि से निकासी नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियन्त्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 28 जून 2022

स्थान: नई दिल्ली





**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1-विधान सभा**

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय ( ₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	41,22,94			
		41,94,18	37,89,09	(-)4,05,09
पूरक	71,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,06,94			
		1,06,94	89,60	(-)17,34
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,08
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,05,00			
		3,10,00	1,77,29	(-)1,32,71
पूरक	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,05.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 71.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 37,89.09 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 42.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 17.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6.08 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)**

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,32.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 5.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-</b>			
02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-			
101- विधान सभा-			
01- हिमाचल प्रदेश विधान सभा/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष- <b>गैर योजना</b>			
मूल	40.00	40.00	(-)11.80

₹ 11.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य-  
**गैर योजना**

मूल	17,63.69		
		15,48.66	14,94.81
पुनर्वि०	(-)2,15.03		(-)53.85

₹ 53.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,15.03 लाख की कमी वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में कटौती के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति और क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के वार्षिक सदस्यता प्रभारों में हुई वृद्धि से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 53.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 103- विधानमंडल सचिवालय-  
01- विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारी-  
**गैर योजना**

मूल	18,23.51		
		18,88.69	15,72.42
पुनर्वि०	65.18		(-)3,16.27

₹ 3,16.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.18 लाख का आवर्धन वर्दी के लिए कर्मचारियों की अधिक पात्रता, वाह्य स्रोत सेवाओं, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, मरम्मत और नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय, और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की व बजट सत्र में जलपान बिल की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)**

₹ 3,16.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-</b>			
02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-			
101- विधान सभा-			
05- विधायकों की ऐच्छिक निधि पर व्यय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	4,32.00		
पूरक	71.24	5,53.10	5,29.96
पुनर्वि०	49.86		(-)23.14

₹ 23.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.86 लाख का आवर्धन विधानसभा सदस्यों के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि के कारण अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,29.96 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 42.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 23.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2216- आवास-**

07- अन्य आवास-			
053- मरम्मत एवं रखरखाव-			
01- अन्य रखरखाव व्यय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	50.90		
		1,50.90	1,50.87
पुनर्वि०	1,00.00		(-)0.03

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन माननीय सदस्यों के आवासों के मरम्मत एवं रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-</b>			
02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-			
101- विधान सभा-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1 (समाप्त)**

01-	हिमाचल प्रदेश विधान सभा/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-			
	<b>गैर योजना</b>			
	मूल	1,06.94		
			1,00.86	89,60
				(-)11.26
	पुनर्वि०	(-)6.08		

₹ 11.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vii) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>7610- सरकारी कर्मचारी इत्यादि को ऋण-</b>			
201- भवन निर्माण अग्रिम-			
04- माननीय विधायकों को गृह निर्माण अग्रिम/ऋण-			
<b>गैर योजना</b>			
(i) मूल	2,00.00	2,00.00	1,20.87
			(-)79.13
06- पूर्व विधायकों को आवास ऋण-			
<b>गैर योजना</b>			
(ii) मूल	20.00	20.00	15.00
			(-)5.00
202- मोटर वाहनों को क्रय करने के लिए अग्रिम-			
05- विधानसभा सदस्यों को मोटर कारें खरीदने हेतु अग्रिम-			
<b>गैर योजना</b>			
(iii) मूल	75.00	75.00	41.42
			(-)33.58

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,17.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- पूर्व विधायकों को वाहन खरीदने के लिए ऋण-

**गैर योजना**

मूल	10.00			
		15.00	..	(-)15.00
पूरक	5.00			

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,73,49	16,73,49	13,77,48	(-)2,96,01
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,50
प्रभारित				
मूल	7,97,91	8,30,96	7,24,95	(-)1,06,01
पूरक	33.05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,96.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3.50 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 13,77.48 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 55.38 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,06.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2021 में प्राप्त ₹ 33.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

## राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

## 2013- मंत्री परिषद-

101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-

6  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-  
गैर योजना

मूल	12,36.11			
		11,22.61	8,29.15	(-)2,93.46
पुनर्वि०	(-)1,13.50			

₹ 2,93.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.50 लाख की कमी लॉकडाउन के कारण विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन न होने और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 2,93.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
-------	---------------	-----------------------------------	---------------------

**2013- मंत्री परिषद-**

105- मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-  
01- स्थानीय विकास के लिए-  
गैर योजना

मूल	2,90.00			
		4,00.00	3,99.90	(-)0.10
पुनर्वि०	1,10.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.10.00 लाख का आवर्धन माननीय मंत्री की संख्या में वृद्धि और विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,99.90 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 55.38 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------

**2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-**

03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-  
090- सचिवालय-  
01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-  
गैर योजना

(i) मूल	4,35.14			
		4,65.14	4,22.07	(-)43.07
पूरक	30.00			

7  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

103- पारिवारिक स्थापना-

01- राज्यपाल की पारिवारिक स्थापना-  
गैर योजना

(ii) मूल	2,89.50			
		2,86.85	2,27.23	(-)59.62
पुनर्वि०	(-)2.65			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,02.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

107- संविदा भत्ते से व्यय-

01- राज्यपाल के संविदा भत्ते-  
गैर योजना

मूल	8.80			
		6.50	6.50	..
पुनर्वि०	(-)2.30			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2.30 लाख की कमी राज्यपाल के कार्यालय एवं आवास की साज-सज्जा पर कम व्यय के कारण हुई।

108- यात्रा व्यय -

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय -  
गैर योजना

मूल	10.00			
		6.60	6.60	..
पुनर्वि०	(-)3.40			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.40 लाख की कमी यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मत-  
गैर योजना

मूल	1.10			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.10			

मार्च 2021 में ₹ 1.10 लाख का समस्त विनियोजन मरम्मत कार्यों का निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
		(₹ लाखों में)	

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

8  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या - 2 (समाप्त)

104- आतिथ्य भत्ता-

01- राज्यपाल के आतिथ्य भत्ते-  
**गैर योजना**

मूल 2.00

9.40

9.40

..

पुनर्वि० 7.40

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 7.40 लाख का आवर्धन माननीय राज्यपाल के शासकीय अतिथियों के मनोरंजन पर होने वाले दैनिक व्यय को पूरा करने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-  
**गैर योजना**

मूल 3.50

पूरक 0.55

7.40

7.40

..

पुनर्वि० 3.35

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.35 लाख का आवर्धन केन्द्रीय तापन एवं विद्युत आदि पर व्यय के कारण हुआ।



## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,04,82,49			
		2,04,82,68	1,60,26,45	(-)44,56,23
पूरक	19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				31,98,08
<b>प्रभारित</b>				
मूल	53,74,91			
		53,74,91	46,42,39	(-)7,32,52
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,99,96
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,05,00			
		8,27,97	5,15,01	(-)3,12,96
पूरक	1,22,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 44,56.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 31,98.08 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 7,32.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,99.96 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,12.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 1,22.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

- (iv) राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से मुख्य शीर्ष 4059-01-051-25 से ₹ 5,15.01 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,00.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

## 2014- न्याय प्रशासन-

105- सिविल और सेशन न्यायालय-

01- नागरिक तथा सत्र न्यायालयों की स्थापना-

## गैर योजना

मूल 1,57,79.18

1,22,08.46

1,18,79.86

(-)3,28.60

पुनर्वि० (-)35,70.72

₹ 3,28.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35,70.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कोविड-19 के कारण राज्य सरकार द्वारा मंहगाई भत्तों पर रोक और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अधीनस्थ न्यायालयों में कलोज सर्किट टेलीविजन केमरों की स्थापना पर अधिक व्यय कम्प्यूटर हाडवेयर की खरीद, नए वाहनों, किराए के बिलों की अधिक प्राप्ति और दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,28.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

108- दण्ड न्यायालय-

01- गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि-

## गैर योजना

मूल 90.00

20.00

19.81

(-)0.19

पुनर्वि० (-)70.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसल)-

01- महाधिवक्ता-

## गैर योजना

मूल 12,29.93

11,28.43

10,32.53

(-)95.90

पुनर्वि० (-)1,01.50

₹ 95.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और दूरभाष, पानी तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल,

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

स्नेहक तथा मरम्मत पर हुए अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 95.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- अन्य विधि अधिकारी-

## गैर योजना

मूल	23,47.83			
		23,96.09	18,74.66	(-)5,21.43
पुनर्वि०	48.26			

₹ 5,21.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.26 लाख का आवर्धन पेशेवर और विशेष सेवाओं को किराए पर लेने बाह्य स्रोत सेवाओं के भुगतान, उच्च तनाव लाइनों के स्थानान्तरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक आयोजन के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दूरभाष, पानी व विद्युत बिलों पर कम व्यय और दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 5,21.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- राज्य न्यायायिक अकादमी पर व्यय-

## गैर योजना

मूल	3,25.90			
		2,57.90	2,01.04	(-)56.86
पुनर्वि०	(-)68.00			

₹ 56.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.00 लाख की कमी दूरभाष, पानी व बिजली के बिलों पर कम व्यय, कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं और सम्मेलनों के स्थगित होने, रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 56.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

38- उच्च न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय भवनों का रखरखाव-

## योजना

मूल	74.00	74.00	35.30	(-)38.70
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 38.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

57- लोकायुक्त कार्यालय का रखरखाव-

## गैर योजना

मूल	1.45	1.45	..	(-)1.45
-----	------	------	----	---------

₹ 1.45 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

**2216- आवासीय-**

05- साधारण पूल आवास-

053- मुरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 38.65

78.65

28.78

(-)49.87

पुनर्वि० 40.00

₹ 49.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन न्यायपालिका के आवासीय भवनों के रखरखाव पर व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 49.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**2014- न्याय प्रशासन-**

102- उच्च न्यायालय-

05- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज-II)-

**गैर योजना**

मूल 0.01

2,06.87

51.55

(-)1,55.32

पुनर्वि० 2,06.86

₹ 1,55.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,06.86 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा प्रदान निधि को ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट-II को निधि जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,55.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

105- सिविल और सत्र न्यायालय-

07- फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(i) पूरक 0.11

58.97

58.86

(-)0.11

पुनर्वि० 58.86

**योजना**

(ii) पूरक 0.03

5.85

5.56

(-)0.29

पुनर्वि० 5.82

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.68 लाख का आवर्धन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में काम शुरू करने से वेतन पर भुगतान के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

02- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण-

## गैर योजना

मूल	4,70.81			
पूरक	0.01	4,94.24	4,89.93	(-)4.31
पुनर्वि०	23.42			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.42 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरों की नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, बाह्य स्रोत सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

04- पीडित क्षतिपूर्ति स्कीम-

## गैर योजना

मूल	50.00			
		2,15.00	2,14.40	(-)0.60
पुनर्वि०	1,65.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.00 लाख का आवर्धन पीडितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

38- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों का रखरखाव-

## गैर योजना

मूल	42.39			
		58.61	66.73	+8.12
पुनर्वि०	16.22			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.22 लाख का आवर्धन न्यायपालिका के कार्यालय भवनों के रखरखाव/मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

86- हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायायिक अकादमी

भवनों का रखरखाव-

## गैर योजना

मूल	1.45			
		11.45	11.45	..
पुनर्वि०	10.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन न्यायिक अकादमी के शासकीय भवन के रखरखाव कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

105- विशेष जाँच आयोग-

14  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

04- हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग-  
गैर योजना

मूल	27.97			
पूरक	0.04	64.82	52.18	(-)12.64
पुनर्वि०	36.81			

₹ 12.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.81 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने, विद्युत, दूरभाष, पानी के बिलों, फर्नीचर की खरीद, बाह्य स्रोतों और प्रकाशनों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 12.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

**2014- न्याय प्रशासन-**

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-  
गैर योजना

मूल	49,54.52			
		47,26.56	44,37.99	(-)2,88.57
पुनर्वि०	(-)2,27.96			

₹ 2,88.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 2,27.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बाह्य स्रोत वाहनों, यात्रा पर और बैठकों के कम आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,88.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2062- जागरूकता-**

103- लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-

01- लोकायुक्त-  
गैर योजना

मूल	4,20.39			
		2,48.39	2,04.40	(-)43.99
पुनर्वि०	(-)1,72.00			

₹ 43.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,72.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय और दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 43.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3-(समाप्त)**

**पूजीगत प्रवर्ग**

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4059- लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-</b>			
01- कार्यालय भवन -			
051- निर्माण-			
15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>			
मूल	2.00		
पूरक	1,22.97	3,69.31	(-)2,54.57
पुनर्वि०	2,44.34		

₹ 2,54.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,44.34 लाख का आवर्धन प्रमुख कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 5,50.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 2,54.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	3,40.00			
		95.66	57.27	(-)38.39
पुनर्वि०	(-)2,44.34			

₹ 38.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,44.34 लाख की कमी प्रमुख कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 38.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

36- वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र-

**गैर योजना**

मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 4- सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454- जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य और पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,44,15,10			
		2,48,78,29	2,13,20,65	(-)35,57,64
पूरक	4,63,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				21,24,47
<b>प्रभारित</b>				
मूल	13,58,23			
		13,58,23	12,73,56	(-)84,67
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,56,00			
		8,56,01	12,45	(-)8,43,56
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7,77,56

## टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 35,57.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 4,63.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 21,24.47 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,13,20.65 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 16,00.87 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)**

- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 84.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,43.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,77.56 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-</b>			
090- सचिवालय-			
01- मुख्य सचिवालय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	78,07.45		
	50,20.05	48,88.60	(-)1,31.45
पुनर्वि०	(-)27,87.40		
<p>₹ 1,31.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,87.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, महंगाई भत्ते का भुगतान न होने, कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा और विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू न करने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की दरों में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 1,31.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।</p>			
02- राजस्व विभाग-			
<b>गैर योजना</b>			
(i) मूल	7,91.05		
	6,05.92	5,97.14	(-)8.78
पुनर्वि०	(-)1,85.13		
03- आबकारी और कराधान विभाग-			
<b>गैर योजना</b>			
(ii) मूल	1,44.46		
	1,04.46	93.76	(-)10.70
पुनर्वि०	(-)40.00		
04- गृह विभाग-			
<b>गैर योजना</b>			
(iii) मूल	4,28.19		
	3,28.60	3,10.22	(-)18.38
पुनर्वि०	(-)99.59		

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,24.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और महंगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

05- लोक निर्माण विभाग-

**गैर योजना**

मूल	7,22.89			
		5,22.65	4,75.04	(-)47.61
पुनर्वि०	(-)2,00.24			

₹ 47.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और महंगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 47.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- वित्त विभाग-

**गैर योजना**

(i) मूल	9,67.40			
		8,17.02	8,01.90	(-)15.12
पुनर्वि०	(-)1,50.38			

07- विधि विभाग-

**गैर योजना**

(ii) मूल	6,02.93			
		5,52.80	5,39.04	(-)13.76
पुनर्वि०	(-)50.13			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा महंगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

091- संलग्न कार्यालय-

01- आवासीय आयुक्त-

**गैर योजना**

मूल	2,89.49			
	0.01	1,47.55	1,43.65	(-)3.90
पुनर्वि०	(-)1,41.95			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनो की मरम्मत और दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

**2053- जिला प्रशासन-**

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस समारोहों पर व्यय-  
**गैर योजना**

(i) मूल	50.00	50.00	33.75	(-)16.25
---------	-------	-------	-------	----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)**

05- 50वें राज्यत्व दिवस का उत्सव-  
**गैर योजना**

(ii)	मूल	5,00.00	5,00.00	4,15.80	(-)84.20
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,00.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 4,15.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 50.98 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					

**2075- विविध सामान्य सेवाएं-**

800- अन्य व्यय-

14- अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं-  
**गैर योजना**

(i)	मूल	17,00.00			
			20,68.00	15,01.53	(-)5,66.47
	पूरक	3,68.00			

**2216- आवास-**

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

**गैर योजना**

(ii)	मूल	2,09.18	2,09.18	1,77.47	(-)31.71
उपरोक्त दो मामलों ₹ 5,98.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,77.47 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.53 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					

800- अन्य व्यय-

04- सम्पदा प्रबन्धन-

**गैर योजना**

(i)	मूल	86.44			
			65.25	57.33	(-)7.92
	पुनर्वि०	(-)21.19			

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

01- सैनिक कल्याण निदेशालय-

20  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

<b>गैर योजना</b>					
(ii)	मूल	92.68			
			64.93	57.65	(-)7.28
	पुनर्वि०	(-)27.75			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।					
05-	<b>हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण कोष- गैर योजना</b>				
	मूल	12,66.84			
			8,82.51	8,30.58	(-)51.93
	पुनर्वि०	(-)3,84.33			
₹ 51.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,84.33 लाख की कमी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों की संख्या में कमी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 51.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
06-	<b>हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड- गैर योजना</b>				
	मूल	4.49			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)4.49			
मार्च 2021 में ₹ 4.49 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का गठन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।					
08-	<b>स्वतंत्रता सेनानियों की कन्याओं/प्रपात्रियों के विवाह हेतु सहायता- गैर योजना</b>				
	मूल	13.00	13.00	7.14	(-)5.86
₹ 5.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-</b>					
090- सचिवालय-					
01- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-					
<b>गैर योजना</b>					
(i)	मूल	4,41.96			
			3,41.96	3,32.85	(-)9.11
	पुनर्वि०	(-)1,00.00			
02-	<b>स्थानीय स्व-शासन सरकार विभाग- गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	1,64.37			
			1,14.37	1,06.23	(-)8.14
	पुनर्वि०	(-)50.00			
03-	<b>शिक्षा विभाग-</b>				

21  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्य- 4 (क्रमशः)

<b>गैर योजना</b>				
(iii) मूल	4,00.21			
		3,10.21	3,00.32	(-)9.89
पुनर्वि०	(-)90.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

**3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-**

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-

**गैर योजना**

मूल	3,38.82	3,38.82	2,17.83	(-)1,20.99
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 1,20.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	3,95.00			
		1,71.70	96.58	(-)75.12
पुनर्वि०	(-)2,23.30			

₹ 75.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,23.30 लाख की कमी निधियों के कम उपयोग के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 96.58 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 56.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 75.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

200- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-

01- कार्यरत अभिकरणों को सहायता अनुदान-

**गैर योजना**

(i) मूल	66.25			
		44.25	44.25	..
पुनर्वि०	(-)22.00			

**योजना**

(ii) मूल	7,43.00			
		3,71.98	3,71.98	..
पुनर्वि०	(-)3,71.02			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,93.02 लाख की कमी कोविड-19 के कारण रिक्त पदों को न भरने और गतिविधियों के कम आयोजन के कारण हुई।

**3435- पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण-**

03- पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन भवन-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

103- अनुसंधान और पारिस्थितिक पुनोत्पादन भवन-

01- पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम-

## गैर योजना

मूल 9.00

4.05

4.05

..

पुनर्वि० (-)4.95

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.95 लाख की कमी कोविड-19 के कारण योजना के अंतर्गत कुछ गतिविधियों को लागू न करने के कारण हुई।

## 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- कृषि विभाग-

## गैर योजना

(i) मूल 3,32.90

2,42.70

2,32.74

(-)9.96

पुनर्वि० (-)90.20

02- उद्यान विभाग-

## गैर योजना

(ii) मूल 1,72.53

1,22.45

1,16.22

(-)6.23

पुनर्वि० (-)50.08

04- पशुपालन विभाग-

## गैर योजना

(iii) मूल 1,42.86

1,17.76

1,08.91

(-)8.85

पुनर्वि० (-)25.10

05- ग्रामीण एकीकरण विकास तथा पंचायती राज विभाग-

## गैर योजना

(iv) मूल 1,38.17

1,03.05

98.49

(-)4.56

पुनर्वि० (-)35.12

06- वन फार्म एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग-

## गैर योजना

(v) मूल 3,25.63

2,75.33

2,65.82

(-)9.51

पुनर्वि० (-)50.30

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और महंगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)**

07- उद्योग विभाग-  
**गैर योजना**

मूल	3,41.52			
		2,41.49	2,02.73	(-)38.76
पुनर्वि०	(-)1,00.03			

₹ 38.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और महंगाई भत्तों का भुगतान न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 38.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- परिवहन तथा पर्यटन विभाग-  
**गैर योजना**

(i) मूल	1,94.21			
		1,19.17	1,07.22	(-)11.95
पुनर्वि०	(-)75.04			

10- योजना विभाग-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	1,38.63			
		1,08.51	97.42	(-)11.09
पुनर्वि०	(-)30.12			

13- अन्य सचिवालय विभाग-  
**गैर योजना**

(iii) मूल	1,68.57			
		1,23.57	1,15.53	(-)8.04
पुनर्वि०	(-)45.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और महंगाई भत्ते का भुगतान न होने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख रखाव तथा मरम्मत-			
22- सैनिक कल्याण विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-			
<b>गैर योजना</b>			
(i) मूल	3.64		
		50.42	50.42
पुनर्वि०	46.78		..

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)**

27- सचिवालय भवनों के रखरखाव पर व्यय-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	26.98			
		7,07.90	7,07.90	..
पुनर्वि०	6,80.92			

28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली  
के भवनों के रख रखाव पर व्यय-  
**गैर योजना**

(iii) मूल	8.72			
		3,80.11	3,78.85	(-)1.26
पुनर्वि०	3,71.39			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,99.09 लाख का आवर्धन मरम्मत/रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-**

115- अतिथिगृह, सरकारी हॉस्टल इत्यादि-

01- आतिथ्य संगठन-

**गैर योजना**

मूल	1,05.97			
		1,59.11	1,48.54	(-)10.57
पुनर्वि०	53.14			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.14 लाख का आवर्धन माननीय प्रधानमन्त्री की यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- नई दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्धन-

**गैर योजना**

मूल	5,00.00			
		12,84.74	12,84.74	..
पुनर्वि०	7,84.74			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,84.74 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,84.74 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,36.37 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2075- विविध सामान्य सेवाएं -**

800- अन्य व्यय-

01- पूर्व शासकों के परिवार और आश्रितों को  
भत्तों की अदायगी-

**गैर योजना**

मूल	0.07			
		1.07	1.08	+0.01
पुनर्वि०	1.00			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन पूर्व शासकों के आश्रितों को भत्तों के भुगतान के कारण हुआ।

03- वीरता पुरस्कार-  
**गैर योजना**

मूल	2,50.00			
		5,00.00	5,00.00	..
पुनर्वि०	2,50.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख का आवर्धन वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिकी की लम्बित देयता की निकासी के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,00.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,57.53 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

04- मृत (शहीद) तथा अपंग हुए सैनिकों  
के परिवार को आर्थिक सहायता-  
**गैर योजना**

मूल	50.00			
		4,68.75	4,66.79	(-)1.96
पुनर्वि०	4,18.75			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,18.75 लाख का आवर्धन वित्तीय सहायता के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,66.79 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 60.01 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

10- 65 वर्ष की आयु से ऊपर के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन-  
**गैर योजना**

मूल	6,20.00			
पूरक	24.84	7,99.99	7,91.10	(-)8.89
पुनर्वि०	1,55.15			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.15 लाख का आवर्धन द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जा रही वित्तीय सहायता की दरों में वृद्धि के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,91.10 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,78.46 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

13- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संगठनों को सहायता-  
**गैर योजना**

मूल	6.00			
पूरक	50.69	77.54	77.44	(-)0.10
पुनर्वि०	20.85			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.85 लाख का आवर्धन भर्ती रैली के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 77.44 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-**

01- जनगणना-

800- अन्य व्यय-

02- जनगणन 2021

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक 19.64

6,25.96

6,25.96

..

पुनर्वि० 6,06.32

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,06.32 लाख का आवर्धन जनगणना 2021 के लिए भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 6,25.96 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2051- लोक सेवा आयोग-</b>			
102- राज्य लोक सेवा आयोग-			
01- राज्य लोक सेवा आयोग- गैर योजना			
मूल 13,58.23			
	13,58.22	12,73.56	(-)84.66
पुनर्वि० (-)0.01			

₹ 84.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## पूजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4059- लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-</b>			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 4 (समाप्त)**

60- अन्य व्यय-				
051- निर्माण-				
05- दिल्ली में राज्य अतिथि गृह निर्माण- <b>योजना</b>				
मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00

₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सरकारी रिहायशी भवन-				
106- सरकारी पूल आवास-				
19- सरकारी पूल आवासीय भवनों का निर्माण- <b>योजना</b>				
मूल	7,90.00			
		..	..	..
पुनर्वि0	(-)7,90.00			

मार्च 2021 में ₹ 7,90.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य का निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
02- सामाजिक कल्याण-			
800- अन्य व्यय-			
03- युद्ध स्मृति स्मारक संग्रहालय धर्मशाला- <b>गैर योजना</b>			
पूरक	0.01		
		12.45	12.45
पुनर्वि0	12.44		..

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.44 लाख का आवर्धन हमीरपुर के निकट युद्ध स्मारक दुकान के निर्माण एवं विद्युत स्थापना के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन**

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भूमि सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	13,63,10,83			
		13,63,10,88	12,46,67,52	(-)1,16,43,36
पूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				14,63,99
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,85,00			
		12,48,77	12,48,77	..
पूरक	1,63,77			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,16,43.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में ₹ 14,63.99 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,46,67.52 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,63,99.08 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,48.77 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7,20.26 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2029- भू-राजस्व-</b>			
102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-			
02- वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन- गैर योजना			
मूल	7,51.41		
		7,51.31	6,12.02
पूनर्वि०	(-)0.10		(-)1,39.29
₹ 1,39.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
03- बन्दोबस्त अधिकारी शिमला स्थापना- गैर योजना			
मूल	28,59.74		
		21,80.41	16,37.76
पूनर्वि०	(-)6,79.33		(-)5,42.65
₹ 5,42.65 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,79.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि लम्बित बिलों की अधिक निकासी और वकील शुल्क पर अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 5,42.65 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
04- बन्दोबस्त अधिकारी कांगड़ा स्थापना- गैर योजना			
मूल	25,08.72		
		17,02.08	14,99.45
पूनर्वि०	(-)8,06.64		(-)2,02.63
₹ 2,02.63 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,06.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दूरभाष, पानी और विद्युत बिलों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 2,02.63 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
103- भू-अभिलेख-			
01- अधीक्षण- गैर योजना			
मूल	2,77.48		
		1,77.26	1,58.38
पूनर्वि०	(-)1,00.22		(-)18.88

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना प्रभार-  
**गैर योजना**

मूल 1,42,50.24

1,28,24.03

1,00,25.11

(-)27,98.92

पुनर्वि० (-)14,26.21

₹ 27,98.92 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,26.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि मानदेय में वृद्धि और दैनिक मजदूरी की दरों में हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,00,25.11 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 34.61 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 27,98.92 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू अभिलेख अभिकरणों  
का सुदृढीकरण मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**गैर योजना**

मूल 3,45.25

3,38.56

3,13.09

(-)25.47

पुनर्वि० (-)6.69

₹ 25.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू अभिलेख अभिकरणों  
का सुदृढीकरण मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-  
**गैर योजना**

मूल 23,29.13

20,01.06

16,52.19

(-)3,48.87

पुनर्वि० (-)3,28.07

₹ 3,48.87 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,28.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 16,52.19 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 13.07 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 3,48.87 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2053- जिला प्रशासन-**

093- जिला स्थापनाएं-

01- सामान्य स्थापना-

**गैर योजना**

मूल 1,79,13.40

1,77,15.13

1,37,40.39

(-)39,74.74

पुनर्वि० (-)1,98.27

₹ 39,74.74 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,98.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि लम्बित विद्युत बिलों के अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,37,40.39 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.12 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 39,74.74 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- वक्फ न्याय प्राधिकरण पर व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल 41.03

43.03

27.91

(-)15.12

पुनर्वि० 2.00

094- अन्य स्थापनाएं-

01- उप मण्डल स्थापना-

**गैर योजना**

(ii) मूल 22,82.38

22,83.17

17,52.38

(-)5,30.79

पुनर्वि० 0.79

04- भू-अर्जन कर्मचारी वर्ग-

**गैर योजना**

(iii) मूल 1,61.03

1,61.03

1,08.10

(-)52.93

05- जिलाधीश कार्यालय की स्थापना पर व्यय (राहत एवं पुर्नवास)-

**गैर योजना**

(iv) मूल 1,06.04

1,07.20

58.52

(-)48.68

पुनर्वि० 1.16

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 6,47.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 27.91 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.02 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

800- अन्य व्यय-

04- शिमला में सड़क उपयोगकर्ता  
एवं पैदल यात्री सुविधा कोष-  
गैर योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2235- समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

01- पुर्नवास-

202- अन्य पुर्नवास योजनाएं-

01- विस्थापित व्यक्तियों का विकास-  
गैर योजना

मूल	1,27.29			
		84.29	71.25	(-)13.04
पुनर्वि०	(-)43.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई।

**2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-**

02- बाढ़, चक्रवात आदि-

104- चारा आपूर्ति-

01- चारे की आपूर्ति पर व्यय-  
गैर योजना

मूल	1,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान जिलों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

106- क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना -

01- सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर व्यय-  
गैर योजना

मूल	1,10,00.00			
		98,45.16	97,45.16	(-)1,00.00
पुनर्वि०	(-)11,54.84			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,54.84 लाख की कमी सड़क और पुलों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 97,45.16 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 70,70.25 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

109-	क्षतिग्रस्त, जलापूर्ति, जल निकासी और मल निकासी कार्यों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना-			
01-	पेयजल तथा मल निकासी योजनाओं को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय- <b>गैर योजना</b>			
	मूल	52,00.00		
			40,00.00	40,00.00
	पुनर्वि०	(-)12,00.00		..

मार्च 2021 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख की कमी क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 40,00.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 35,96.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

111-	शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-			
01-	अनुग्रह पूर्वक अनुदान- <b>गैर योजना</b>			
	मूल	75,00.00		
			33,00.00	31,75.00
	पुनर्वि०	(-)42,00.00		(-)1,25.00

₹ 1,25.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42,00.00 लाख की कमी राज्य विशिष्ट आपदा के लिए मुख्य शीर्ष 2245-02-111 के अंतर्गत नया उप-शीर्ष-02 खोलने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 31,75.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 28,34.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

113-	घरों की मरम्मत/पुनःस्थापना हेतु अनुदान-			
01-	घरों की मरम्मत/ निर्माण पर व्यय-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	25,00.00			
		17,00.00	16,00.00	(-)1,00.00
पुनर्वि०	(-)8,00.00			

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,00.00 लाख की कमी प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत पीड़ित परिवारों को आवासीय सहायता की मरम्मत/निर्माण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 16,00.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 12,70.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

193- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/  
संस्थाओं को अनुदान-

01- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/  
संस्थाओं को सहायता-

**गैर योजना**

मूल	80,00.00			
		46,70.00	45,20.00	(-)1,50.00
पुनर्वि०	(-)33,30.00			

₹ 1,50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33,30.00 लाख की कमी जिलों से माँगों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 45,20.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 38,96.30 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2506- भूमि सुधार-**

102- चकबन्दी-

01- मुख्यालय स्थापना-

**गैर योजना**

(i) मूल	4,08.20			
पूरक	0.01	3,34.15	1,39.59	(-)1,94.56
पुनर्वि०	(-)74.06			

02- जिला स्थापना-

**गैर योजना**

(ii) मूल	3,55.78			
		2,89.78	1,21.07	(-)1,68.71
पुनर्वि०	(-)66.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,63.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,40.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,63.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-</b>			
01- स्टाम्प न्याययिक-			
102- स्टाम्प बिक्री पर व्यय-			
01- स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय- गैर योजना			
मूल	1.00		
		16.00	9.17
पुनर्वि०	15.00		(-)6.83
₹ 6.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन स्टॉम्प पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 6.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
02- स्टाम्प न्याययिकेत्तर-			
101- स्टाम्पों की लागत-			
01- केन्द्रीय भण्डार नासिक- गैर योजना			
मूल	2,26.89		
		13,26.89	11,68.52
पुनर्वि०	11,00.00		(-)1,58.37
₹ 1,58.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,00.00 लाख का आवर्धन सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस के लम्बित बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 1,58.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
102- स्टाम्प की बिक्री पर व्यय-			
01- स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री- गैर योजना			
मूल	1.00		
		1,01.00	1,46.51
पुनर्वि०	1,00.00		+45.51

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

₹ 45.51 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन स्टॉम्प पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 45.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- नोटरीयत टिकटों की बिक्री-  
**गैर योजना**

(i)	मूल	1.00			
			13.00	12.30	(-)0.70
	पुनर्वि०	12.00			

03- राजस्व टिकटों की बिक्री-  
**गैर योजना**

(ii)	मूल	1.00			
			6.00	5.46	(-)0.54
	पुनर्वि०	5.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.00 लाख का आवर्धन स्टाम्प पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव और मरम्मत-

02- रखरखाव व्यय-

**गैर योजना**

	मूल	66.91			
			81.38	81.27	(-)0.11
	पुनर्वि०	14.47			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.47 लाख का आवर्धन राजस्व विभाग के कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2216- आवास-**

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

**गैर योजना**

	मूल	9.08			
			37.41	37.41	..
	पुनर्वि०	28.33			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.33 लाख का आवर्धन मरम्मत/रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 37.41 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.89 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-**

02- बाढ़ चक्रवात आदि-

101- अनुग्राहिक राहत-

01- कैश डोल-

**गैर योजना**

मूल 30,00.00

60,00.00

59,62.00

(-)38.00

पुनर्वि० 30,00.00

₹ 38.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30,00.00 लाख का आवर्धन कोविड-19 से सम्बन्धित वस्तुओं पर व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 59,62.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 35,24.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 38.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

02- राज्य विशेष आपदा के कारण मृत्यु-

**गैर योजना**

पूरक 0.01

40,50.00

38,75.00

(-)1,75.00

पुनर्वि० 40,49.99

₹ 1,75.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40,49.99 लाख का आवर्धन लेखाकन समायोजन और स्पष्ट लंबित देनदारियों के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 38,75.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 21,89.97 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,75.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

101- रिजर्व फंड एवं जमा लेखा के लिए स्थानांतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

02- राष्ट्रीय आपदा-आकस्मिक निधि-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**गैर योजना**

मूल 0.01

2,90.47

2,90.47

..

पुनर्वि० 2,90.46

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.46 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

80- सामान्य-

102- आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आकस्मिक योजनाएं-

01- आपदा उन्मुख क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**गैर योजना**

(i)	पूरक	0.01			
			26.34	26.34	..
	पुनर्वि०	26.33			
(ii)	मूल	45,00.00			
			61,94.84	61,94.84	..
	पुनर्वि०	16,94.84			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,21.17 लाख का आवर्धन लम्बित देनदारियों को चुकाने के लिए अतिरिक्त माँग की प्राप्ति, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए रूपरेखा और संकटग्रस्त जिलों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सुदृढ़ बनाने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार के क्रम संख्या (i) पर ₹ 33.34 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 61,94.84 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

05- क्षमता निर्माण-

**गैर योजना**

	मूल	25,00.00			
			45,40.00	45,40.00	..
	पुनर्वि०	20,40.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,40.00 लाख का आवर्धन लम्बित देनदारियों को चुकाने के लिए अतिरिक्त माँग की प्राप्ति होने के कारण हुआ। राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 45,40.00 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

103- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता-

01- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**गैर योजना**

	मूल	0.01			
			2,90.47	2,90.47	..
	पुनर्वि०	2,90.46			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.46 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 2,90.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

111- कृषि व्यवस्था तथा सांख्यिकी-

04- कृषि गणना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल	1.00			
		74.82	65.53	(-)9.29
पुनर्वि०	73.82			

₹ 9.29 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.82 लाख का आवर्धन कृषि जनगणना क्षेत्र कार्य के लिए मानदेय के भुगतान पर अधिक वयय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.29 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

पूरक	1.00			
पूरक	0.01	2,83.58	28.34	(-)2,55.24
पुनर्वि०	2,82.57			

₹ 2,55.24 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,82.57 लाख का आवर्धन छठी लघु सिंचाई जनगणना एवं जल निकायों की प्रथम गणना को शुरू करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,55.24 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-**

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

110- राज विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्करण-

02- आपदा प्रबन्धन कोष्ठ-

**गैर योजना**

मूल	66.81			
		82.17	75.39	(-)6.78
पुनर्वि०	15.36			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.36 लाख का आवर्धन भूमि के वन मंजूरी अधिनियम मामले के प्रसंस्करण और मौसम रेडियो डिटेक्शन और रेजिंग उपकरणों की स्थापना के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 5 (समाप्त)

### (v) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/2/2011 के भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जोकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार से निधि में क्रमशः 90:10 की औसत से अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसलिए यह फण्ड राज्य सरकार के सामान्य स्त्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। पदेन अध्यक्ष होने के नाते इस फण्ड का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा मुख्य सचिव के साथ किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, समिति सिफारिश की गई राशि को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101-रिजर्व फण्ड निधि में स्थानांतरण और जमा खाता-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य रिजर्व निधि, 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और 8235-सामान्य और अन्य रिजर्व निधि, 125-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि(एनडीआरएफ)

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन निधि के रूप में ₹ 4,54,00.00 लाख प्राप्त हुए (भारत सरकार से ₹ 4,08,60.00 लाख तथा ₹ 45,40.00 लाख राज्य सरकार का भाग) और ₹ 2,90.47 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि से क्रमशः मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य रिजर्व निधियों, 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं 8235-सामान्य और अन्य रिजर्व फंड, 125- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को स्थानान्तरित किया गया। वर्ष के दौरान ₹ 4,50,02.47 लाख (₹ 4,47,12.00 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि तथा ₹ 2,90.47 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से) व्यय किये गये। मार्च 2021 के अन्त में निधि में ₹ 7,52,79.10 लाख शेष रहा (वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेखों में विवरणी क्रमांक 21 में विस्तार से देखें )



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान**

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में )	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	84,73,16			
		1,01,74,43	84,21,56	(-)17,52,87
पूरक	17,01,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				4,01,60
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,00,01			
		8,00,01	5,99,72	(-)2,00,29
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 17,52.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 17,01.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 4,01.60 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 84,21.56 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6,69.12 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,00.29 लाख की अंतिम बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-</b>			
101- संग्रहण प्रभार-			
01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी- गैर योजना			
मूल	2,33.43		
		6,23.78	
		5,05.11	(-)1,18.67
पूरक	3,90.35		
₹ 1,18.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार-</b>			
800- अन्य व्यय-			
01- राज्य वस्तुएं एवं सेवा कर- गैर योजना			
मूल	1,29.00		
		..	..
पुनर्वि०	(-)1,29.00		
मार्च 2021 में ₹ 1,29.00 लाख का समस्त प्रावधान माल और सेवा कर सूचकांक संख्या बिलों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			
<b>2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-</b>			
104- संग्रहण प्रभार यात्रियों तथा माल पर कर-			
01- मुख्यालय की स्थापना- गैर योजना			
मूल	7,53.43		
		7,38.43	
		6,22.66	(-)1,15.77
पुनर्वि०	(-)15.00		
₹ 1,15.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
02- जिला स्थापना- गैर योजना			
मूल	54,41.72		
पूरक	15.80	50,25.70	
		40,38.84	(-)9,86.86
पुनर्वि०	(-)4,31.82		

₹ 9,86.86 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,31.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि किराए तथा करों के अधिक भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसुन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)**

₹ 9,86.86 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -

110- अन्य बीमा योजनाएं-

02- छोटे व्यापारियों के लिए दुर्घटना समूह बीमा संरक्षण-

**गैर योजना**

मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2021 में ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-**

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-

**गैर योजना**

(i) मूल 4,63.33 4,63.33 4,03.29 (-)60.04

02- पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता-

**गैर योजना**

(ii) मूल 6,00.00 6,00.00 5,33.99 (-)66.01

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,26.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**2039- राज्य उत्पाद शुल्क-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 8,03.65

8,33.87

8,30.61

(-)3.26

पुनर्वि० 30.22

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.22 लाख का आवर्धन बकाया भुगतान के कारण हुआ।

**2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-**

101- संग्रहण प्रभार-

03- गोवंश रक्षा के लिए पशुपालन विभाग को सहायता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6 (समाप्त)**

**गैर योजना**

मूल	0.01			
पूरक	5,60.56	7,34.57	7,34.56	(-)0.01
पुनर्वि0	1,74.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.00 लाख का आवर्धन गौवंश को सहायता के लिए निधि उपलब्ध कराने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,34.56 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,34.56 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

09- आबकारी एवं कराधान-

**योजना**

मूल	3,00.00	3,00.00	99.72	(-)2,00.28
-----	---------	---------	-------	------------

₹ 2,00.28 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन**

(शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062- सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	15,49,20,08			
		15,49,20,22	12,43,75,45	(-)3,05,44,77
पूरक	14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				62,21,53
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		9,42	9,42	..
पूरक	9,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	62,64,08			
		73,43,16	43,05,50	(-)30,37,66
पूरक	10,79,08			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,05,44.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 62,21.53 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,43,75.45 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,17.03 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 30,37.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 10,79.08 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 43,05.50 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5,62.62 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2055- पुलिस-</b>			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	28,53.60		
		17,24.46	
		16,28.32	
पुनर्वि०	(-)11,29.14		(-)96.14
₹ 96.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,29.14 लाख की कमी दूरभाष, पानी और विद्युत बिलों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि व्यवसायिक व विशेष सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 96.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>003- शिक्षा और प्रशिक्षण-</b>			
01- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	19,66.51		
पूरक	0.01	17,90.81	
		16,25.48	
पुनर्वि०	(-)1,75.71		(-)1,65.33
₹ 1,65.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,75.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की दरों में वृद्धि, दूरभाष, पानी, विद्युत बिलों पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 1,65.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-</b>			
01- आपराधिक अन्वेषण-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	52,80.42			
पूरक	0.01	53,55.16	45,87.25	(-)7,67.91
पुनर्वि०	74.73			

₹ 7,67.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.73 लाख का आवर्धन क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र से सुदृढीकरण पर व्यय,पैट्रोल, तेल,स्नेहक और वाहनों की मरम्मत/रखरखाव की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7,67.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

**गैर योजना**

मूल	91.42	91.42	66.02	(-)25.40
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 25.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

## 01- राज्य रिजर्व पुलिस-

**गैर योजना**

मूल	1,09,09.69			
		95,62.45	79,32.69	(-)16,29.76
पुनर्वि०	(-)13,47.24			

₹ 16,29.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,47.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि हथियारों और गोला बारूद की खरीद ,पैट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत की दरों में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 16,29.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 02- अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-

**गैर योजना**

मूल	46,26.09			
		38,43.54	29,97.35	(-)8,46.19
पुनर्वि०	(-)7,82.55			

₹ 8,46.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,82.55 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,46.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 05- भारतीय रिजर्व वाहिनी-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	3,48,40.00			
पूरक	0.01	3,29,62.12	2,52,76.64	(-)76,85.47
पुनर्वि०	(-)18,77.90			

₹ 76,85.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,77.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि यात्रा, बाह्य स्रोत सेवाओं, वर्दी और दूरभाष, विद्युत तथा पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,52,76.64 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.28 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 76,85.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 109- जिला पुलिस-

## 01- जिला कार्यकारिणी बल-

**गैर योजना**

मूल	6,60,03.17			
		6,55,13.07	5,51,72.75	(-)1,03,40.32
पुनर्वि०	(-)4,90.10			

₹ 1,03,40.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,90.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर विधानसभा चुनाव के उद्देश्य से पुलिस बल की तैनाती के कारण पुलिस को प्रतिपूर्ति का भुगतान, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत की दरों में वृद्धि, वर्दी, मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,51,72.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20.07 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,03,40.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- पंचायत चौकीदारों /गृह रक्षकों पर व्यय  
(समन सेवाओं हेतु)-**गैर योजना**

मूल	3,45.00			
		3,70.00	3,22.85	(-)47.15
पुनर्वि०	25.00			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

₹ 47.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन वार्षिक वेतन वृद्धि और पंचायत चौकीदार/गृह रक्षकों द्वारा वारंट/समन की सेवा पर अधिक अनुदान के भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 47.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु  
तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	65,21.38			
		66,69.36	63,02.97	(-)3,66.39
पुनर्वि०	1,47.98			

₹ 3,66.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.98 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों के अधिक वेतन भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 3,66.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

111- रेलवे पुलिस-  
01- अपराध पुलिस-

**गैर योजना**

मूल	6,05.10			
		4,32.50	4,08.98	(-)23.52
पुनर्वि०	(-)1,72.60			

₹ 23.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

114- बेतार तथा कम्प्यूटर-  
01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-

**गैर योजना**

(i) मूल	28,35.06			
		28,46.06	22,06.53	(-)6,39.53
पुनर्वि०	11.00			

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-  
02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-

**गैर योजना**

(ii) मूल	98.44	98.44	49.88	(-)48.56
----------	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,88.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

116-	न्यायालिक विज्ञान-				
01-	निदेशालय फौरंसिक सेवाएं-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	8,89.07			
			7,97.48	7,34.34	(-)63.14
	पुनर्वि०	(-)91.59			

₹ 63.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि न्यायालिक विज्ञान के उपकरणों, प्रयोगशाला, डी-ओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किट, उपभोज्य रसायन अपराध के मामलों की जांच, कांच के सामान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 63.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2056- जेल-**

101- जेल-

01- जेल की स्थापना-

**गैर योजना**

	मूल	31,73.02			
			29,81.29	29,62.89	(-)18.40
	पुनर्वि०	(-)1,91.73			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,91.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि लम्बित देनदारियों के भुगतान, चिकित्सा दरों में वृद्धि, जेलों में छत पर सौर ऊर्जा सेल की स्थापना के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 29,62.89 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2.27 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

02- जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण-

**गैर योजना**

	मूल	3,17.14			
			2,15.43	2,12.22	(-)3.21
	पुनर्वि०	(-)1,01.71			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

**2062- जागरूकता-**

104- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सतर्कता आयोग-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो-  
**गैर योजना**

मूल	34,72.70			
		26,04.04	25,61.69	(-)42.35
पुनर्वि०	(-)8,68.66			

₹ 42.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,68.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद और बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 42.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- सतर्कता निदेशालय-  
**गैर योजना**

मूल	70.28			
		72.42	50.70	(-)21.72
पुनर्वि०	2.14			

₹ 21.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-**

106- नागरिक रक्षा-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**गैर योजना**

मूल	7.19			
		3.16	2.50	(-)0.66
पुनर्वि०	(-)4.03			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- होम गार्ड-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-  
**गैर योजना**

मूल	2,54.97			
		1,59.59	1,35.36	(-)24.23
पुनर्वि०	(-)95.38			

₹ 24.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 24.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

02- जिला कर्मचारी वर्ग-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**गैर योजना**

मूल	4,73.32			
		3,63.78	3,32.77	(-)31.01
पुनर्वि०	(-)1,09.54			

₹ 31.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.54 लाख की कमी गृह रक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित न करने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 31.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**गैर योजना**

मूल	31,50.50			
पूरक	0.01	25,52.26	25,04.21	(-)48.05
पुनर्वि०	(-)5,98.25			

₹ 48.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,98.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित न करने और पेट्रोल, तेल स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि भवनों के किराए के भुगतान पर अधिक व्यय और वन भूमि के हस्तांतरण के कारण मुआवजे पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 48.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- प्रशिक्षण केन्द्र-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**गैर योजना**

(i) मूल	35.62			
		21.98	20.59	(-)1.39
पुनर्वि०	(-)13.64			
<b>गैर योजना</b>				
(ii) मूल	3,44.87			
		2,46.35	2,28.53	(-)17.82
पुनर्वि०	(-)98.52			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.16 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित न करने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

108- अग्नि संरक्षण तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
<b>2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-</b>					
800- अन्य व्यय-					
02- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-					
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	3.50	3.50	..	(-)3.50
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,03.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
(iv)	<b>उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-</b>				
	<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>		<b>आधिक्य (+) बचत (-)</b>
					<b>(₹ लाखों में)</b>
<b>2055- पुलिस-</b>					
001- निदेशन और प्रशासन-					
03- सड़क सुरक्षा निधि-					
<b>गैर योजना</b>					
	मूल	1,50.00			
			2,00.00	2,00.00	..
	पुनर्वि०	50.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन पुलिस विभाग द्वारा शरीर को गरम रखने वाली जैकेटें और कैमरे की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,00.00 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
101- अपराधिक अन्वेषण और सर्तकता-					
02- राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-					
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
<b>गैर योजना</b>					
	पूरक	0.02			
			1,78.91	1,41.36	(-)37.55
	पुनर्वि०	1,78.89			
₹ 37.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,78.89 लाख का आवर्धन अग्रिम कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र केरल को भुगतान और कार्यालय उपकरण की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।					
₹ 37.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
109- जिला पुलिस-					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

- 04- निर्भया फंड के अन्तर्गत महिलाओं के लिए सहायता-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**गैर योजना**

पूरक	0.02			
		1,46.00	57.21	(-)88.79
पुनर्वि०	1,45.98			

₹ 88.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45.98 लाख का आवर्धन महिला सहायता डेस्क की स्थापना हेतु कार्यालय उपकरण की खरीद के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 57.21 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 54.24 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 88.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

- 01- जिला कार्यकारिणी बल-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**गैर योजना**

मूल	0.07			
पूरक	0.04	2,66.92	2,19.95	(-)46.97
पुनर्वि०	2,66.81			

₹ 46.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,66.81 लाख का आवर्धन वाहनों, फर्नीचर, कम्प्यूटर प्रिंटर, मानव तस्करी विरोधी को मजबूत करने के लिए उपकरण पर अधिक व्यय और नशीले पदार्थों के नियंत्रण में सहायता और छात्र कैडेट कार्यक्रम के लिए निधि उपलब्ध करवाने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 83.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,19.95 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 12.84 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 46.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अगस्त 2021)।

**गैर योजना**

मूल	0.06			
		4.56	4.51	(-)0.05
पुनर्वि०	4.50			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.50 लाख का आवर्धन शस्त्र एवं गोला-बारूद की खरीद और छात्र कैडेट कार्यक्रम के लिए निधि उपलब्ध करवाने के कारण हुआ।

- 02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	2,80.35			
		3,90.35	3,40.69	(-)49.66
पुनर्वि०	1,10.00			

₹ 49.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.00 लाख का आवर्धन चम्बा सीमा क्षेत्र में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,40.69 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 17.53 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 49.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 116- न्यायालिक विज्ञान-

## 02- महिलाओं और बच्चों पर होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****गैर योजना**

मूल	0.02			
पूरक	0.01	17.02	7.98	(-)9.04
पुनर्वि०	16.99			

₹ 9.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजको और पुलिस अधिकारी/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 03- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****गैर योजना**

मूल	0.03			
		2,44.91	1,56.81	(-)88.10
पुनर्वि०	2,44.88			

₹ 88.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,44.88 लाख का आवर्धन डी-आक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किट की खरीद, बाह्य स्रोत सेवाओं का भुगतान और डी-आक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेसर मशानों के वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 88.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2056- जेल-**

## 001- निदेशन तथा प्रशासन-

## 01- मुख्यालय कर्मचारी-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)**

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**गैर योजना**

मूल	0.01			
		1,30.16	1,30.16	..
पुनर्वि०	1,30.15			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.15 लाख का आवर्धन ई-जेल योजना के लिए निधियां जारी करने के कारण हुआ।

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

62- सतर्कता विभाग एवं भ्रष्टाचार विरोधी

ब्यूरो के भवनों का रखरखाव-

**गैर योजना**

मूल	4.82			
		8.82	8.80	(-)0.02
पुनर्वि०	4.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख का आवर्धन सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के सरकारी भवनों के रखरखाव के कारण हुआ।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -**

106- सिविल रक्षा-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

**गैर योजना**

मूल	5.81			
		7.42	7.40	(-)0.02
पुनर्वि०	1.61			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.61 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों के दैनिक भत्तों में वृद्धि के कारण हुआ।

108- अग्नि से संरक्षण तथा नियंत्रण-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

**गैर योजना**

मूल	35,23.90			
पूरक	0.01	40,51.55	35,38.22	(-)5,13.33
पुनर्वि०	5,27.64			

₹ 5,13.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,27.64 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों को अधिक वेतन भुगतान और किराये के भवनों के बिलों के भुगतान के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 5,13.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्रित थे (अगस्त 2021)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7- (समाप्त)**

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)

**4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-**

207- राज्य पुलिस

03- तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण-  
**गैर योजना**

मूल	0.01			
		4,81.36	97.19	(-)3,84.17
पूरक	4,81.35			

₹ 3,84.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अगस्त 2021)।

211- पुलिस आवास-

03- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

मूल	4,74.00	4,74.00	..	(-)4,74.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 4,74.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

(i) मूल 32,12.00 32,12.00 10,99.61 (-)21,12.39

05- राज्य फौरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-  
**योजना**

(ii) मूल 8,86.00 8,86.00 8,55.94 (-)30.06

09- न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला का सशक्तिकरण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**गैर योजना**

(iii) मूल 0.01 3,70.00 3,33.15 (-)36.85

पूरक 3,69.99

उपरोक्त तीन मामलों ₹ 21,79.30 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 10,99.61 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,74.36 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 शिक्षा**

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	70,68,13,82			
		70,68,13,97	57,06,04,75	(-)13,62,09,22
पूरक	15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				7,45,32,27
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		72,58	72,58	..
पूरक	72,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,11,50,02			
		1,30,46,48	1,30,44,47	(-)2,01
पूरक	18,96,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,62,09.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,45,32.27 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 57,06,04.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 26,30.98 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,30,44,47 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,91.95 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2202- सामान्य शिक्षा-</b>			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
001- निदेशन एवं प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
<b>योजना</b>			
मूल	14,00.00	14,00.00	4,36.68
			(-)9,63.32
₹ 9,63.32 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	19,05,03.24		
		14,90,39.27	14,02,53.90
			(-)87,85.37
पुनर्वि०	(-)4,14,63.97		
₹ 87,85.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,14,63.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने तथा छात्रों के कम नामांकन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 87,85.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
03- माध्यमिक स्कूल-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	12,84,65.11		
		11,79,79.30	11,20,84.91
			(-)58,94.39
पुनर्वि०	(-)1,04,85.81		
₹ 58,94.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04,85.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने, छात्रों के कम नामांकन दूरभाष, पानी एवं बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 58,94.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>योजना</b>			
मूल	40,67.00		
		34,67.00	24,57.33
			(-)10,09.67
पुनर्वि०	(-)6,00.00		

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

₹ 10,09.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 10,09.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

11- उर्दू और पंजाबी शिक्षकों पर खर्च-  
**योजना**

मूल	80.00			
		62.61	28.85	(-)33.76
पुनर्वि०	(-)17.39			

₹ 33.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.39 लाख की कमी अनुबंधित उर्दू एवं पंजाबी अध्यापकों की सेवाओं में परिवर्तन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- अटल वर्दी योजना-  
**योजना**

मूल	22,30.00	22,30.00	16,89.09	(-)5,40.91
-----	----------	----------	----------	------------

₹ 5,40.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 16,89.09 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 15.22 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

14- स्वस्थ बचपन-  
**गैर योजना**

मूल	1,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

मार्च 2021 में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

102- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-

03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग  
के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-  
**योजना**

मूल	1,00.00	1,00.00	11.55	(-)88.45
-----	---------	---------	-------	----------

₹ 88.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

104- निरीक्षण-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	21,91.77			
		18,39.38	17,10.70	(-)1,28.68
पुनर्वि०	(-)3,52.39			

₹ 1,28.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,52.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत वाहनों की मरम्मत पर हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,28.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

**गैर योजना**

मूल	61,64.39			
		56,54.57	55,11.48	(-)1,43.09
पुनर्वि०	(-)5,09.82			

₹ 1,43.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,09.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने एवं कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति पर हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,43.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-  
**योजना**

(i) मूल	19,08.00	19,08.00	17,52.44	(-)1,55.56
---------	----------	----------	----------	------------

## 111- सर्व शिक्षा अभियान-

04- समग्र शिक्षा अभियान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii) मूल	2,60,41.00	2,60,41.00	1,49,69.96	(-)1,10,71.04
----------	------------	------------	------------	---------------

**योजना**

(iii) मूल	28,90.00	28,90.00	17,27.78	(-)11,62.22
-----------	----------	----------	----------	-------------

## 800- अन्य व्यय-

01- उपहार माध्याह्न भोजन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iv) मूल	63,38.00	63,38.00	61,86.19	(-)1,51.81
----------	----------	----------	----------	------------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,25,40.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार से ₹ 35,05.00 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) पर प्राप्त हुआ था।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	16,00.00			
		5,00.00	4,90.51	(-)9.49
पुनर्वि०	(-)11,00.00			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,00.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

**योजना**

मूल	21,20.00			
		21,71.25	20,38.97	(-)1,32.28
पुनर्वि०	51.25			

₹ 1,32.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.25 लाख का आर्वधन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,32.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 05- प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक

शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-

**योजना**

मूल	24,00.00			
		17,00.00	15,03.04	(-)1,96.96
पुनर्वि०	(-)7,00.00			

₹ 1,96.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,96.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 06- स्कूल प्रबंधन समिति को अनुदान-

**योजना**

मूल	16,27.00	16,27.00	15,58.73	(-)68.27
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 68.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 02- माध्यमिक शिक्षा-

## 001- निदेशालय और प्रशासन-

## 01- निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	21,72.75			
		20,63.56	18,11.88	(-)2,51.68
पुनर्वि०	(-)1,09.19			

₹ 2,51.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

₹ 2,51.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

101- निरीक्षण-

01- निरीक्षणालय-

**गैर योजना**

मूल 17,64.80

17,72.79

16,57.80

(-)1,14.99

पुनर्वि० (-)7.99

₹ 1,14.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- उच्चतर पाठशालाएँ-

**गैर योजना**

मूल 23,37,14.55

21,84,80.78

19,98,66.10

(-)1,86,14.68

पुनर्वि० (-)1,52,33.77

₹ 1,86,14.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52,33.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 19,98,66.10 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,97.30 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,86,14.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

15- श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजीटल योजना-

**योजना**

मूल 16,45.00

16,45.00

..

(-)16,45.00

₹ 16,45.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

21- मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना-

**गैर योजना**

मूल 3,00.00

70.00

70.00

..

पुनर्वि० (-)2,30.00

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.00 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 70.00 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

24- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयागशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
मूल	1.00				
पुनर्वि०	(-)1.00				
मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।					
27-	मेधा प्रोत्साहन योजना- गैर योजना				
(i)	मूल	5,00.00	5,00.00	3,68.00	(-)1,32.00
29-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	1,22,58.00	1,22,58.00	1,16,97.30	(-)5,60.70
(iii)	मूल	13,62.00	13,62.00	12,99.71	(-)62.29
30-	खेल से स्वास्थ्य योजना- योजना				
(iv)	मूल	3,97.74	3,97.74	1,09.33	(-)2,88.41
32-	उत्कृष्ट विद्यालय योजना- गैर योजना				
(v)	मूल	30,00.00			
	पूरक	0.03	30,00.00	28,08.91	(-)1,91.09
	पुनर्वि०	(-)0.03			

उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 12,34.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 2,78,87.06 लाख का अनुदान क्रम संख्या (i) पर प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 3,68.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,38.00 लाख की राशि, क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,16,97.30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,57.00 लाख की राशि, (iii) में ₹ 12,99.71 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 17.44 लाख की राशि, (iv) में ₹ 1,09.33 लाख की समस्त राशि आहरित की गई तथा क्रम संख्या (v) में ₹ 28,08.91 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,64.84 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

800- अन्य व्यय-

01- उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	24,00.00			
		9,25.00	9,11.20	(-)13.80
पुनर्वि०	(-)14,75.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,75.00 लाख की कमी शिक्षक अभिभावक संघ के अन्तर्गत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-

01- राजकीय महाविद्यालय-

**गैर योजना**

मूल	3,43,26.85			
		3,18,19.84	2,84,06.44	(-)34,13.40
पुनर्वि०	(-)25,07.01			

₹ 34,13.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25,07.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,84,06.44 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 34,13.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	6,00.00	6,00.00	2,32.16	(-)3,67.84
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 3,67.84 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- प्रशिक्षण महाविद्यालय-

**गैर योजना**

मूल	3,95.60			
		2,99.97	2,54.99	(-)44.98
पुनर्वि०	(-)95.63			

₹ 44.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 44.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल	42,35.00	42,35.00	11,38.50	(-)30,96.50
---------	----------	----------	----------	-------------

**योजना**

(ii) मूल	4,71.00	4,71.00	1,26.50	(-)3,44.50
----------	---------	---------	---------	------------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 34,41.00 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 4,33.50 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

09- खेल से स्वास्थ्य योजना-

**योजना**

मूल	4,00.00	4,00.00	..	(-)4,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

10- सरकारी कॉलेजों में सीवी रमन आभासी कक्ष-

**योजना**

मूल	2,00.00			
-----	---------	--	--	--

पूरक	0.01	2,00.00	17.18	(-)1,82.82
------	------	---------	-------	------------

पुनर्वि०	(-)0.01			
----------	---------	--	--	--

₹ 1,82.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

11- बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम-

**योजना**

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

12- राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना-

**गैर योजना**

(i) मूल 9,00.00

पूरक	0.03	9,00.00	7,84.80	(-)1,15.20
------	------	---------	---------	------------

पुनर्वि०	(-)0.03			
----------	---------	--	--	--

104- गैर सरकारी कॉलेजों और संस्थानों को सहायता-

01- निजी महाविद्यालयों को सहायता-

**योजना**

(ii) मूल 18,50.00 18,50.00 15,68.50 (-)2,81.50

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,96.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- प्रौढ़ शिक्षा-

103- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-

05- साक्षर भारत योजनाएं-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(i) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

**योजना**

(ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- भाषा विकास-				
103- संस्कृत शिक्षा-				
01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	7,09.88			
		5,78.06	4,98.35	(-)79.71
पुनर्वि०	(-)1,31.82			

₹ 79.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,31.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 79.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

80- सामान्य-				
107- छात्रवृत्तियां-				
07- अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
08- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
(iii) मूल	3,50.00	3,50.00	..	(-)3,50.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 8,51.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 1,41.55 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

09- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
मूल	3,30.00	3,30.00	2,29.00	(-)1,01.00

₹ 1,01.00 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 1,41.55 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,29.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,36.00 लाख की राशि को आहरण

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	-----	------	------	----	---------

20- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii)	मूल	2,45.00	2,45.00	..	(-)2,45.00
------	-----	---------	---------	----	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,46.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 1,41.55 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कैडेट कोर सामान्य स्थापना-  
**गैर योजना**

मूल	6,64.88				
पूरक	0.01	5,64.62	4,97.47		(-)67.15
पुनर्वि०	(-)1,00.27				

₹ 67.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 67.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- राष्ट्रीय कैडेट कोर वार्षिक शिविर-  
**गैर योजना**

मूल	70.01				
		37.64	26.51		(-)11.13
पुनर्वि०	(-)32.37				

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.37 लाख की कमी कोविड-19 शिविर संचालित न किये जा सकने के कारण हुई।

08- सैनिक स्कूलों पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल	47.00				
		32.00	32.00		..
पुनर्वि०	(-)15.00				

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी छात्रवृत्ति के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 32.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 25.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

17- राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन-  
**गैर योजना**

मूल	3,56.64			
		3,59.69	2,85.87	(-)73.82
पुनर्वि०	3.05			

₹ 73.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2205- कला एवं संस्कृति-**

105- सार्वजनिक पुस्तकालय-

01- राज्य एवं जिला पुस्तकालय-  
**गैर योजना**

मूल	5,89.03			
पूरक	0.01	6,80.74	5,39.26	(-)1,41.48
पुनर्वि०	91.70			

₹ 1,41.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.70 लाख का आर्वधन पुस्तकालय के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,41.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

277- शिक्षा-

06- अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	23,27.21			
		15,41.55	23,98.10	+8,56.55
पुनर्वि०	(-)7,85.66			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

₹ 8,56.55 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,85.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, विद्यालय प्रतियोगता के कम आयोजन तथा दूरभाष, पानी एवं बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 23,98.10 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 9,32.33 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 8,56.55 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- उच्चतर पाठशालाएँ-

**योजना**

मूल	22,34.26			
		33,55.51	31,30.19	(-)2,25.32
पुनर्वि०	11,21.25			

₹ 2,25.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,21.25 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोतों के सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षकों के मानदेय की दर में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 31,30.19 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 67.52 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 2,25.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

800- अन्य व्यय-

02- निजी संस्थानों के निरीक्षण पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	50.00			
		87.43	86.53	(-)0.90
पुनर्वि०	37.43			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.43 लाख का आवर्धन पारिश्रमिक और अन्य व्यय के भुगतान के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-

07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

**गैर योजना**

पूरक	0.04			
		33.40	31.55	(-)1.85
पुनर्वि०	33.36			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (समाप्त)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.36 लाख का आर्वधन राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को मानदेय के भुगतान और उच्च शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की गतिविधियों की निगरानी पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

04- प्रौढ शिक्षा-				
200- अन्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम-				
03- पढ़ना लिखना अभियान-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
पूरक	0.02			
		1,56.55	1,56.55	..
पुनर्वि०	1,56.53			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,56.53 लाख का आर्वधन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

<b>योजना</b>				
पुनर्वि०	17.39	17.39	17.39	..

मार्च 2021 में बिना प्रावधान के ₹ 17.39 लाख का पुनर्विनियोजन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। निधियों के बिना पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 में निहित प्रावधान का उल्लंघन था।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	24,06,99,38			
		24,06,99,56	19,17,35,18	(-)4,89,64,38
पूरक	18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,11,42,71
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		40,00	40,00	..
पूरक	40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,55,55,09			
		2,63,55,21	2,54,74,75	(-)8,80,46
पूरक	1,08,00,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,89,64.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,11,42.71 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 19,17,35.18 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 58,99.36 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,80.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2021 में प्राप्त ₹ 1,08,00.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,54,74.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 95.42 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख-रखाव और मरम्मत-			
36- चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों का रख-रखाव- <b>योजना</b>			
मूल	9,18.00		
		5,18.00	4,76.70
पुनर्वि०	(-)4,00.00		(-)41.30
₹ 41.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी अनुसूचना कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 41.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-</b>			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय- <b>गैर योजना</b>			
मूल	32,26.42		
		22,28.92	17,95.39
पुनर्वि०	(-)9,97.50		(-)4,33.53
₹ 4,33.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,97.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 4,33.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>योजना</b>			
मूल	1.00		
		..	..
पुनर्वि०	(-)1.00		..

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यालय सामग्री की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया था।

02- जिला स्थापना-

**गैर योजना**

मूल	19,92.48			
		14,75.24	11,28.10	(-)3,47.14
पुनर्वि०	(-)5,17.24			

₹ 3,47.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,17.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने, रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के सरकारी अनुबंधों में परिवर्तन के कारण तथा बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,47.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- निदेशालय दन्त स्वास्थ्य सेवाएं-

**गैर योजना**

मूल	1,46.44	1,46.44	1,16.37	(-)30.07
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 30.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

01- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (चिकित्सालय तथा औषधालय)-

**गैर योजना**

मूल	2,70.50			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)2,70.50			

मार्च 2021 में ₹ 2,70.50 लाख का समस्त प्रावधान योजना के हिस्सेदारी स्वरूप में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

109- पाठशाला स्वास्थ्य योजना-

01- पाठशाला स्वास्थ्य सेवा-

**गैर योजना**

मूल	41.74	41.74	26.76	(-)14.98
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 14.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- शहरी स्वास्थ्य-

**गैर योजना**

मूल	2,57,05.37			
		2,03,36.99	1,83,58.53	(-)19,78.46
पुनर्वि०	(-)53,68.38			

₹ 19,78.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53,68.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने, रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को सरकारी अनुबंध में परिवर्तित करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

किरायों के भुगतान, विद्युत आपूर्ति, नये वाहनों की खरीद और नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 19,78.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान-  
**योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

200- अन्य स्वास्थ्य सेवाएं-

01- दन्त क्लीनिक (शहरी)-  
**गैर योजना**

मूल	46,74.14			
		47,06.41	44,26.33	(-)2,80.08

पुनर्वि० 32.27

₹ 2,80.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.27 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, दंत चिकित्सा उपकरणों की सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को सरकारी अनुबंध में परिवर्तित करने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 44,26.33 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 17.63 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 2,80.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय  
**गैर योजना**

(i) मूल	5,64.44			
पूरक	0.01	4,58.55	4,18.22	(-)40.33
पुनर्वि०	(-)1,05.90			

02- जिला स्थापना-

**गैर योजना**

(ii) मूल	86,71.19			
		73,39.88	65,09.45	(-)8,30.43
पुनर्वि०	(-)13,31.31			

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक चिकित्सालय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	11,17.26		
			9,86.32	8,72.99
	पुनर्वि०	(-)1,30.94		(-)1,13.33
03- आयुर्वेदिक फार्मसी- <b>गैर योजना</b>				
(iv)	मूल	5,86.31		
			4,79.58	4,44.98
	पुनर्वि०	(-)1,06.73		(-)34.60

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 10,18.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,74.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 10,18.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
110- अस्पताल तथा औषधालय-				
01- ग्रामीण स्वास्थ्य- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	4,65,69.88		
	पूरक	0.01	3,69,03.53	3,11,35.41
	पुनर्वि०	(-)96,66.36		(-)57,68.12

₹ 57,68.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96,66.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा दैनिक वेतनभोगियों को आंशिक रूप से लगाने से हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय और मुआवजा प्रदान करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,11,35.41 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 77.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 57,68.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

<b>योजना</b>					
	मूल	48,25.00	48,25.00	26,26.24	(-)21,98.76

₹ 21,98.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान- <b>योजना</b>				
	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		..

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यालय सामग्री की खरीद न हाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-  
चिकित्सा की अन्य पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

**गैर योजना**

मूल 2,95.34

2,62.32

2,44.79

(-)17.53

पुनर्वि0 (-)33.02

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

**गैर योजना**

मूल 1,13,49.90

1,01,78.49

91,93.77

(-)9,84.72

पुनर्वि0 (-)11,71.41

₹ 9,84.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,71.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9,84.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण  
तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-

**गैर योजना**

मूल 19,63.14

14,78.24

13,49.08

(-)1,29.16

पुनर्वि0 (-)4,84.90

₹ 1,29.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,84.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,29.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- भारतीय औषधीय पद्धति का अनुसन्धान

**गैर योजना**

मूल 41.95

41.95

33.16

(-)8.79

₹ 8.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-  
01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा  
महाविद्यालय, शिमला-  
**गैर योजना**

मूल 2,23,12.67

1,78,78.29

1,74,88.98

(-)3,89.31

पुनर्वि० (-)44,34.38

₹ 3,89.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,34.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, बसों, वर्दी तथा यात्रा व्यय में कमी के कारण हुई जोकि करों के भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,74,88.98 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,86.93 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 3,89.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण-  
**गैर योजना**

मूल 4,57.39

3,85.01

3,51.03

(-)33.98

पुनर्वि० (-)72.38

₹ 33.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-  
**गैर योजना**

मूल 20,60.25

20,57.39

16,53.49

(-)4,03.90

पुनर्वि० (-)2.86

₹ 4,03.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 1,98.00

1,61.44

1,34.43

(-)27.01

पुनर्वि० (-)36.56

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

₹ 27.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.56 लाख की कमी छात्रवृत्ति के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- निदेशालय चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-  
**गैर योजना**

मूल	2,96.25			
पूरक	0.03	1,86.08	1,81.41	(-)4.67
पुनर्वि०	(-)1,10.20			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अतिरिक्त महाधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने के शुल्क के भुगतान के कारण और नए वाहन की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

06- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-  
**गैर योजना**

मूल	1,20,45.48			
		1,09,40.43	1,09,19.79	(-)20.64
पुनर्वि०	(-)11,05.05			

₹ 20.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,05.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,09,19.30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,12.49 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 20.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-II  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	2.00			
		...	...	..
पुनर्वि०	(-)2.00			
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	1.00			
		...	...	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

09- कैंसर, मधुमेह हृदय रोग तथा स्ट्रोक की  
रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii) मूल 1.00

... ..

पुनर्वि० (-)1.00

**योजना**

(iv) मूल 1.00

... ..

पुनर्वि० (-)1.00

11- इंद्रा-म्यूरल अनुसन्धान निधि-  
**गैर योजना**

(v) मूल 1,00.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1,00.00

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2021 में ₹ 1,05.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

12- डॉ० यंशवत सिंह परमार राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-  
**गैर योजना**

मूल 41,59.42

पूरक 0.01 38,25.50 38,24.90 (-)0.60

पुनर्वि० (-)3,33.93

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,33.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, रोगी कल्याण समिति के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, कम सामग्री की खरीद, बिजली, पानी और टेलीफोन बिल पर कम व्यय के कारण हुई जोकि किराए, आहार और स्वच्छता के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**योजना**

मूल 4,94.00

2,43.00 2,43.00 ..

पुनर्वि० (-)2,51.00

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.00 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,43.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,84.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 13- डॉ० राधाकृष्णन राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर-  
**योजना**
- |     |         |         |         |            |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| मूल | 6,58.00 | 6,58.00 | 3,16.73 | (-)3,41.27 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
- ₹ 3,41.27 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,16.73 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,28.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- 14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-  
**योजना**
- |          |            |         |         |          |
|----------|------------|---------|---------|----------|
| मूल      | 6,38.00    |         |         |          |
|          |            | 4,74.00 | 4,22.71 | (-)51.29 |
| पुनर्वि० | (-)1,64.00 |         |         |          |
- ₹ 51.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.00 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,22.71 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,10.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- ₹ 51.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।
- 15- लाल बहादूर शास्त्री राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय नैर चौक-  
**योजना**
- |     |         |         |         |          |
|-----|---------|---------|---------|----------|
| मूल | 5,76.00 | 5,76.00 | 4,79.85 | (-)96.15 |
|-----|---------|---------|---------|----------|
- ₹ 96.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,79.85 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,01.12 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- 18- स्वास्थ्य विज्ञान के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-  
**योजना**
- |          |            |         |         |    |
|----------|------------|---------|---------|----|
| मूल      | 6,58.00    |         |         |    |
|          |            | 2,42.30 | 2,42.30 | .. |
| पुनर्वि० | (-)4,15.70 |         |         |    |

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,15.70 लाख की कमी गतिविधियों के कम कार्यान्वयन, रिक्त पदों को न भरने, विश्वविद्यालय के निर्माण तथा स्थापना के लिए स्थान को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन -  
**गैर योजना**

मूल	2,22.31			
पूरक	0.01	2,29.67	2,08.19	(-)21.48
पुनर्वि०	7.35			

₹ 21.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,08.19 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 65.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-

02- क्षय रोग अस्पताल-

**गैर योजना**

मूल	10,83.80			
		8,65.80	6,71.47	(-)1,94.33
पुनर्वि०	(-)2,18.00			

₹ 1,94.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,18.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,94.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

(i) मूल	1,86.00			
		1,68.00	68.12	(-)99.88
पुनर्वि०	(-)18.00			

05- मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-

**योजना**

(ii) मूल	2,50.00			
		2,44.00	1,95.63	(-)48.37
पुनर्वि०	(-)6.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,48.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- कुष्ठ रोग अस्पताल-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	4,93.01			
		2,79.68	2,40.89	(-)38.79

पुनर्वि० (-)2,13.33

₹ 38.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,13.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 38.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	22.00			
		11.00	..	(-)11.00

पुनर्वि० (-)11.00

₹ 11.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख की कमी बिजली, पानी तथा टेलीफोन बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- घेघा का उपचार-

**गैर योजना**

मूल	27.30			
		2.76	1.30	(-)1.46

पुनर्वि० (-)24.54

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

21- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल	2.00			
		..	..	..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**योजना**

मूल	10,06.00			
		10,06.00	1,17.32	(-)8,88.68

₹ 8,88.68 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

23- अभिघात केन्द्रों पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..

पुनर्वि० (-)1.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**योजना**

मूल	4,86.00	4,86.00	3,89.35	(-)96.65
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 96.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,89.35 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,60.73 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

107- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं-

01- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	2,78.16			
पूरक	0.01	1,87.45	1,70.30	(-)17.15
पुनर्वि०	(-)90.72			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं को किराए पर लेने और सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

200- अन्य प्रणालियां-

03- मुख्यमंत्री क्षयरोग निवारण योजना-

**गैर योजना**

मूल	2,00.00	2,00.00	..	(-)2,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना-

**गैर योजना**

(i) मूल	15,00.00	15,00.00	8,36.19	(-)6,63.81
---------	----------	----------	---------	------------

06- निशुल्क दवाईयां-

**गैर योजना**

(ii) मूल	15,00.00	15,00.00	97.75	(-)14,02.25
----------	----------	----------	-------	-------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 20,66.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

10- संपूर्ण स्वास्थ्य योजना-

**गैर योजना**

मूल	5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

11- स्वस्थ तथा सशक्त किशोरीत्व एवं मातृत्व-

85  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

**गैर योजना**

पूरक	0.01			
		2,10.00	..	(-)2,10.00
पुनर्वि०	2,09.99			

₹ 2,10.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,09.99 लाख का आवर्धन मशीनरी और उपकरणों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2211- परिवार कल्याण-**

001- निदेशन और प्रशासन-

01- राज्य मुख्यालय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल	3,32.00	3,32.00	2,33.43	(-)98.57
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 98.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**गैर योजना**

मूल	26.24			
		17.87	4.97	(-)12.90
पुनर्वि०	(-)8.37			

₹ 12.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 12.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यालय वस्तुओं की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

02- जिला मुख्यालय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल	1,57.00	1,57.00	73.00	(-)84.00
-----	---------	---------	-------	----------

₹ 84.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**गैर योजना**

मूल	6,07.11			
		2,54.21	2,18.75	(-)35.46
पुनर्वि०	(-)3,52.90			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

₹ 35.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,52.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 35.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यालय वस्तुओं की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

003- प्रशिक्षण-

01- सहायक उपचारिका मिडवाईफ/दाई तथा महिला स्वास्थ्य विजिटर पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण इत्यादि-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 2,66.00 2,66.00 1,38.99 (-)1,27.01

**गैर योजना**

(ii) मूल 2,09.19 2,09.19 1,27.87 (-)81.32

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii) मूल 33,28.00 33,28.00 26,94.66 (-)6,33.34

**गैर योजना**

(iv) मूल 1,10,59.21 1,10,59.21 73,93.24 (-)36,65.97

102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-

01- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(v) मूल 4,66.00 4,66.00 2,67.11 (-)1,98.89

**गैर योजना**

(vi) मूल 15,05.00 15,05.00 8,24.33 (-)6,80.67

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 53,87.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

200- अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ-

02- इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-  
**गैर योजना**

मूल 20.00 20.00 .. (-)20.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

(i)	मूल	77.00	77.00	46.50	(-)30.50
-----	-----	-------	-------	-------	----------

03- पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-  
**योजना**

(ii)	मूल	50.00	50.00	40.00	(-)10.00
------	-----	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 40.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 46.50 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.75 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

04- भ्रूण हत्या के सूचक को प्रोत्साहन-  
**योजना**

मूल	1.00				
-----	------	--	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00				
----------	---------	--	--	--	--

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-  
**योजना**

मूल	2,89,46.00	2,89,46.00	1,98,36.76	(-)91,09.24
-----	------------	------------	------------	-------------

₹ 91,09.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 1,77,39.66 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

06- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-  
**योजना**

(i)	मूल	1.00			
-----	-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00				
----------	---------	--	--	--	--

07- मातृ सेवा योजना-  
**योजना**

(ii)	मूल	1.00			
------	-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00				
----------	---------	--	--	--	--

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

08- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

88  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल	2,40.00	2,40.00	..	(-)2,40.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 2,40.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

10- स्वतन्त्रता सैनानियों को चिकित्सा व्यय का प्रत्यापन-

**गैर योजना**

मूल	15.04	15.04	3.86	(-)11.18
-----	-------	-------	------	----------

₹ 11.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव और मरम्मत-

50- आयुर्वेद विभाग के भवनों का रखरखाव-

**गैर योजना**

(i) मूल	0.01			
		15.01	15.00	(-)0.01

पुनर्वि० 15.00

52- इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भवनों का रखरखाव-  
**योजना**

(ii) मूल	1,19.00			
		4,19.00	4,18.95	(-)0.05

पुनर्वि० 3,00.00

54- विभाग के भवनों का रख रखाव-  
**गैर योजना**

(iii) मूल	0.01			
		1.01	1.01	..

पुनर्वि० 1.00

55- डॉ राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा  
के भवनों का रखरखाव-  
**योजना**

(iv) मूल	1,65.00			
		2,65.00	2,65.00	..

पुनर्वि० 1,00.00



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,16.00 लाख का आवर्धन अस्पताल भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य चिकित्सा-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- शहरी स्वास्थ्य-

**योजना**

मूल	51,40.00			
पूरक	0.01	80,22.00	61,57.82	(-)18,64.18
पुनर्वि०	28,81.99			

₹ 18,64.18 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28,81.99 लाख का आवर्धन विद्युत आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 61,57.82 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 28,41.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 18,64.18 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट-

**गैर योजना**

मूल	50.35			
		2,50.35	2,12.27	(-)38.08
पुनर्वि०	2,00.00			

₹ 38.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन सवारी/परिवहन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 38.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

05- राष्ट्रीय आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	5,03.00			
		5,49.72	5,39.72	(-)10.00
पुनर्वि०	46.72			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,94.94 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

90  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

<b>योजना</b>				
मूल	56.00			
		70.91	70.11	(-)0.80
पुनर्वि०	14.91			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.91 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ।				
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
01-	इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला-			
<b>योजना</b>				
मूल	11,19.00			
		18,56.91	18,09.36	(-)47.55
पुनर्वि०	7,37.91			
₹ 47.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,37.91 लाख का आवर्धन रोगी कल्याण समिति की गतिविधियों तथा फर्नीचर खरीदने पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 18,09.36 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7,07.47 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
₹ 47.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
07-	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन-			
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
पूरक	0.01			
		99.00	99.00	..
पुनर्वि०	98.99			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 99.00 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
13-	डाक्टर राधाकृष्णन राजकीय मैडिकल कालेज हमीरपुर-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	23,58.52			
		38,32.55	35,65.77	(-)2,66.78
पुनर्वि०	14,74.03			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 2,66.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,74.03 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने, अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं की नियुक्ति और किराए के अधिक भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,66.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय चंबा-  
**गैर योजना**

मूल	32,62.34			
पूरक	0.01	33,97.18	33,49.52	(-)47.66
पुनर्वि०	1,34.83			

₹ 47.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.83 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं के किराए के भुगतान तथा वर्दी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण निविदाओं को अंतिम रूप न देने और सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 47.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा  
महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-  
**गैर योजना**

मूल	41,11.34			
पूरक	0.01	60,55.63	60,45.87	(-)9.76
पुनर्वि०	19,44.28			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,44.28 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने तथा बिजली बिल पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि सामग्री की कम खरीद एवं रोगी कल्याण समिति के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 17- डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज  
टांडा में क्षेत्रिय जेरिएट्रिक केन्द्र-  
**केन्द्रीय प्रायोजि योजना**  
**गैर योजना**

पूरक	0.02			
		2,02.89	2,02.89	..
पुनर्वि०	2,02.87			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.87 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 06- लोक स्वास्थ्य-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-

- 04- औषध प्रशासन तथा खाद्य सुरक्षा-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	3,18.04			
		3,81.21	3,63.61	(-)17.60
पुनर्वि०	63.17			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.17 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, भोजन और दवा के नमूने के संग्रह पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**200- अन्य पद्धतियां-****08- हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना-****गैर योजना**

मूल	5,00.00			
		60,00.00	60,00.00	..
पुनर्वि०	55,00.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55,00.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**09- सहारा योजना-****गैर योजना**

मूल	12,00.00			
		36,00.00	23,74.68	(-)12,25.32
पुनर्वि०	24,00.00			

₹ 12,25.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24,00.00 लाख का आवर्धन वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 12,25.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2211- परिवार कल्याण-****200- अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां-****05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-****योजना**

मूल	40,96.00			
पूरक	0.01	50,67.14	48,45.14	(-)2,22.00
पुनर्वि०	9,71.13			

₹ 2,22.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,71.13 लाख का आवर्धन आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,22.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2216- आवास-****05- साधारण पूल आवास-****053- रखरखाव एवं मरम्मतें-****01- अन्य रखरखाव व्यय-**

93  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

**गैर योजना**

मूल	10.17			
		85.17	85.17	..
पुनर्वि0	75.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख का आवर्धन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(v) दतमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
01- शहरी स्वास्थ्य- <b>योजना</b>			
(i) मूल	31,81.00		
		42,57.01	31,10.11
			(-)11,46.90
पूरक	10,76.01		
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
01- ग्रामीण स्वास्थ्य- <b>योजना</b>			
(ii) मूल	39,17.00		
		47,62.00	47,41.00
			(-)21.00
पूरक	8,45.00		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 11,67.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 31,10.11 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 12.25 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।			
03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
02- दंत महाविद्यालय-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
05-	<b>नाहन स्थित चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने एवं कार्य निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>योजना</b>					
	मूल	23,04.00			
			23,03.00	3,24.05	(-)19,78.95
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 19,78.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
06-	<b>हमीरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>					
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>योजना</b>					
	मूल	5,44.00	5,44.00	4,52.54	(-)91.46
	₹ 91.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
07-	<b>चम्बा में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>					
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (समाप्त)**

**योजना**

मूल	16,51.00			
		16,62.84	1,25.73	(-)15,37.11
पूरक	11.84			

₹ 15,37.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 09- किडनी प्रत्यारोपण-

**गैर योजना**

मूल	1,00.00	1,00.00	..	(-)1,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-**

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- चिकित्सा महाविद्यालय-

**योजना**

(i) मूल	13,23.00			
पूरक	78,01.27	91,29.35	1,17,32.84	+26,03.49
पुनर्वि०	5.08			

03- डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-  
**योजना**

(ii) मूल	11,84.00			
		22,50.00	36,44.17	+13,94.17
पूरक	10,66.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 39,97.66 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

			कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	37,52,85,28				
			37,52,85,29	27,89,83,00	(-)9,63,02,29
पूरक	1				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)					
27,78,23					
<b>प्रभारित</b>					
मूल	..				
			27,86	18,23	(-)9,63
पूरक	27,86				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
..					
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	12,08,50,00				
			14,34,02,72	14,96,13,13	+62,10,41
पूरक	2,25,52,72				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
..					
<b>प्रभारित</b>					
मूल	..				
			17,77,47	12,45,20	(-)5,32,27
पूरक	17,77,47				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
..					



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

**टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ**

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 62,10,40,558 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,63,02.29 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 27,78.23 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 27,89,83.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 13,10.51 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 9.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 27.86 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 62,10.41 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 2,25,52.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त साबित हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 14,96,13.13 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 16,06.08 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 5,32.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 17,77.47 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

**राजस्व प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>				
80- सामान्य-				
001- निदेशन और प्रशासन-				
01- निदेशन-				
<b>गैर योजना</b>				
(i) मूल	23,49.25			
		17,49.25	13,87.39	(-)3,61.86
पुनर्वि०	(-)6,00.00			
03- डिजाईन-				
<b>गैर योजना</b>				
(ii) मूल	6,58.41			
		5,58.41	4,10.25	(-)1,48.16
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,10.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,10.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- वास्तुकला-  
**गैर योजना**

मूल	2,86.21			
		1,63.21	1,49.12	(-)14.09
पुनर्वि०	(-)1,23.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.00 लाख की कमी रिक्त पदों का न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

051- निर्माण-

01- सरकारी गैर आवासीय भवन-  
**योजना**

(i) मूल	1,50.00	1,50.00	1,29.62	(-)20.38
---------	---------	---------	---------	----------

052- मशीनरी तथा औजार-

02- मरम्मत तथा कैरिज इत्यादि-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	48.77	48.77	5.03	(-)43.74
----------	-------	-------	------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 64.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

053- रख-रखाव और मरम्मत-

03- निष्पादन-  
**गैर योजना**

मूल	1,53,78.38			
		1,33,78.38	1,07,60.59	(-)26,17.79
पुनर्वि०	(-)20,00.00			

₹ 26,17.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26,17.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त, 2021)।

04- गैर आवासीय भवनों के रख-रखाव पर व्यय-  
**गैर योजना**

(i) मूल	34,06.58			
		33,98.18	31,20.77	(-)2,77.41
पुनर्वि०	(-)8.40			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

05- कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना-  
**गैर योजना**

(ii) मूल 1,35,51.96 1,35,51.96 80,45.26 (-)55,06.70

06- वसूलियों के समायोजन के लिए रख-रखाव का प्रावधान-  
**गैर योजना**

(iii) मूल 1,35,51.96 1,35,51.96 65,07.54 (-)70,44.42

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,28,28.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 31,20.77 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 21.63 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

07- महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और अस्पताल  
तथा शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा-  
**योजना**

मूल 10.00

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2021 में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान रखरखाव कार्यों का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**2216- आवास-**

05- सामान्य पूल निवास-

053- रखरखाव तथा मरम्मतें -

01- अन्य रखरखाव व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल 23,09.24

23,07.66 16,28.06 (-)6,79.60

पुनर्वि० (-)1.58

**योजना**

(ii) मूल 7,05.00

7,05.00 5,61.91 (-)1,43.09

**3054- सड़कें तथा पुल-**

01- राष्ट्रीय राजमार्ग-

337- सड़क कार्य-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव-

(iii) **गैर योजना**

मूल 6,47.35

6,47.35 5,47.19 (-)1,00.16

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 9,22.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 16,28.06 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

से ₹ 89.70 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 5,61.91 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 23.92 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

04-	जिला और अन्य सड़कें-				
105-	रख-रखाव तथा मरम्मत-				
05-	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउण्डरी-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	47.18	47.18	..	(-)47.18
					₹ 47.18 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।
06-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	8,01,82.24			
			8,01,80.07	4,31,53.82	(-)3,70,26.25
	पुनर्वि०	(-)2.17			
07-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना-				
	<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	8,01,80.07	8,01,80.07	5,05,19.86	(-)2,96,60.21
13-	अन्य रखरखाव व्यय-मशीनरी और उपकरण-				
	<b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	3,66.92	3,66.92	3,13.59	(-)53.33
14-	पुल तथा अन्य रख-रखाव पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
(iv)	मूल	13,66.83	13,66.83	13,02.06	(-)64.77
	<b>योजना</b>				
(v)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,89.30	(-)10.70
18-	पुलों के रखरखाव पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
(vi)	मूल	9,29.42	9,29.42	8,28.59	(-)1,00.83
19-	निष्पादन-				
	<b>गैर योजना</b>				
(vii)	मूल	1,84,44.02			
			1,84,57.45	1,34,94.38	(-)49,63.07
	पुनर्वि०	13.43			
20-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-				
	<b>गैर योजना</b>				
(viii)	मूल	3,41,51.06	3,41,51.06	1,82,90.34	(-)1,58,60.72

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

21-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में परिवर्तित करना- मशीनरी तथा उपकरण- <b>गैर योजना</b>				
(ix)	मूल	95,02.40	95,02.40	65,09.30	(-)29,93.10
22-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में परिवर्तित करना-पुल- <b>गैर योजना</b>				
(x)	मूल	98,04.99	98,04.99	63,11.32	(-)34,93.67
23-	कार्य भारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में परिवर्तित करना, सड़क निर्माण कार्य- <b>गैर-योजना</b>				
(xi)	मूल	1,48,43.65	1,48,43.65	89,26.76	(-)59,16.89
27-	माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता- <b>योजना</b>				
(xii)	मूल	4,00.00	4,00.00	39.13	(-)3,60.87
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशन और पर्यवेक्षण- <b>गैर योजना</b>				
(xiii)	मूल	64,03.09	64,03.09	42,43.11	(-)21,59.98

उपरोक्त तेरह मामलों में ₹ 10,26,64.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (iii) में ₹ 3,13.59 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.72 लाख की राशि, क्रम संख्या (iv) में ₹ 13,02.06 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 9.48 लाख की राशि, क्रम संख्या (v) में ₹ 1,89.30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 45.69 लाख की राशि तथा क्रम संख्या (vi) में ₹ 8,28.59 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 17.78 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

05-	वास्तुकार- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	6,77.77			
			4,93.00	4,34.86	(-)58.14
	पुनर्वि०	(-)1,84.77			

₹ 58.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

₹ 58.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

800-	अन्य व्यय-				
03-	खरखाव प्रदर्शन आधारित आउटपुट-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	25,89.40			
			13,39.30	12,64.42	(-)74.88
	पुनर्वि0	(-)12,50.10			

₹ 74.88 लाख की अंतिम बचत के दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 12,50.10 लाख की कमी अनुसंधान कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,64.42 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.30 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 74.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-)</b>
				<b>( ₹ लाखों में)</b>

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

80-	सामान्य-				
051-	निर्माण-				
03-	शिमला/धर्मशाला में विधानसभा भवन-				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	10.00	10.00	13.57	+3.57
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-				
	<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	90,00.00	90,00.00	1,21,50.02	+31,50.02
02-	स्टॉक निर्माण-				
	<b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	40,00.00	40,00.00	45,98.70	+5,98.70
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
	<b>गैर योजना</b>				
(iv)	मूल	50,00.00	50,00.00	2,77,50.11	+2,27,50.11

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 2,65,02.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,21,50.02 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,68.90 तथा क्रम संख्या (iv) में ₹ 2,77,50.11 लाख की राशि आहरित की

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

गई जिसमें से ₹ 1,49.24 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**3054- सड़क तथा पुल-**

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- मरम्मत तथा रखरखाव-

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

**गैर योजना**

मूल 3,37,20.90

पूरक 0.01 3,51,39.77 3,38,59.75 (-)12,80.02

पुनर्वि0 14,18.86

₹ 12,80.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,18.86 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन एवं मुआवजे के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,38,59.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5,17.68 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 12,80.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 29,49.00 29,49.00 37,53.04 +8,04.04

₹ 8,04.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 37,53.04 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 23.94 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

09- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्राप्त निधि में से

प्रशासनिक और आकस्मिक प्रभार-

**गैर योजना**

मूल 0.03

69.53 64.80 (-)4.73

पुनर्वि0 69.50

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.50 लाख का आवर्धन अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं और विविध मदों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

15- अन्य रखरखाव व्यय-सड़क निर्माण कार्य-

**गैर योजना**

(i) मूल 42,75.45 42,75.45 44,97.68 +2,22.23

17- सड़कों के रख-रखाव पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

(ii)	मूल	24,16.51	24,16.51	24,45.14	+20.63
------	-----	----------	----------	----------	--------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,42.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 44,97.68 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 61.48 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 24,45.14 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 68.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

**3054- सड़क तथा पुल-**

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- मरम्मत तथा रखरखाव-

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

**गैर योजना**

पूरक	27.86	27.86	18.23	(-)9.63
------	-------	-------	-------	---------

₹ 9.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूँजीगत प्रवर्ग****(ix) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-**

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

07- लोक निर्माण-

**योजना**

मूल	12,90.00	22,10.00	20,03.01	(-)2,06.99
-----	----------	----------	----------	------------

पुनर्वि0 9,20.00

₹ 2,06.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,20.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 20,03.01 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 53.01 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 2,06.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- विश्राम गृह/सर्किट भवनों का निर्माण-

**योजना**

मूल	9,64.00	9,64.00	13,14.45	+3,50.43
-----	---------	---------	----------	----------

₹ 3,50.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 13,14.45 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7.98 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

05- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

**योजना**

मूल	9,35.00			
पूरक	2,00.00	14,35.00	13,89.97	(-)45.03
पुनर्वि०	3,00.00			

₹ 45.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का आवर्धन कार्यालय निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 13,89.97 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.44 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 45.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- पुल-

01- पुलों का निर्माण-

**गैर योजना**

पूरक	75.00	75.00	1,23.59	+48.59
------	-------	-------	---------	--------

₹ 48.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,23.59 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 34.30 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	5,00.00			
			18,77.93	24,32.69	+5,54.76
	पुनर्वि०	13,77.93			
337-	सड़क निर्माण कार्य-				
02-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	65,24.00			
	पूरक	6,22.00	1,01,08.33	1,12,26.79	+11,18.46
	पुनर्वि०	29,62.33			
<p>उपरोक्त दो मामलों में ₹ 16,73.22 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43,40.26 लाख का आवर्धन ग्रामीण सड़क कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 24,32.69 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 39.47 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,12,26.79 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5,50.57 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।</p> <p>उपरोक्त दो मामलों में ₹ 16,73.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।</p>					
06-	प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और निवल वर्तमान मूल्य की अदायगी)-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	10,00.00			
			30,00.00	30,50.53	+50.53
	पूरक	20,00.00			
<p>₹ 50.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 30,50.53 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,24.43 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।</p>					
09-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-				
	<b>केन्द्रीय प्रयोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	3,55,37.00			
	पूरक	1,17,11.68	5,20,82.00	6,51,78.00	+1,30,96.00
	पुनर्वि०	48,33.32			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

₹ 1,30,96.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48,33.32 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,45,24.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 1,30,96.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	39,49.00			
पूरक	58.20	57,86.00	72,42.00	+14,56.00
पुनर्वि०	17,78.80			

₹ 14,56.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,78.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण राज्य का अधिक हिस्सा आनुपातिक रूप से जारी होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 14,56.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान  
(सड़कें एवं पुल)-

**योजना**

मूल	20.00			
		3,32.84	8,50.72	+5,17.88
पूरक	3,12.84			

₹ 5,17.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- (x) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- कार्यालय भवन-

051- सामान्य पूल आवास का निर्माण-

12- सामान्य प्रशासन-

**योजना**

(i) मूल 1,40.00

		91.46	53.93	(-)37.53
पुनर्वि०	(-)48.54			

**4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सामान्य पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	41,75.00			
			19,25.22	15,16.46	(-)4,08.76
	पुनर्वि०	(-)22,49.78			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,46.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,98.32 लाख की कमी भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 15,16.46 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 53.96 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,46.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

**गैर योजना**

(i)	मूल	60,00.00			
			74,93.70	53,34.04	(-)21,59.66
	पूरक	14,93.70			

05- सड़क से असंबद्ध पंचायतों को राजमार्गों से जोड़ना--

**योजना**

(ii)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,71.51	(-)28.49
------	-----	---------	---------	---------	----------

08- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-

**योजना**

(iii)	मूल	6,58.00	6,58.00	4,79.54	(-)1,78.46
-------	-----	---------	---------	---------	------------

10- ब्लैक स्पॉट्स का सुधार- सड़क उपाय और जियोमेट्रिक्स तथा राइडिंग क्वालिटी में सुधार-

**गैर योजना**

(iv)	मूल	40,00.00			
			40,15.00	38,90.64	(-)1,24.36
	पूरक	15.00			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 24,90.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,71.51 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.63 तथा क्रम संख्या (iv) में ₹ 38,90.64 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

₹ 54.58 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

11- मुख्यमंत्री सड़क योजना-  
**गैर योजना**

मूल	50,00.00			
		60,00.00	44,07.40	(-)15,92.60
पुनर्वि०	10,00.00			

₹ 15,92.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन सड़क निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 44,07.40 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,06.79 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 15,92.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

17- मुख्य जिला और अन्य के तहत  
मशीनरी और उपकरणों की खरीद-  
**योजना**

मूल	1,30.00	1,30.00	..	(-)1,30.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 1,30.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

18- प्रमुख जिला एवं अन्य सड़कों का निर्माण-  
**योजना**

मूल	3,00.00	3,00.00	2,57.07	(-)42.93
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 42.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,57.07 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 23.83 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

19- राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के  
अन्तर्गत सड़क निर्माण-  
**योजना**

मूल	3,09,11.00			
		2,37,91.94	1,90,80.35	(-)47,11.59
पुनर्वि०	(-)71,19.06			

₹ 47,11.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 71,19.06 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

कोषागारों से ₹ 1,90,80.35 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,88.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 47,11.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

20- केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	72,39.00			
		1,29,28.00	1,19,42.65	(-)9,85.35
पूरक	56,89.00			

₹ 9,85.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,19,42.65 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

21- विश्व बैंक राज्य सड़कें-

**योजना**

मूल	82,00.00			
		45,00.00	45,00.00	..
पुनर्वि०	(-)37,00.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37,00.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई ।

23- हिमाचल सड़क सुधार योजना-

**गैर योजना**

मूल	25,00.00	25,00.00	23,68.53	(-)1,31.47
-----	----------	----------	----------	------------

₹ 1,31.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 23,68.53 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,35.11 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

24- माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र

गुणवता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-  
**योजना**

मूल	55.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)55.00			

मार्च 2021 में ₹ 55.00 लाख का समस्त प्रावधान वाहनों, मशीनरी और उपकरणों की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

25- सड़कों और पुलों के अन्तर्गत व्यवहारता अध्ययन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

26- सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिए परामर्श-  
**योजना**

(i) मूल	2,63.00	2,63.00	1,48.47	(-)1,14.53
---------	---------	---------	---------	------------

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- सड़क किनारे सुविधा/वृक्षारोपण -  
**योजना**

(ii) मूल	2,50.00	2,50.00	1,80.52	(-)69.48
----------	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,84.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या में (ii) ₹ 1,80.52 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 12.99 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(xi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान  
(सड़कें एवं पुल)-

**गैर योजना**

पूरक	17,77.47	17,77.47	12,45.20	(-)5,32.27
------	----------	----------	----------	------------

₹ 5,32.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

### (xii) उच्चंत लेन देन-

इस अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 4,44,98.83 लाख (₹ 4,44,98.83 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 0.00 व्यय) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबंध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता है तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड है:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

#### (i) स्कन्ध:-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

#### (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

#### (iii) कार्यशाला उच्चंत:-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)**

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में )	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>2059- लोक निर्माण कार्य</b>				
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)2,42,30.83	1,21,50.02	1,04,54.03	(-)2,25,34.84*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+27,78.28	45,98.70	38,69.84	+35,07.14
03- विविध लोक निर्माण कार्य	+3,52,66.44	2,77,50.11	73,27.62	+5,56,88.93
अग्रिम-				
04- कार्यशाला उच्चत-	+0.07	0.00	0.00	+0.07
<b>कुल 2059</b>	<b>+1,38,13.96</b>	<b>4,44,98.83</b>	<b>2,16,51.49</b>	<b>+3,66,61.30</b>
<b>कुल राजस्व प्रवर्ग</b>	<b>+1,38,13.96</b>	<b>4,44,98.83</b>	<b>2,16,51.49</b>	<b>+3,66,61.30</b>
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
03- राजकीय उच्च मार्ग-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला उच्चत-	(-)1,99.52	0.00	0.00	(-)1,99.52*
<b>कुल 5054</b>	<b>(-)2,54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)2,54.40*</b>
<b>कुल पूंजीगत प्रवर्ग-</b>	<b>(-)2,54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)2,54.40*</b>
<b>कुल माँग का जोड़-</b>	<b>+1,35,59.56</b>	<b>4,44,98.83</b>	<b>2,16,51.49</b>	<b>+3,64,06.90</b>

\* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11- कृषि**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,48,46,81			
		4,48,46,85	3,69,49,26	(-)78,97,59
पूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				44,66,43
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		5,30	..	(-)5,30
पूरक	5,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	86,00,95			
		86,00,95	76,49,30	(-)9,51,65
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,43,69

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 78,97.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 44,66.43 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,69,49.26 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7,78.47 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 5.30 लाख का समस्त विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,51.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,43.69 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 76,49,30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,04.69 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

#### राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2401- फसल- कृषि-कर्म-</b>			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
<b>गैर योजना</b>			
(i) मूल	14,05.27		
पुनर्वि०	(-)3,73.13	10,32.14	9,15.91
			(-)1,16.23
02- जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-			
<b>गैर योजना</b>			
(ii) मूल	27,40.19		
पुनर्वि०	(-)10,86.61	16,53.58	15,42.79
			(-)1,10.79

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,27.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,59.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,27.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अगस्त 2021)।

- 103- बीज-
- 01- बीजों का वितरण-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	16,20.84			
		11,03.93	10,91.74	(-)12.19
पुनर्वि०	(-)5,16.91			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,16.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

105- खाद तथा उर्वरक-

04- भू-विज्ञान तथा रसायन -

**गैर योजना**

मूल	6,00.96			
		3,68.90	3,36.32	(-)32.58
पुनर्वि०	(-)2,32.06			

₹ 32.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,32.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- गुणवत्ता नियन्त्रक प्राप्तिर्यों का विकास (उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)-

**गैर योजना**

मूल	88.80			
		55.74	56.16	+0.42
पुनर्वि०	(-)33.06			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान-

**गैर योजना**

मूल	15,00.00			
		87.85	81.18	(-)6.67
पुनर्वि०	(-)14,12.15			

मार्च 2021 पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,12.15 लाख की सारभूत कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण तथा पिछले वर्ष में आहरित अग्रिम चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट द्वारा आवंटित राशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

**योजना**

मूल	6,60.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)6,60.00			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2021 में ₹ 6,60.00 लाख का समस्त प्रावधान पिछले वर्ष में आहरित अग्रिम चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट द्वारा आबंटित राशि अप्रयुक्त रहने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर कर दिया गया।

107- वनस्पति संरक्षण-

07- कृषि उत्पादन संरक्षण योजना(एंटी हेल नेट संरचना)-  
गैर योजना

मूल	10,00.00	10,00.00	73.83	(-)9,26.17
-----	----------	----------	-------	------------

₹ 9,26.17 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

25- सामान्य कृषि विस्तार/प्रशिक्षण-  
गैर योजना

मूल	30,87.35			
		20,61.76	20,39.06	(-)22.70

पुनर्वि० (-)10,25.59

₹ 22.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,25.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 22.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

01- कृषि सांख्यिकी अनुभाग (सामयिक प्रतिवेदन योजना)-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

मूल	70.00	70.00	56.00	(-)14.00
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 14.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

गैर योजना

मूल	1,17.02			
		60.93	54.75	(-)6.18

पुनर्वि० (-)56.09

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- निदान नमूना सर्वेक्षण एवं अध्ययन(फसल सांख्यिकी में सुधार)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

मूल	45.00	45.00	33.39	(-)11.61
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 11.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)**

113-	कृषि इंजीनियरिंग-				
01-	कृषि उपकरण तथा मशीनरी- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	1,03.83			
			77.53	70.54	(-)6.99
	पुनर्वि०	(-)26.30			
	मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
115-	लघु/ उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-				
01-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	26.00	26.00	12.20	(-)13.80
	₹ 13.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
02-	कृषि कोष- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	20,00.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)20,00.00			
	मार्च 2021 में ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को अंतिम रूप न देने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
800-	अन्य व्यय-				
13-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	5,03.00	5,03.00	3,37.34	(-)1,65.66
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	56.00	56.00	37.46	(-)18.54
16-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	8,88.00	8,88.00	8,01.62	(-)86.38
	<b>योजना</b>				
18-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरणीय स्कीम- <b>गैर योजना</b>				
(iv)	मूल	1,00.00	1,00.00	14.25	(-)85.75

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 3,56.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 3,37.34 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,00.00 तथा क्रम संख्या (iii) में ₹ 8,01.62 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,15.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 20- फसल विविधिकरण योजना (जापान अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अभिकरण) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चरण-II-  
**योजना**

मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
-----	------	------	----	---------

मार्च 2021 में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 21- जल से कृषि को बल योजना-  
**गैर योजना**

(i) मूल	25,00.00	25,00.00	24,55.04	(-)44.96
---------	----------	----------	----------	----------

- 22- प्रवाह सिंचाई योजना-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	15,00.00	15,00.00	14,75.72	(-)24.28
----------	----------	----------	----------	----------

- 23- सौर सिंचाई योजना-  
**गैर योजना**

(iii) मूल	5,00.00	5,00.00	91.74	(-)4,08.26
-----------	---------	---------	-------	------------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 4,77.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 14,75.72 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 24- परम्परागत कृषि विकास योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	2,47.00			
		6,91.63	2,46.99	(-)4,44.64
पुनर्वि०	4,44.63			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

₹ 4,44.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,44.63 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,44.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2402- भू तथा जल संरक्षण-**

101- मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण-

01- कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण (कृषि विभाग)-

**गैर योजना**

मूल 2,92.24

1,76.70

1,51.82

(-)24.88

पुनर्वि० (-)1,15.54

₹ 24.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 24.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

102- मृदा संरक्षण -

01- कृषि भूमि भू- संरक्षण (कृषि विभाग)-

**गैर योजना**

मूल 25,11.07

20,38.79

18,23.63

(-)2,15.16

पुनर्वि० (-)4,72.28

₹ 2,15.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,72.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,15.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण

(कृषि विभाग)-

**गैर योजना**

मूल 1,98.04

1,25.81

1,08.90

(-)16.91

पुनर्वि० (-)72.23

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल 3,38.00

3,38.00

..

(-)3,38.00



## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

## योजना

(ii)	मूल	38.00	38.00	..	(-)38.00
------	-----	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,76.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

(i)	मूल	5,92.00	5,92.00	4,30.16	(-)1,61.84
-----	-----	---------	---------	---------	------------

## योजना

(ii)	मूल	66.00	66.00	48.09	(-)17.91
------	-----	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,79.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 4,30.16 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 4,23.60 की राशि तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 48.09 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 37.87 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## 2407- बागान-

## 01- चाय-

## 800- अन्य व्यय-

## 01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास-

## गैर योजना

मूल	1,52.16				
पूरक	0.01	1,01.05	90.89		(-)10.16
पुनर्वि०	(-)51.12				

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

## 2810- नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा-

## 01- जैव ऊर्जा-

## 103- बायोगैस-

## 01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

## गैर योजना-

मूल	6,35.23				
		4,39.73	4,65.12		+25.39
पुनर्वि०	(-)1,95.50				

₹ 25.39 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,95.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

₹ 25.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

मुख्यशीर्ष 2810- नई और नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष 01-बायो एनर्जी-मुख्य एवं लघु शीर्ष को लेखाओं की सूची में नहीं दर्शाया गया है जोकि तीन वर्षों से गलत तरीके से संचालित किया जा रहा है।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2401- फसल- कृषि-कर्म-</b>			
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-			
27- प्रौद्योगिकी एवं विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i) मूल	7,33.00		
		8,77.95	
पुनर्वि०	1,44.95		
		8,77.95	..
30- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	1,95.00		
पूरक	0.02	2,60.11	
पुनर्वि०	65.09		
		2,53.56	(-)6.55
31- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii) मूल	9,77.00		
		25,43.80	
पुनर्वि०	15,66.80		
		25,43.80	..
<b>योजना</b>			
(iv) मूल	1,09.00		
		2,82.64	
पुनर्वि०	1,73.64		
		2,82.64	..

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,50.48 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

32- राष्ट्रीय बाँस मिशन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	1.00			
		69.10	69.10	..
पुनर्वि०	68.10			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 69.10 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

मूल	1.00			
		7.68	7.68	..
पुनर्वि०	6.68			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.68 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

33- कृषि से संपदा योजना-  
योजना

पूरक	0.01			
		96.60	96.60	..
पुनर्वि०	96.59			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.59 लाख का आवर्धन नई योजना के कार्यान्वयन तथा राज्य में केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निधियां प्रदान करने के कारण हुआ।

## 800- अन्य व्यय-

## 14- फसल विविधिकरण परियोजना (जापान

अंतराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण)-

**गैर योजना**

..	..	33.63	+33.63	
----	----	-------	--------	--

₹ 33.63 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

25- मृदा स्वास्थ्य उर्वरता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	2,47.00			
		3,52.18	3,52.18	..
पुनर्वि०	1,05.18			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.18 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

## योजना

मूल	27.00			
		39.13	39.13	..
पुनर्वि०	12.13			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.13 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

## 2403- पशुपालन-

107 - खाद्य एवं चारा विकास-

05- उत्तम चारा उत्पादन योजना-

## योजना

मूल	3,69.00			
		5,45.50	5,45.50	..
पुनर्वि०	1,76.50			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.50 लाख का आवर्धन कृषकों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

## 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

277- शिक्षा-

01- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को

शिक्षा हेतु सहायता अनुदान-

## योजना

मूल	17,70.00			
		27,70.00	27,70.00	..
पुनर्वि०	10,00.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्ध देनदारियों की निकासी के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

## 2401- फसल कृषि कर्म-

001- प्रशासन-

01- निदेशालय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)**

**गैर योजना**

पूरक	5.30	5.30	..	(-)5.30
------	------	------	----	---------

मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 5.30 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे(अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-**

103- बीज-

01- अभिवृद्धि बीजों का क्रय-

**गैर योजना**

(i) मूल	39,97.58	39,97.58	39,70.97	(-)26.61
---------	----------	----------	----------	----------

800- अन्य व्यय-

01- भवन-

**योजना**

(ii) मूल	8,08.00	8,08.00	7,08.00	(-)1,00.00
----------	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,26.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-**

102 मृदा संरक्षण-

02- लघु किसान विकास एजेंसी(ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि)-

**योजना**

मूल	13,16.00			
		6,72.31	5,70.10	(-)1,02.21

पुनर्वि0 (-)6,43.69

₹ 1,02.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,43.69 लाख की कमी कृषक समुदाय से मांगों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,70.10 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 46.13 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,02.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

- 03- सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम  
से प्रभावी सिंचाई योजना-  
योजना

मूल	19,74.00	19,74.00	18,95.00	(-)79.00
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 79.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 18,95.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 58.45 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या- 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग दत्तमत</b>				
मूल	4,06,71,98			
		4,93,46,10	4,78,11,67	(-)15,34,43
पूरक	86,74,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
<b>पूंजीगत प्रवर्ग दत्तमत</b>				
मूल	16,85,13			
		16,85,13	13,85,42	(-)2,99,71
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,34.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 86,74.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,78,11.67 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 63,29.59 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में कुल मिलाकर ₹ 2,99.71 लाख की बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

## राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2401- फसल कृषि-कर्म-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

01- निदेशालय-

## गैर योजना

मूल 13,59.87

9,02.87

8,39.81

(-)63.06

पुनर्वि० (-)4,57.00

₹ 63.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,57.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, बिजली, पानी तथा टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 63.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- जिला तथा अधीनस्थ कर्मचारी-

## गैर योजना

मूल 32,90.17

23,30.17

21,92.25

(-)1,37.92

पुनर्वि० (-)9,60.00

₹ 1,37.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,60.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,37.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- उद्यान विकास-

## गैर योजना

मूल 17,87.83

16,85.83

16,53.19

(-)32.64

पुनर्वि० (-)1,02.00

₹ 32.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी तथा टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 16,53.19 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 73.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 32.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## योजना

(i) मूल 1,15.00

1,15.00

92.42

(-)22.58

06- वनस्पति पोषण कार्यक्रम-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)**

	<b>गैर योजना</b>			
(ii)	मूल	1,48.17		
			1,29.17	98.49
				(-)30.68
	पुनर्वि०	(-)19.00		
	<b>योजना</b>			
(iii)	मूल	18.00	18.00	11.15
				(-)6.85
	उपरोक्त तीन मामलों में 60.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
09-	मधुमखी पालन योजना-			
	<b>गैर योजना</b>			
	मूल	3,71.08		
			2,48.08	2,30.02
				(-)18.06
	पुनर्वि०	(-)1,23.00		
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
	<b>योजना</b>			
	मूल	10.00	10.00	7.66
				(-)2.34
	₹ 2.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
10-	पुष्प कृषि विकास-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	10.00	10.00	2.72
				(-)7.28
	₹ 7.28 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
11-	राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं			
	की स्थापना तथा रख-रखाव-			
	<b>गैर योजना</b>			
	मूल	9,96.98		
			6,45.98	5,93.23
				(-)52.75
	पुनर्वि०	(-)3,51.00		
	₹ 52.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 52.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
	<b>योजना</b>			
	मूल	15.00		
			13.00	6.24
				(-)6.76
	पुनर्वि०	(-)2.00		
	₹ 6.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

15- खुम्ब खेती परियोजना-  
गैर योजना

मूल	3,29.59			
		2,29.59	2,08.39	(-) 21.20
पुनर्वि०	(-) 1,00.00			

₹ 21.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## योजना

मूल	2,73.56			
		36.56	16.06	(-)20.50
पुनर्वि०	(-)2,37.00			

₹ 20.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,37.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

18- कृषक प्रशिक्षण-  
योजना

मूल	30.00	30.00	18.80	(-)11.20
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 11.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

19- प्रशिक्षण तथा विस्तार-  
गैर योजना

मूल	32,14.11			
		21,22.11	19,80.59	(-)1,41.52
पुनर्वि०	(-)10,92.00			

₹ 1,41.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,92.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,41.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## योजना

मूल	5.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)5.00			

मार्च 2021 में ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

## 26- फल वपनीय स्कीम-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	7,80.52			
		5,60.52	5,21.97	(-)38.55
पुनर्वि०	(-)2,20.00			

₹ 38.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,20.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 38.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	45.00			
		31.26	29.10	(-)2.16
पुनर्वि०	(-)13.74			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.74 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

35- अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-  
**योजना**

मूल	12.00			
		2.00	2.00	..
पुनर्वि०	(-)10.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

56- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-  
**योजना**

मूल	3,49.00			
पूरक	2,46.25	4,04.03	4,04.03	..
पुनर्वि०	(-)1,91.22			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,91.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

71- बागवानी सुरक्षा योजना-  
**गैर योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

72- हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना-  
**गैर योजना**

मूल	10,00.00			
		7,47.91	7,36.35	(-)11.56
पुनर्वि०	(-)2,52.09			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.09 लाख की कमी कोविड-19 की वजह से औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,36.35 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,17.10 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

75- मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-  
गैर योजना

मूल	5,00.00			
		2,80.25	2,49.29	(-)30.96
पुनर्वि०	(-)2,19.75			

₹ 30.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.75 लाख की कमी कोविड परिस्थिति के कारण वर्ष के दौरान औपचारिकताओं को समय पर पूरा न किए जा सकने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 30.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

76- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-  
योजना

मूल	9,82.00			
		7,86.70	..	(-)7,86.70
पुनर्वि०	(-)1,95.30			

₹ 7,86.70 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,95.30 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7,86.70 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## योजना

मूल	1,30.43			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,30.43			

मार्च 2021 में ₹ 1,30.43 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

78- राष्ट्रीय बाँस मिशन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

80- मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना-  
गैर योजना

मूल 6,67.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)6,67.00

मार्च 2021 में ₹ 6,67.00 लाख का समस्त प्रावधान दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

81- महक योजना-  
गैर योजना

मूल 5,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)5,00.00

मार्च 2021 में ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

10- पुष्प कृषि विकास-

गैर योजना

मूल 1,55.10

5,10.10

4,97.56

(-)12.54

पुनर्वि० 3,55.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,55.00 लाख का आवर्धन कोविड-19 से हुई हानि के लिये पुष्प कृषि करने वालों को मुआवजा प्रदान करने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

22- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-  
योजना

मूल 9,03.00

24,36.00

24,33.00

(-)3.00

पुनर्वि० 15,33.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,33.00 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

56- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

मूल	11,85.00			
		14,20.00	14,20.00	..
पुनर्वि०	2,35.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,35.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

62- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-  
योजना

(i) मूल	1,97.00			
पूरक	0.01	8,28.71	8,05.70	(-)23.01
पुनर्वि०	6,31.70			

73- मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-  
गैर योजना

(ii) मूल	0.01			
		1,02.80	76.37	(-)26.43
पुनर्वि०	1,02.79			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 49.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,34.49 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के चुकाने के लिए निधियों को अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 14,04.00 लाख का अनुदान क्रम संख्या (i) पर प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 49.44 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

77- हिमाचल उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई  
और मूल्य संवर्धन परियोजना-  
योजना

मूल	75.00			
		24,55.00	24,55.00	..
पुनर्वि०	23,80.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23,80.00 लाख का आवर्धन नई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियां उपलब्ध करवाने के कारण हुआ।

## 2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

004- अनुसंधान-

03- डॉ० यशवन्त सिंह परमार बागवानी और वानिकी  
विश्वविद्यालय की सहायता के लिए अनुदान-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 12 (समाप्त)**

**योजना**

मूल	65,81.00			
पूरक	4,27.86	76,18.90	76,18.90	..
पुनर्वि०	6,10.04			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,10.04 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के पेंशन और वेतन की लंबित देनदारियों को समाप्त करने और केन्द्र सरकार की संस्थागत विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के बीस प्रतिशत हिस्से के रूप में प्रदान करने के कारण हुआ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-**

119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-

02- पौद्य संरक्षण औजारों की खरीद-

**गैर योजना**

मूल	12,93.10	12,93.10	9,93.42	(-)2,99.68
-----	----------	----------	---------	------------

₹ 2,99.68 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	27,74,82,34			
		27,74,82,36	26,44,74,43	(-)1,30,07,93
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,83,65,25
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
		8,51	16,90	+8,39
पूरक	8,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	9,51,47,63			
		9,51,47,66	9,21,64,37	(-)29,83,29
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		2,95,10	1,15,47	(-)1,79,63
पूरक	2,95,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 8,39,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,30,07.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,83,65.25 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 26,44,74.43 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,92.28 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 8.39 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 8.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29,83.29 लाख की बचत हुई लेकिन वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 9,21,64.37 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,79,09 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,79.63 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 2,95.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2215- जलापूर्ति तथा सफाई-</b>			
01- जलापूर्ति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशन-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	41,47.29		
		28,71.79	25,70.68
पुनर्वि0	(-)12,75.50		(-)3,01.11

₹ 3,01.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,75.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

₹ 3,01.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- निष्पादन-  
गैर योजना

मूल	1,49,59.18			
पूरक	0.01	1,09,55.07	97,60.59	(-)11,94.48
पुनर्वि०	(-)40,04.12			

₹ 11,94.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40,04.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि क्षेत्रीय कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद तथा किराये के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11,94.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजना  
के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई-  
गैर योजना

मूल	2,29.32			
		1,37.58	93.71	(-)43.87
पुनर्वि०	(-)91.74			

₹ 43.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 43.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-  
02- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति  
योजनाओं का रख-रखाव तथा मरम्मत-  
गैर योजना

मूल	2,56,53.34			
		2,35,14.68	2,22,79.78	(-)12,34.90
पुनर्वि०	(-)21,38.66			

₹ 12,34.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,38.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 12,34.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- वसूलियों के समायोजन करने हेतु रख-रखाव में प्रावधान-  
गैर योजना

मूल	1,14,83.34			
		93,44.68	81,02.19	(-)12,42.49
पुनर्वि०	(-)21,38.66			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

₹ 12,42.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,38.66 लाख की कमी कार्य प्रभारित शीर्षों में वसूलियों के कम समायोजन करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 12,42.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

03- ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना का रखरखाव तथा मरम्मत-  
**गैर योजना**

मूल 6,61,62.17

5,37,54.65

5,08,34.01

(-)29,20.64

पुनर्वि० (-)1,24,07.52

₹ 29,20.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24,07.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते को जारी न करने के कारण हुई जोकि पैरा स्टॉफ की अधिक नियुक्ति करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 29,20.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- वसूलियों के समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-  
**गैर योजना**

मूल 4,55,84.91

3,30,13.13

2,55,15.03

(-)74,98.10

पुनर्वि० (-)1,25,71.78

₹ 74,98.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25,71.78 लाख की कमी वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 74,98.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

14- जल जीवन मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 22,14.38

22,14.38

11,25.40

(-)10,88.98

**योजना**

(ii) मूल 3,69.00

3,69.00

1,25.04

(-)2,43.96

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13,32.94 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2700- मुख्य सिंचाई-**

01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 11,43.86

8,45.29

7,75.93

(-)69.36

पुनर्वि० (-)2,98.57

₹ 69.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,98.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 69.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

**योजना**

मूल 3,06.13

3,06.13

..

(-)3,06.13

₹ 3,06.13 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- स्टॉक विनिर्माण-

**योजना**

मूल 2,22.64

2,22.64

8.09

(-)2,14.55

₹ 2,14.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

**योजना**

मूल 1,60.03

1,60.03

..

(-)1,60.03

₹ 1,60.03 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2701- मध्यम सिंचाई-**

11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 41.18

21.04

19.16

(-)1.88

पुनर्वि० (-)20.14

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	3.63			
		..	3.35	+3.35
पुनर्वि०	(-)3.63			
₹ 3.35 लाख के बिना प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2021 में ₹ 3.63 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की बुकिंग न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।				
₹ 3.35 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)				
02- स्कन्ध निर्माता-				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	1.21			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.21			
03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	1.21			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.21			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.42 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में सामग्री की बुकिंग न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
12- बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्य)-				
001- निदेशन एवं प्रशासन-				
01- स्थापना पर व्यय-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	1,04.65			
		36.97	30.92	(-)6.05
पुनर्वि०	(-)67.68			
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	3.63			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)3.63			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

02-	स्कन्ध निर्माता-				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1.21			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.21			
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	2.42			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.42			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 7.26 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में सामग्री की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया ।				
15-	चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	70.23			
			62.34	41.20	(-)21.14
	पुनर्वि०	(-)7.89			
	₹ 21.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
799-	उच्चंत-				
01-	भंडार-				
(i)	<b>योजना</b>				
	मूल	24.20			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)24.20			
02-	स्कन्ध निर्माता-				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	4.84			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)4.84			
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	1.82			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.82			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 30.86 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में सामग्री की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया ।

16-	<i>बहाव सिंचाई परियोजना सिधाटा (गैर वाणिज्यिक)-</i>			
001-	निदेशन और प्रशासन-			
01-	स्थापना पर व्यय-			
	<b>गैर योजना</b>			
	मूल	3,76.55		
			53.70	45.22
				(-)8.48
	पुनर्वि०	(-)3,22.85		

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,22.85 लाख की सारभूत कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

799-	उच्चंत-			
01-	स्कन्ध-			
	<b>योजना</b>			
(i)	मूल	1,02.85		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1,02.85		..
02-	स्टॉक निर्माण-			
	<b>योजना</b>			
(ii)	मूल	18.15		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)18.15		..
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-			
	<b>योजना</b>			
(iii)	मूल	42.35		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)42.35		..

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,63.35 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में सामग्री की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया ।

20-	<i>फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-</i>			
799-	उच्चंत-			
02-	स्कन्ध निर्माण-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	60.50	60.50	19.77
				(-)40.73

₹ 40.73 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

21- हल्टी सुनराग बटांटा मध्यम  
सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-  
योजना

(i) मूल 60.50

.. .. ..

पुनर्वि० (-)60.50

02- स्टॉक निर्माण-  
योजना

(ii) मूल 12.10

.. .. ..

पुनर्वि० (-)12.10

03- लोक निर्माण विविध अग्रिम-  
योजना

(iii) मूल 5.45

.. .. ..

पुनर्वि० (-)5.45

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 78.05 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में सामग्री की खरीद न हाने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**2702- लघु सिंचाई-**

01- सतही जल-

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-  
योजना

(i) मूल 18,15.00 18,15.00 16,78.43 (-)1,36.57

02- स्कन्ध निर्माण-  
योजना

(ii) मूल 4,84.00 4,84.00 1,20.07 (-)3,63.93

03- रख-रखाव-

102- उठाऊ सिंचाई योजनाएं-

01- अन्य रखरखाव व्यय-  
गैर योजना

(iii) मूल 56,13.29 56,13.29 55,72.42 (-)40.87



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,41.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्य (ii) में ₹ 1,20.07 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.14 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 1,23,79.53

77,65.73

68,93.88

(-)8,71.85

पुनर्वि० (-)46,13.80

₹ 8,71.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,13.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते को जारी न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान तथा जल शक्ति विभाग के मुख्यालय के संपत्ति कर के भुगतान करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,71.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग के लिए स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 2,91,53.47

2,33,11.65

2,05,36.97

(-)27,74.68

पुनर्वि० (-)58,41.82

₹ 27,74.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58,41.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27,74.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- वसूलियों के समायोजन करने हेतु रखरखाव

में प्रावधान-

**गैर योजना**

मूल 2,91,53.47

2,32,91.05

1,71,60.49

(-)61,30.56

पुनर्वि० (-)58,62.42

₹ 61,30.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58,62.42 लाख की कमी कार्य प्रभारित शीर्षों में वसूलियों के कम समायोजन करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

₹ 61,30.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

**गैर योजना**

मूल 5,19.55

3,98.82

3,04.21

(-)94.61

पुनर्वि0 (-)1,20.73

₹ 94.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 94.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

799- उच्चत-

02- स्कन्ध उत्पादन-

**योजना**

मूल 97.41

97.41

54.12

(-)43.29

₹ 43.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाखों में)		

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति-

005- सर्वेक्षण जाँच पडताल-

02- बाह्य स्रोत के माध्यम से विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण-

**गैर योजना**

मूल 57.75

3,77.75

11,77.76

+8,00.01

पुनर्वि0 3,20.00

₹ 8,00.01 लाख के सारभूत आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,20.00 लाख का आवर्धन विस्तृत परियोजन प्रतिवेदनों को तैयार करने पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 11,77.76 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,73.27 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 8,00.01 लाख के सारभूत आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-

05- सामग्री और दैनिक वेतन भोगियों पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल	27,83.39	27,83.39	28,80.20	+96.81
-----	----------	----------	----------	--------

₹ 96.81 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 28,80.20 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,16.73 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

13- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन  
तथा सामग्री हेतु व्यय-  
**गैर योजना**

मूल	47,85.60			
पूरक	0.01	75,89.15	75,47.99	(-)41.16
पुनर्वि०	28,03.54			

₹ 41.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28,03.54 लाख का आधिक्य निजि भूमि व ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के अर्जन के लिए देनदारियों के भुगतान तथा मजदूरी पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 75,47.99 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 8.43 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 41.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

799- उच्चंत-

01- उच्चंत पर व्यय-  
**योजना**

(i) मूल	62,61.75	62,61.75	2,76,51.22	+2,13,89.47
---------	----------	----------	------------	-------------

03- विविध लोक निर्माण की विभिन्न अदायगियां-  
**योजना**

(ii) मूल	57,05.15	57,05.15	4,13,45.65	+3,56,40.50
----------	----------	----------	------------	-------------

**2216- आवासीय-**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

05-	साधारण पूल आवास-				
053-	मरम्मत एवं रखरखाव-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	5.79	5.79	7.76	+1.97
<b>2701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई -</b>				
20-	फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-				
	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	2,42.00	2,42.00	31,13.10	+28,71.10
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	<b>योजना</b>				
(v)	मूल	38.72	38.72	7,99.57	+7,60.85
<b>2702-</b>	<b>लघु सिंचाई-</b>				
01-	सतही जल-				
799-	उच्चंत-				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	<b>योजना</b>				
(vi)	मूल	3,63.00	3,63.00	4,59.51	+96.51
<p>उपरोक्त छः मामलों में ₹ 6,07,60.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 2,76,51.22 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6,97.08 लाख तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 4,13,45.65 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,62.98 लाख तथा क्रम संख्या (iii) में ₹ 7.76 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.24 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।</p>					
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
07-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	17,93.06			
			23,76.06	23,00.11	(-)75.95
	पुनर्वि0	5,83.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

₹ 75.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,83.00 लाख का आवर्धन विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं की लम्बित देनदारियों के समाशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 23,00.11 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 28.22 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 75.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-  
योजना

(i) मूल	4,17.45	4,17.45	9,96.08	+5,78.63
---------	---------	---------	---------	----------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-  
योजना

(ii) मूल	83.49	83.49	3,45.69	+2,62.20
----------	-------	-------	---------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,40.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**(viii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति-

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

13- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-  
गैर योजना

मूल	0.01	0.01	8.40	+8.39
-----	------	------	------	-------

₹ 8.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

**(ix) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

01-	जलापूर्ति-				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
08-	हेड पंप-				
	<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	1,00.00	1,00.00	59.30	(-)40.70
23-	जल जीवन मिशन-				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	48,96.00	48,96.00	39,45.26	(-)9,50.74

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9,91.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार ₹ 3,23,11.43 से लाख का अनुदान क्रम संख्य (ii) पर योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 59.30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.94 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

24-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)- <b>योजना</b>				
	मूल	37,50.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)37,50.00			

₹ 37,50.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

25-	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत मल निकासी योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में वित्त पोषण अभिकरण से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

<b>4701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-</b>
20-	फिना सिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-
800-	अन्य व्यय-
02-	अन्य व्यय-
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल 7,78.92

पुनर्वि० (-)7,78.92

₹ 7,78.92 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**योजना**

मूल 64,87.90

64,01.00

64,01.00

पुनर्वि० (-)86.90

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई तथा राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-गैर वाणिज्यिक-

800- अन्य व्यय-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 2,29.54

पुनर्वि० (-)2,29.54

**योजना**

(ii) मूल 25.50

पुनर्वि० (-)25.50

23- कौंसिल झरेरा मंडप परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- कौंसिल झरेरा मंडप परियोजना पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii) मूल 3.12

पुनर्वि० (-)3.12

24- परचू खड्ड परियोजना पर वर्षाजल संग्रहण(गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- परचू खड्ड के किनारे पर वर्षा संचयन का निर्माण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	1.56			
	पुनर्वि०	(-)1.56	..	..	..
25-	मध्यम सिंचाई परियोजना (सुक्काहर)(गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना (सुक्काहर)का निर्माण-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(v)	मूल	31.15			
	पुनर्वि०	(-)31.15	..	..	..
	<b>योजना</b>				
(vi)	मूल	3.46			
	पुनर्वि०	(-)3.46	..	..	..
26-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी (गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रीणी (जिला कुल्लू)-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(vii)	मूल	1.56			
	पुनर्वि०	(-)1.56	..	..	..
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी (गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी जिला कांगड़ा				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(viii)	मूल	31.15			
	पुनर्वि०	(-)31.15	..	..	..



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(ix)	मूल	3.46	..	..
	पुनर्वि०	(-)3.46		
उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 3,30.50 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>4702-</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
101-	सतही जल-			
02-	विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजनाएं-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	5,13.55	5,13.55	4,74.59
				(-)38.96
₹ 38.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,74.59 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.13 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
03-	विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना			
	(राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	46,63.00		
			44,89.00	39,99.23
				(-)4,89.77
	पुनर्वि०	(-)1,74.00		
₹ 4,89.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.00 लाख की कमी सिंचाई योजनाओं पर कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 39,99.23 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3.75 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
₹ 4,89.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
04-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-			
	योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में प्रवाह सिंचाई योजनाएं-			
	<b>योजना</b>			
(i)	मूल	6,63.12	6,63.12	6,35.23
				(-)27.89

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

07-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रवाह सिंचाई योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	32,20.80	32,20.80	86.18	(-)31,34.62
	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	3,78.80	3,78.80	12.65	(-)3,66.15
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 35,28.66 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 60,07.97 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 6,35.23 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 12.89 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
09-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण- <b>योजना</b>				
	मूल	15,00.00			
			10,10.32	7,05.39	(-)3,04.93
	पुनर्वि०	(-)4,89.68			
	₹ 3,04.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,89.68 लाख की कमी वर्षा जल संग्रहण संरचना कार्यों पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,05.39 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 50.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
	₹ 3,04.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
11-	जल संरक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजना ( बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)- <b>योजना</b>				
	मूल	66.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)66.00			
	मार्च 2021 में ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान निधि उपलब्ध करवाने वाली संस्था से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

102- भू-जल-

01- विभिन्न जिलों में नलकूप योजनाएं-  
योजना

(i) मूल 2,57.33 2,57.33 1,76.25 (-)81.08

03- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के  
अंतर्गत विभिन्न जिलों में ट्यूबवैल योजनाएं-  
योजना

(ii) मूल 28,98.88 28,98.88 27,69.74 (-)1,29.14

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,10.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 27,69.74 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.41 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-**

313- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-

01- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

मूल 32,25.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)32,25.00

मार्च 2021 में ₹ 32,25.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**गैर योजना**

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 35,01.00

31,72.00 23,79.74 (-)7,92.26

पुनर्वि० (-)3,29.00

₹ 7,92.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,29.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 23,79.74 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 8.58 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 7,92.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

**4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय-  
**योजना**

मूल	4,29.00	4,29.00	3,00.86	(-)1,28.14
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 1,28.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अगस्त 2021)।

10- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मंडी और  
हमीरपुर जलों में वर्षा बाढ़ से जाहू तक  
सीर खड्ड का तटीयकरण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	3,99.88	3,99.88	..	(-)3,99.88
---------	---------	---------	----	------------

**योजना**

(ii) मूल	44.39	44.39	..	(-)44.39
----------	-------	-------	----	----------

12- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय चरण में  
पंजाब सीमा की तरफ स्वां का तटीयकरण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii) मूल	1,86.89	1,86.89	..	(-)1,86.89
-----------	---------	---------	----	------------

**योजना**

(iv) मूल	20.76	20.76	..	(-)20.76
----------	-------	-------	----	----------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 6,51.92 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से  
गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी चार  
सहायक नदियों का तटीयकरण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	14,95.19			
---------	----------	--	--	--

पुनर्वि० (-)14,95.19

14- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला  
ऊना में लूखरी खड्ड का तटीयकरण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	3.73			
	पुनर्वि०	(-)3.73			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 14,98.92 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
15-	<b>बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील इन्दोरा में छौंछा खड्ड में बाढ़ संरक्षण कार्य- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	1,90.62	1,90.62	..	(-)1,90.62
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	21.17	21.17	..	(-)21.17
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,11.79 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
16-	<b>जिला कुल्लू में पलचान से औट का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
	मूल	3.73			
	पुनर्वि०	(-)3.73			
	मार्च 2021 में ₹ 3.73 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
17-	<b>जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	3,73.77	3,73.77	..	(-)3,73.77
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	41.52	41.52	..	(-)41.52
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,15.29 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
18-	<b>ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों का तहसील नदौन, जिला हमीरपुर और ज्वालामुखी तथा रक्कड़ जिला कांगड़ा में तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(i)	मूल	3.73		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)3.73		
19-	जिला कांगड़ा में जबेर और गरेली खड्ड का तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	3.73		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)3.73		
21-	जिला मण्डी में व्यास नदी में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सुकेती खड्ड और इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	3.73		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)3.73		
22-	हिमाचल प्रदेश बाढ़ तथा नदी प्रबंधन परियोजना (बाह्य सहायक प्राप्त परियोजना)			
<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 12.19 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य का हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			
23-	रेणुका बांध के लिए बीज राशि- <b>योजना</b>			
	मूल	5,00.00	5,00.00	2,50.00
				(-)2,50.00
	₹ 2,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
(x)	<b>उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-</b>			
	<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+)</b>
			<b>(₹ लाखों में)</b>	<b>बचत (-)</b>

**4215-** जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

01-	जलापूर्ति-				
101-	शहरी जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में शहरी पेयजल योजनाएं-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	33,66.00	33,66.00	34,90.84	+1,24.84
	₹ 1,24.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे(अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 34,90.84 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 52.35 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-				
	<b>गैर योजना</b>				
	पूरक	0.01			
			70.61	56.56	(-)14.05
	पुनर्वि०	70.60			
	₹ 14.05 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.60 लाख का आवर्धन निजी भूमि के अधिग्रहण के भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 14.05 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	36,01.00			
			1,04,11.47	1,59,19.18	+55,07.71
	पुनर्वि०	68,10.47			
	₹ 55,07.71 लाख के सारभूत आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68,10.47 लाख का आवर्धन निजी भूमि के अधिग्रहण के भुगतान तथा जलापूर्ति योजनाओं के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,59,19.18 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 44.41 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
	₹ 55,07.71 लाख के सारभूत आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
16-	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/				
	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	1,10,56.00			
			1,17,19.68	1,12,92.18	(-)4,27.50
	पुनर्वि०	6,63.68			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

₹ 4,27.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,63.68 लाख का आवर्धन विभिन्न कार्यों के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,12,92.18 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.90 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 4,27.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

101- सतही जल-

06- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना  
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)के अन्तर्गत विभिन्न  
जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएँ-  
**योजना**

मूल	5,68.20			
पूरक	0.01	8,70.36	7,68.43	(-)1,01.93
पुनर्वि०	3,02.15			

₹ 1,01.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.15 लाख का आवर्धन पिछले वर्ष की तरह केन्द्रीय हिस्सेदारी के बराबर राज्य की हिस्सेदारी के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,01.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- पर्वतधारा-

**योजना**

पूरक	0.01			
		5,00.00	2,87.12	(-)2,12.88
पुनर्वि०	4,99.99			

₹ 2,12.88 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.99 लाख का आवर्धन योजना के क्रियान्वयन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,12.88 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत  
दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां और इसकी  
चार सहायक नदियों का तटीयकरण-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	1,66.11			
		25,67.79	27,47.42	+1,79.63
पुनर्वि०	24,01.68			

₹ 1,79.63 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24,01.68 लाख का आवर्धन बाढ़ प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत स्वां नदी के तटीयकरण के कार्य के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,79.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(xi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--</b>			
01- बाढ़ नियन्त्रण-			
800- अन्य व्यय-			
13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां और इसकी चार सहायक नदियों का तटीयकरण-			
<b>योजना</b>			
पूरक	2,95.10	2,95.10	1,15.47
			(-) 1,79.63

₹ 1,79.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

**(xii) उच्चंत लेन-देन**

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 7,71,44.51 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 7,71,44.51 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये है।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा नं०- (xii) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+8,03.09	2,76,51.22	2,76,36.24	+8,18.07
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+23,51.78	5,60.00	4,71.95	+24,39.83
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+3,82,75.74	4,13,45.65	3,34,92.75	+4,61,28.64
<b>कुल योग 2215-</b>	<b>+4,14,30.61</b>	<b>6,95,56.87</b>	<b>6,16,00.94</b>	<b>+4,93,86.54</b>
<b>2700- मुख्य सिंचाई-</b>				
01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+5,79.24	0.00	0.00	+5,79.24
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+42.85	8.09	0.00	+50.94
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
<b>कुल योग 2700-</b>	<b>+5,91.65</b>	<b>8.09</b>	<b>0.00</b>	<b>+5,99.74</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<b>2701- मध्यम सिंचाई-</b>				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)3.96	3.35	0.00	(-)0.61*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+35.11	0.00	0.00	+35.11
<b>कुल योग- 2701-11-</b>	<b>+22.74</b>	<b>3.35</b>	<b>0.00</b>	<b>+26.09</b>
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5.93	0.00	0.00	+5.93
<b>कुल- 2701-15-</b>	<b>+2.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2.97</b>
16- सिधाटा बहाव सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+2.09	0.00	0.00	+2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+1.75	0.00	0.00	+1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
<b>कुल-2701-16-</b>	<b>(-)0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)0.09*</b>
20- फीना सिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+10,26.66	31,13.10	36,26.23	+5,13.53
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+55.02	19.77	0.00	+74.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	0.00	7,99.57	7.63	7,91.94
<b>कुल- 2701-20-</b>	<b>+10,81.68</b>	<b>39,32.44</b>	<b>36,33.86</b>	<b>+13,80.26</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<i>21- हल्टी सुनराग बंटान्ता मध्यम सिंचाई परियोजना-</i>				
<i>799- उच्चत-</i>				
01- स्कन्ध-	0.00	0.00	0.00	0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2.01	0.00	0.00	+2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
<b>कुल-2701-21-</b>	<b>+2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2.00</b>
<i>80- सामान्य-</i>				
<i>799- उच्चत-</i>				
01- स्कन्ध-	+1,85.80	0.00	0.00	+1,85.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-) 26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,24.24	0.00	0.00	+1,24.24
<b>कुल-2701-80-</b>	<b>+2,83.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2,83.84</b>
<b>कुल 2701-</b>	<b>+13,93.14</b>	<b>39,35.79</b>	<b>36,33.86</b>	<b>+16,95.07</b>
<i>2702- लघु सिंचाई-</i>				
<i>01- सतही जल-</i>				
<i>799- उच्चत-</i>				
01- स्कन्ध-	+4.42	16,78.43	30,34.45	(-)13,51.60*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2,14.04	1,19.93	97.30	+2,36.67
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)1,90.96	4,49.51	2,91.46	(-)32.91*
<b>कुल 2702-01-</b>	<b>+ 27.50</b>	<b>22,47.87</b>	<b>34,23.21</b>	<b>(-)11,47.84*</b>
<i>80- सामान्य-</i>				
<i>799- उच्चत-</i>				
01- स्कन्ध-	(-)6,28.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+5,53.79	0.00	0.00	+5,53.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+3,15.57	0.00	0.00	+3,15.57
<b>कुल 2702-80-</b>	<b>+2,40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2,40.63</b>
<b>कुल 2702-</b>	<b>+2,68.13</b>	<b>22,47.87</b>	<b>34,23.21</b>	<b>(-)9,07.21*</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
<b>2711-</b> बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+67,08.47	9,96.08	10,68.07	+66,36.48
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+5,69.86	54.12	0.00	+6,23.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+28,18.50	3,45.69	1,29.83	+30,34.36
<b>कुल 2711-</b>	<b>+1,00,96.83</b>	<b>13,95.89</b>	<b>11,97.90</b>	<b>+1,02,94.82</b>
<b>कुल राजस्व प्रवर्ग-</b>	<b>+5,37,80.36</b>	<b>7,71,44.51</b>	<b>6,98,55.91</b>	<b>+6,10,68.96</b>

**पूँजीगत प्रवर्ग-**

<b>4215-</b> जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
<b>कुल 4215-</b>	<b>+30.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+30.71</b>
<b>4700-</b> मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+38.42	0.00	0.00	+38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+37.54	0.00	0.00	+37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+96.89	0.00	0.00	+96.89
<b>कुल 4700-</b>	<b>+1,72.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+1,72.85</b>
<b>4701-</b> मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+10.82	0.00	0.00	+10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+13.54	0.00	0.00	+13.54
<b>कुल 4701-01-</b>	<b>+24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+24.21</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गेर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+83.49	0.00	0.00	+83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2.98	0.00	0.00	+2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
<b>कुल-4701-15-</b>	<b>+83.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+83.75</b>
16- सिधाता बहाव सिंचाई योजना (गेर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+68.54	0.00	0.00	+68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+32.91	0.00	0.00	+32.91
<b>कुल-4701-16-</b>	<b>+86.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+86.74</b>
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,32.94	0.00	0.00	(-)1,32.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,55.24	0.00	0.00	+1,55.24
<b>कुल-योग 4701-80-</b>	<b>+21.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+21.47</b>
<b>कुल- 4701-</b>	<b>+2,16.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2,16.17</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (समाप्त)**

शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में )		
<b>4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)6,08.15	0.00	0.00	(-)6,08.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5,64.43	0.00	0.00	+5,64.43
<b>कुल 4702-</b>	<b>(-)56.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)56.44*</b>
<b>4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+9.98	0.00	0.00	+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+27.88	0.00	0.00	+27.88
<b>कुल 4711-</b>	<b>+29.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+29.09</b>
<b>कुल-पूंजीगत प्रवर्ग</b>	<b>+3,92.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+3,92.38</b>
<b>कुल मांग</b>	<b>+5,41,72.74</b>	<b>7,71,44.51</b>	<b>6,98,55.91</b>	<b>+6,14,61.34</b>

टिप्पणी: \* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या- 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-दुग्ध विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,30,99,76		
	4,30,99,84	3,52,15,36	(-)78,84,48
पूरक	8		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			39,19,01
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	19,19,08		
	19,19,08	17,73,46	(-)1,45,62
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,15,11

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 78,84.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 39,19.01 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,52,15.36 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 22,27.90 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 17,73.46 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 82.23 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

## 2403- पशु पालन-

001- निदेशन और प्रशासन-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)**

01-	मुख्यालय स्थापना- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	5,90.00			
			4,80.00	4,53.77	(-)26.23
	पुनर्वि०	(-)1,10.00			
	₹ 26.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 26.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
02-	क्षेत्रीय स्थापना- <b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	1,46.13	1,46.13	1,11.70	(-)34.43
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	5.00	5.00	3.45	(-)1.55
03-	जिला प्रशासन- <b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	14,18.47	14,18.47	12,11.75	(-)2,06.72
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,42.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01-	अस्पताल तथा औषधालय- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	2,94,49.62			
			2,54,49.62	2,25,81.86	(-)28,67.76
	पुनर्वि०	(-)40,00.00			
	₹ 28,67.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के बकाया भुगतान के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 28,67.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
10-	पशु रोग नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	50.00	50.00	34.04	(-)15.96
	₹ 15.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	5.20	5.20	..	(-)5.20
	₹ 5.20 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

13-	पेस्ट डेस पटाईटिस रूमिनेंटस नियन्त्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	13.58	13.58	7.72	(-)5.86
	₹ 5.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	योजना				
	मूल	1.51	1.51	..	(-)1.51
	₹ 1.51 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
102-	पशु तथा भैंस विकास-				
02-	मवेशी और भैंस विकास- गैर योजना				
(i)	मूल	6,64.03			
			5,64.03	4,56.80	(-)1,07.23
	पुनर्वि०	(-)1,00.00			
06-	वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना- गैर योजना				
(ii)	मूल	5,63.50			
			4,83.50	4,18.71	(-)64.79
	पुनर्वि०	(-)80.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,72.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,80.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,72.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
103-	कुक्कुट विकास-				
02-	कुक्कुट विकास पर व्यय- गैर योजना				
(i)	मूल	4,53.78	4,53.78	3,56.60	(-)97.72
104-	भेड तथा ऊन विकास-				
01-	ऊन पृथकरण प्रयोगशाला चंबा- गैरयोजना				
(ii)	मूल	44.97	44.97	8.17	(-)36.80
04-	भेड एवं ऊन विकास पर व्यय- गैर योजना				
(iii)	मूल	5,69.91	5,69.91	3,59.57	(-)2,10.34
106-	अन्य पशुधन स्टॉक विकास-				
01-	घोड़ा तथा खच्चर प्रजनन स्कीम-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)**

	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	5.00	5.00	3.08	(-)1.92
02-	खरगोश प्रजनन स्कीम- <b>गैर योजना</b>				
(v)	मूल	46.98	46.98	37.45	(-)9.53
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 3,56.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	8.00	8.00	..	(-)8.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	8.00	8.00	..	(-)8.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 16.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।				
113-	प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-				
01-	सांख्यिकी इकाई- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	85.00	85.00	65.97	(-)19.03
800-	अन्य व्यय-				
02-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन- <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	7,15.35			
			7,09.35	6,58.01	(-)51.34
	पुनर्वि०	(-)6.00			
<b>2404-</b>	<b>दुग्ध विकास-</b>				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	मुख्यालय की स्थापना- <b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	57.39	57.39	32.60	(-)24.79
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 95.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 6,58.01 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

02- डेयरी उद्यमी विकास योजना के तहत उपदान-

**गैर योजना**

मूल 10.00

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2021 में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान उपदान मामले प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**2405- मछली पालन-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला स्तरीय-

**गैर योजना**

मूल 13,86.93

10,27.57

9,78.25

(-)49.32

पुनर्वि० (-)3,59.36

₹ 49.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,59.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति एवं रखरखाव पर व्यय न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 49.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

101- अंतर्देशीय मछली पालन-

04- कार्प फामा का विकास एवं रख-रखाव-

**योजना**

मूल 24.60

16.68

16.66

(-)0.02

पुनर्वि० (-)7.92

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.92 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद, किराए की टैक्सियों के बिलों की कम प्राप्ति और पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

06- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल 32.00

32.00

..

(-)32.00

**योजना**

(ii) मूल 4.00

4.00

..

(-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- नील क्रान्ति केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रबंध एवं विकास-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)**

**योजना**

मूल	7,54.00			
		2,19.53	2,19.53	..
पुनर्वि०	(-)5,34.47			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,34.47 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि कोविड-19 व्यवस्था स्थापना के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 9,72.36 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

**योजना**

मूल	81.45			
		22.78	22.78	..
पुनर्वि०	(-)58.67			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.67 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई और योजना के बंद होने के कारण राज्य का हिस्सा भी अभ्यर्पित कर दिया गया।

09- ट्राउट पशुधन बीमा-  
**योजना**

मूल	7.48			
		4.11	4.11	..
पुनर्वि०	(-)3.37			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.37 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

## 800- अन्य व्यय-

03- मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना-  
**योजना**

मूल	7.50	7.50	..	(-)7.50
-----	------	------	----	---------

₹ 7.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## (iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

**2403- पशुपालन-**

## 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- अस्पताल तथा औषधालय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	9,79.85			
पूरक	0.01	12,51.72	12,42.59	(-)9.13
पुनर्वि०	2,71.86			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,71.86 लाख का आवर्धन ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के बकाया के भुगतान और रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

102- पशु तथा भैंस विकास-

13- पशु गणना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल	0.01			
पूरक	0.01	1,00.01	1,00.00	(-)0.01
पुनर्वि०	99.99			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन जनगणना कार्य के गणनाकारों को परिलब्धियों तथा पर्यवेक्षण के भुगतान के कारण हुआ।

104- भेड़ तथा ऊन विकास-

11- हिमाचल प्रदेश ऊन महासंघ को सहायता अनुदान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

पूरक	0.01			
		46.13	46.13	..
पुनर्वि०	46.12			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**योजना**

पूरक	0.01			
		5.12	5.12	..
पुनर्वि०	5.11			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के हिस्से के अनुपात में अधिक व्यय के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

02- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-

**योजना**

मूल	0.03			
		95.25	95.22	(-)0.03
पुनर्वि०	95.22			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.22 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के हिस्से के अनुपात में व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 95.22 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 87.97 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2405- मछली पालन-**

101- अंतर्देशीय मछली पालन-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

पूरक	0.02			
		7,52.82	7,52.82	..
पुनर्वि०	7,52.80			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,52.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

## योजना

मूल	0.02			
		90.66	90.65	(-)0.01
पुनर्वि०	90.64			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.64 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में जारी राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

## पूंजीगत प्रवर्ग

## (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

## 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

## 101- अंतर्देशीय मछली पालन-

05- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

(i) मूल	27.00	27.00	..	(-)27.00
---------	-------	-------	----	----------

## योजना

(ii) मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- नीली क्रांति एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंध एवं विकास-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

(i) मूल	1,60.00			
---------	---------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1,60.00	..	..	..
----------	------------	----	----	----

## योजना

(ii) मूल	40.00			
----------	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)40.00	..	..	..
----------	----------	----	----	----

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 14-(समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में 2,00.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

## 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

## योजना

मूल 10,53.00

11,40.89

11,40.83

(-)0.06

पुनर्वि0 87.89

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.89 लाख का आवर्धन पशुपालन, बहुतकनीकी एवं पशुपालन भवनों के निर्माण के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 11,40.83 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 40.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना**

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	77,01,39		
		77,01,42	
पूरक	3		
			55,11,64
			(-)21,89,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			6,99,42
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,44,54,00		
		4,44,54,00	
पूरक	..		
			2,26,47,07
			(-)2,18,06,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,07,89,09

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 21,89.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,99.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 55,11.64 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.87 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,18,06.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,07,89.09 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,26,47.07 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 69,86.29 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2202- सामान्य शिक्षा-</b>			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय-			
<b>गैर योजना</b>			
(i) मूल	1,54.98		
		87.93	76.11
पुनर्वि०	(-)67.05		(-)11.82
03- माध्यमिक विद्यालय-			
<b>गैर योजना</b>			
(ii) मूल	1,80.95		
		1,06.34	87.44
पुनर्वि०	(-)74.61		(-)18.90
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.66 लाख की कमी कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद होने के कारण हुई।			
<b>योजना</b>			
मूल	50.00	50.00	..
			(-)50.00
₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
12- अटल वर्दी योजना-			
<b>योजना</b>			
(i) मूल	6,12.00	6,12.00	4,50.93
			(-)1,61.07
800- अन्य व्यय-			
01- उपाहारमध्याह्न भोजन योजना-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1,30.00	1,30.00	1,08.24	(-)21.76
<p>उपरोक्त दो मामलों में 1,82.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,50.93 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.87 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।</p>					
<b>2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-</b>					
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-					
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-					
101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-					
01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-					
<b>गैर योजना</b>					
	मूल	14,47.87			
			12,47.86	10,02.92	(-)2,44.94
	पुनर्वि०	(-)2,00.01			
<p>₹ 2,44.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 2,44.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।</p>					
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-					
01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -					
<b>गैर योजना</b>					
	मूल	3,42.45	3,42.45	2,92.92	(-)49.53
<p>₹ 49.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।</p>					
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-					
01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-					
<b>गैर योजना</b>					
	मूल	92.50			
			42.50	26.16	(-)16.34
	पुनर्वि०	(-)50.00			
<p>मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं वेतनमान संशोधन न होने के कारण हुई।</p>					
110- अस्पताल तथा औषधालय-					
01- ग्रामीण स्वास्थ्य-					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	3.50	3.50	1.94	(-)1.56
₹ 1.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
101- आयुर्वेद-				
02- आयुर्वेदिक औषधालय-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	14,99.46			
		12,09.14	11,22.53	(-)86.61
पुनर्वि०	(-)2,90.32			
₹ 86.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.32 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 86.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
06- लोक स्वास्थ्य-				
101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-				
01- मलेरिया विरोधी संगठन-				
<b>गैर योजना</b>				
(i) मूल	4.20	4.20	0.65	(-)3.55
13- बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना- (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-				
<b>गैर योजना</b>				
(ii) मूल	1,31.13	1,31.13	95.54	(-)35.59
<b>2401- फसल कृषि कर्म-</b>				
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
28- शैक्षणिक प्रवास पर स्थानीय व्यय-				
<b>गैर योजना</b>				
(iii) मूल	8.70	8.70	6.01	(-)2.69
113- कृषि अभियांत्रिकी-				
01- कृषि उपकरण तथा संयंत्र-				
<b>गैर योजना</b>				
(iv) मूल	4.00	4.00	2.82	(-)1.18
उपरोक्त चार मामलों में 43.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-				
05- उद्यान विकास-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	14.15			
		6.31	4.75	(-)1.56
पुनर्वि०	(-)7.84			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.84 लाख की कमी बागवानी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।				
<b>2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-</b>				
102- लघु उद्योग-				
05- लघु उद्योगों हेतु उपदान-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	2.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)2.00			
मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
28- ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	33.05			
		26.00	7.65	(-)18.35
पुनर्वि०	(-)7.05			
₹ 18.35 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.05 लाख की कमी मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 18.35 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-</b>				
101- नीति आयोग-				
01- मुख्यालय-				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	8,07.55			
पूरक	0.01	8,07.55	5,26.92	(-)2,80.63
पुनर्वि०	(-)0.01			
02- जिले-				
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	5,93.83	5,93.83	4,30.10	(-)1,63.73
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,44.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
20- राज्य अभिनव निधि-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	2,20.00	2,20.00	..	(-)2,20.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 2,20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

21- सत्त विकास हेतु लक्ष्य-  
**योजना**

मूल	78.62	78.62	0.15	(-)78.47
-----	-------	-------	------	----------

₹ 78.47 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

## (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
01- सामान्य शिक्षा-			
201- प्रारम्भिक शिक्षा-			
07- भवनों का निर्माण- <b>योजना</b>			
(i) मूल	9,39.00		
		7,62.45	..
पुनर्वि०	(-)1,76.55		
202- माध्यमिक शिक्षा-			
06- भवनों का निर्माण- <b>योजना</b>			
(ii) मूल	6,00.00		
		4,79.87	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,20.13		

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,96.68 लाख की कमी प्रत्येक जिले में प्राथमिक, द्वितीय एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 7,62.45 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 4,39.68 लाख तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 4,79.86 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,18.25 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(निर्माण कार्य)-

**योजना**

मूल 7,00.00

2,35.10

2,35.10

..

पुनर्वि0 (-)4,64.90

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,64.90 लाख की कमी विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेद (निर्माण कार्य)-

**योजना**

मूल 75.00

46.41

46.28

(-)0.13

पुनर्वि0 (-)28.59

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.59 लाख की कमी विभिन्न जिलों में आयुर्वेद चिकित्सालयों/केन्द्रों के निर्माण प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 46.28 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 19.07 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**4401- फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय-**

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

03- भवन -

**योजना**

(i) मूल 80.00

36.61

36.61

..

पुनर्वि0 (-)43.39

800- अन्य व्यय-

01- भवन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	50.00			
			15.64	15.64	..
	पुनर्वि०	(-)34.36			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.75 लाख की कमी विभिन्न जिलों में पानी की टंकियों/भंडार टैंकों और अन्य उपकरणों के निर्माण तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
<b>4406-</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
	01-	वानिकी-			
	800-	अन्य व्यय-			
	02-	वानिकी-			
	<b>योजना</b>				
	मूल	85.00			
			50.60	50.60	..
	पुनर्वि०	(-)34.40			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.40 लाख की कमी विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 50.60 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 24.32 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
<b>4851-</b>	<b>ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
	102-	लघु उद्योग-			
	09-	ग्राम तथा लघु उद्योग-			
	<b>योजना</b>				
	मूल	50.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)50.00			
मार्च 2021 में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।					
<b>5475-</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
	800-	अन्य व्यय-			
	01-	विकेन्द्रीयकृत नियोजन क्षेत्र-			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	2,04,34.00			
			89,62.25	87,62.25	(-)2,00.00
	पुनर्वि०	(-)1,14,71.75			
02-	विधायक क्षेत्र स्थानीय विकास निधि योजना-				
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1,31,23.00			
			35,68.66	33,18.66	(-)2,50.00
	पुनर्वि०	(-)95,54.34			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,10,26.09 लाख की कमी कोविड-19 के कारण अनुमानों के अनुसार निधियां जारी न की जा सकने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 87,62.25 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 28,16.98 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 33,18.66 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 18,54.96 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03-	स्थानीय जिला नियोजन विकास में जन सहयोग-				
<b>योजना</b>					
(i)	मूल	24,53.00	24,53.00	19,25.67	(-)5,27.33
05-	जिला योजना अधिकारियों/कर्मचारियों				
	के लिए आवास का निर्माण-				
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	67.00	67.00	28.73	(-)38.27

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,65.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 19,25.67 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 8,51.42 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
01- जलापूर्ति-			
102- ग्रामीण जलापूर्ति-			
01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं <b>योजना</b>			
मूल	13,50.00		
		15,95.48	15,95.48
पुनर्वि०	2,45.48		..
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.48 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 15,95.48 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 28.94 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।			
<b>4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-			
01- भवन कार्यक्रम- <b>योजना</b>			
मूल	45.00		
		62.46	62.46
पुनर्वि०	17.46		..
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.46 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों के निर्माण प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
<b>4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
101- सतही जल-			
01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं- <b>योजना</b>			
मूल	45.00		
		93.77	91.69
पुनर्वि०	48.77		(-)2.08

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (समाप्त)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.77 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में योजना के अन्तर्गत निर्माण के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

800- अन्य व्यय-

06- पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-

**योजना**

मूल 36,44.00

45,13.08

45,13.07

(-)0.01

पुनर्वि० 8,69.08

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,69.08 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 45,13.07 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 4,34.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,09,80,93			
		8,09,81,64	6,39,30,48	(-)1,70,51,16
पूरक	71			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,07,01,13
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		1,07	..	(-)1.07
पूरक	1,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	20,73,00			
		20,73,00	17,18,26	(-)3,54.74
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				98,00

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,70,51.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,07,01.13 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 1.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 1.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,54.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 98.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 17,18.26 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

से ₹ 1,33.19 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2402- भू तथा जल संरक्षण-</b>			
102- मृदा संरक्षण-			
12- सुरक्षात्मक वनीकरण मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)- गैर योजना			
मूल	14,51.64		
पूरक	0.02	10,48.20	9,51.29
पुनर्वि०	(-)4,03.46		(-)96.91
₹ 96.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,03.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 96.91 लाख की अंतिम बचत के कारण हुई प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-			
20- भू संरक्षण में प्रशिक्षण (वन विभाग)- गैर योजना			
मूल	19.01		
		14.01	11.70
पुनर्वि०	(-)5.00		(-)2.31
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
<b>2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -</b>			
01- वानिकी-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय- गैर योजना			
मूल	16,97.26		
		10,13.77	9,77.38
पुनर्वि०	(-)6,83.49		(-)36.39
₹ 36.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,83.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

₹ 36.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-  
**गैर योजना**

मूल	3,92,73.15			
		2,98,81.41	2,85,52.27	(-)13,29.14
पुनर्वि०	(-)93,91.74			

₹ 13,29.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93,91.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि ईको-टास्क फोर्स के स्वयंसेवकों को बकाया भुगतान, नए वाहनों की खरीद और व्यवसायिक सेवाओं के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 13,29.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	10,00.00			
		9,00.00	7,75.04	(-)1,24.96
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

₹ 1,24.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी कार्यालय सामग्री पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,24.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन  
प्रशिक्षण विकास समिति को सहायता अनुदान-  
**योजना**

मूल	1,50.00			
		14.75	9.71	(-)5.04
पुनर्वि०	(-)1,35.25			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,35.25 लाख की कमी कोविड-19 के कारण क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-

01- वनों की चकबन्दी तथा सीमांकन-  
**गैर योजना**

मूल	19.12			
पूरक	0.01	1.00	..	(-)1.00
पुनर्वि०	(-)18.13			

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.13 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	1,50.00			
पूरक	0.01	97.44	49.55	(-)47.89
पुनर्वि०	(-)52.57			

₹ 47.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.57 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और संगोष्ठियों के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 47.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- वन पुनोत्पादन-  
**गैर योजना**

मूल	39.73	39.73	..	(-)39.73
-----	-------	-------	----	----------

₹ 39.73 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	2,68.00			
		2,18.00	1,64.73	(-)53.27
पुनर्वि०	(-)50.00			

₹ 53.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 53.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

(i) मूल	30.00	30.00	18.30	(-)11.70
---------	-------	-------	-------	----------

04- कार्मिक योजना संगठन-  
**योजना**

(ii) मूल	75.00			
पूरक	0.01	67.00	35.00	(-)32.00
पुनर्वि०	(-)8.01			

08- हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम कलाइमेट प्रूफिंग प्राजेक्ट-  
**योजना**

(iii) मूल	36,66.00	36,66.00	35,29.44	(-)1,36.56
-----------	----------	----------	----------	------------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,80.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

- 10- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और  
जीव विज्ञान जीविका परियोजना-  
**योजना**

मूल	26,32.00				
		24,40.00	23,40.00		(-)1,00.00
पुनर्वि०	(-)1,92.00				

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,92.00 लाख की कमी नगर निगम द्वारा जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण मुख्यालय भवन का नक्शा अनुमोदित निर्माण न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 102- सामाजिक और फार्म वानिकी-

- 04- वृक्ष आवरण में सुधार-

**योजना**

मूल	16,00.00				
पूरक	0.02	14,52.11	14,25.26		(-)26.85
पुनर्वि०	(-)1,47.92				

₹ 26.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.92 लाख की कमी प्रतिपूरक वनारोपण प्रबंधन योजना और बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम गतिविधियों को शुरू करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 05- विभागीय पौधारोपण और सार्वजनिक वितरण

हेतु नर्सरियां लगाना/बढ़ाना-

**योजना**

मूल	10,00.00				
पूरक	0.02	9,00.00	8,96.22		(-)3.78
पुनर्वि०	(-)1,00.02				

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.02 लाख की कमी मजदूरी पर कम व्यय के कारण हुई।

- 33- उद्यानों के एकीकृत विकास हेतु

अभियान-राष्ट्रीय बाँस योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

- (i) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

**योजना**

- (ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

- 34- राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	2,99.00				
		73.00	52.54	(-)20.46	
पुनर्वि०	(-)2,26.00				

₹ 20.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,26.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 16,09.98 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

₹ 20.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

- (i) मूल 31.00 31.00 6.15 (-)24.85

- 35- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

- (ii) मूल 90.00 90.00 72.01 (-)17.99

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 42.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 36- नगर वन उद्यान योजना-  
**योजना**

मूल	5.00				
		..	..	..	
पुनर्वि०	(-)5.00				

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 38- सामुदायिक वन संवर्धन योजना-  
**योजना**

मूल	3,50.00				
पूरक	0.01	2,61.83	1,98.00	(-)63.83	
पुनर्वि०	(-)88.18				

₹ 63.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.18 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 63.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 39- प्रायोगिक वनवर्धन पातन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	7,48.00			
पूरक	0.01	7,20.74	5,48.40	(-)1,72.34
पुनर्वि0	(-)27.27			

₹ 1,72.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.27 लाख की कमी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग वन निगम लिमिटेड द्वारा वृक्षों के कम दोहन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,72.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

40- अतिरिक्त वनावर्धन संचालन-  
**योजना**

मूल	2,24.00			
पूरक	0.01	1,13.40	63.49	(-)49.91
पुनर्वि0	(-)1,10.61			

₹ 49.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.61 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और वन वर्धन कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 49.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

41- एक बूटा बेटी के नाम-  
**योजना**

मूल	3,95.00			
पूरक	0.01	3,35.00	2,61.53	(-)73.47
पुनर्वि0	(-)60.01			

₹ 73.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.01 लाख की कमी कोविड-19 के कारण दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और परियोजना संबन्धी गतिविधियों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 73.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

42- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-  
**योजना**

पूरक	0.01			
		1,33.00	..	(-)1,33.00
पुनर्वि0	1,32.99			

₹ 1,33.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.99 लाख का आर्वधन केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण और वृक्षारोपण के अग्रिम कार्यों के लिए किए गए व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,33.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

105- वन उत्पाद -

01- सरकारी अभिकरण द्वारा वनों से  
लकड़ी तथा अन्य उत्पाद हटाना-  
**गैर योजना**

मूल	69.36			
पूरक	0.01	54.00	47.98	(-)6.02
पुनर्वि०	(-)15.37			

मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.37 लाख की कमी वृक्षों के अंकन से संबंधित कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

02- उपभोक्ताओं और खरीदारों द्वारा वनों से इमारती  
लकड़ी और अन्य उत्पाद हटाना-  
**गैर योजना**

(i) मूल	22.48			
पूरक	0.01	12.01	11.12	(-)0.89
पुनर्वि०	(-)10.48			

03- प्रवाहित काष्ठ तथा समपृष्ठित वनोत्पादन-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	32.53			
पूरक	0.01	21.11	15.42	(-)5.69
पुनर्वि०	(-)11.43			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.91 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

07- वनों से चीड़ की पत्तियों का संग्रह एवं निष्कासन  
पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-  
**योजना**

मूल	1,87.00			
		80.00	45.66	(-)34.34
पुनर्वि०	(-)1,07.00			

₹ 34.34 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.00 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, रख-रखाव पर कम व्यय, संगोष्ठियों और जागरूकता कार्यक्रम के कम आयोजन, सामग्री की कम खरीद और लाभार्थियों द्वारा अनुवृति पात्रता मापदंड को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.34 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

800- अन्य व्यय-

02- कर्मचारी तथा श्रमिक सुख सुविधाएं-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	50.00			
पूरक	0.01	43.00	3.23	(-)39.77
पुनर्वि०	(-)7.01			

₹ 39.77 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- नई जनाधारित वनीकरण वन योजना-  
**योजना**

मूल	60.00			
पूरक	0.01	26.00	19.95	(-)6.05
पुनर्वि०	(-)34.01			

मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.01 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की खरीद न होने के कारण हुई।

09- विद्यार्थी वन मित्र योजना-  
**योजना**

मूल	1,50.00			
पूरक	0.01	50.12	35.34	(-)14.78
पुनर्वि०	(-)99.89			

मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.89 लाख की सारभूत कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, परियोजना से संबंधित गतिविधियों में कमी और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

10- वन समृद्धि जन समृद्धि-  
**योजना**

मूल	1,50.00			
पूरक	0.01	1,30.20	1,06.50	(-)23.70
पुनर्वि०	(-)19.81			

₹ 23.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव संरक्षण-

01- वन्य प्राणी-

**गौर योजना**

मूल	14,43.29			
		10,44.01	9,84.78	(-)59.23
पुनर्वि०	(-)3,99.28			

₹ 59.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनिर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 59.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	4,50.00			
पूरक	0.01	4,00.14	3,48.92	(-)51.22
पुनर्वि०	(-)49.87			

₹ 51.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.87 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और वन्य जीवन संबंधी गतिविधियों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 51.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

10- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों  
के विकास हेतु सहायता-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	4,50.00			
		2,30.00	1,60.22	(-)69.78
पुनर्वि०	(-)2,20.00			

₹ 69.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,20.00 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, पानी, दूरभाष और बिजली बिलों की कम प्राप्ति, संगोष्ठियों व कार्यशालाओं के कम आयोजन, भारी हिमपात के कारण कार्यों के कम निष्पादन और सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,21.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 69.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	45.00			
		27.60	17.80	(-)9.80
पुनर्वि०	(-)17.40			

₹ 9.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.40 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में जारी राज्य की हिस्सेदारी कम जारी होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 111- चिड़ियाघर-

01- हिमालयन प्राणी उपवन विकास-  
**गैर योजना**

मूल	2,34.95			
		2,16.07	1,95.04	(-)21.03
पुनर्वि०	(-)18.88			

₹ 21.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	4,50.00			
पूरक	0.01	2,42.00	1,83.31	(-)58.69
पुनर्वि०	(-)2,08.01			

₹ 58.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,08.01 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 58.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 04- वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास-

## 103- राज्य क्षतिपूरक वनरोपण-

## 01- प्रतिपूरक वनरोपण-

**गैर योजना**

(i) मूल	15,00.00			
पूरक	0.04	15,00.00	14,62.66	(-)37.34
पुनर्वि०	(-)0.04			

## 02- जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना-

**गैर योजना**

(ii) मूल	32,00.00			
पूरक	0.06	32,00.00	24,74.24	(-)7,25.76
पुनर्वि०	(-)0.06			

## 03- एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना-

**गैर योजना**

(iii) मूल	18,79.00			
पूरक	0.07	18,79.00	13,47.02	(-)5,31.98
पुनर्वि०	(-)0.07			

## 04- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य-

**गैर योजना**

(iv) मूल	80,00.00			
पूरक	0.05	80,00.00	65,84.51	(-)14,15.49
पुनर्वि०	(-)0.05			

## 05- संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य)-

**गैर योजना**

(v) मूल	5,00.00			
पूरक	0.09	5,00.00	79.66	(-)4,20.34
पुनर्वि०	(-)0.09			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

06- अन्य-  
गैर योजना

(vi) मूल	20.00			
पूरक	0.03	20.00	0.48	(-)19.52
पुनर्वि०	(-)0.03			

उपरोक्त छः मामलों में 31,50.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाखों में)		

**2402- भू तथा जल संरक्षण-**

102- मृदा संरक्षण-

12- सुरक्षात्मक वनीकरण मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)-  
योजना

मूल	7,52.00			
पूरक	0.02	9,70.81	9,05.40	(-)65.41
पुनर्वि०	2,18.79			

₹ 65.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,18.79 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 65.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -**

01- वानिकी-

102- समाज तथा कृषि वानिकी

37- स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित  
कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना-  
योजना

मूल	37,40.00			
पूरक	0.03	57,40.00	56,56.39	(-)83.61
पुनर्वि०	19,99.97			

₹ 83.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,99.97 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को न भरने, कार्यशाला, संगोष्ठी इत्यादि पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 83.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -</b>			
01- वानिकी-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
02- वृत्त/मण्डलीय स्थापना- गैर योजना			
पूरक	1.07	1.07	(-)1.07

मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 1.07 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
01- सरकारी आवासीय भवन-			
700- अन्य आवास-			
10- वानिकी के अन्तर्गत निर्माण- योजना			
(i) मूल	7,50.00	7,50.00	(-)1,33.31

**4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- वानिकी-			
070- संचार तथा भवन-			
01- सडकें तथा पुल- योजना			
(ii) मूल	1,50.00	1,50.00	(-)27.35

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,60.66 लाख की अंतिम बचत के कारण हुई प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- भवन-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (समाप्त)**

<b>योजना</b>				
मूल	10,65.00			
		10,15.00	9,37.03	(-)77.97
पुनर्वि०	(-)50.00			

₹ 77.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी कार्य पूर्ण न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 9,37.03 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,33.18 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

77.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्य जीव-

10- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों  
के विकास हेतु सहायता-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	38.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)38.00			
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	10.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)10.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 48.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

111- चिड़ियाघर-

01- चिड़ियाघर के अन्तर्गत भवन निर्माण-  
**योजना**

मूल	30.00	30.00	16.86	(-)13.14
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 13.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 17-निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग दत्तमत</b>				
मूल	29,73,86			
		43,78,75	37,80,13	(-)5,98,62
पूरक	14,04,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग दत्तमत</b>				
मूल	1,00,00			
		6,00,00	6,00,00	..
पूरक	5,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

## टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,98.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 14,04.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं का गई।

## राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2015- निर्वाचन-</b>				
101- निर्वाचन आयोग-				
01- राज्य निर्वाचन आयोग-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	2,03.09			
		1,60.60	1,41.93	(-)18.67
पुनर्वि0	(-)42.49			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-17(समाप्त)

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.49 लाख की कमी बकाया मंहगाई भते का भुगतान न करने के कारण हुई।

108- मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-

01- मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-

**गैर योजना**

मूल 39.96

पूरक 1,02.00

1,32.46

0.53

(-)1,31.93

पुनर्वि० (-)9.50

₹ 1,31.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

109- पंचायतों/स्थानीय निकायों के निर्वाचन के आयोजन हेतु प्रभार-

01- पंचायतों/स्थानीय निकायों के निर्वाचन के आयोजन हेतु प्रभार-

**गैर योजना**

मूल 3,78.02

पूरक 9,03.01

13,23.52

8,84.73

(-)4,38.79

पुनर्वि० 42.49

₹ 4,38.79 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.49 लाख का आवर्धन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनाव के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,38.79 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,31,29,59			
		2,31,29,60	1,91,66,95	(-)39,62,65
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				24,23,57
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	23,41,00			
		23,63,73	14,54,44	(-)9,09,29
पूरक	22,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 39,62.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 24,23.57 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,91,66.95 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20,86.61 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,09.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 22.73 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 14,54.44 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 50.79 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

205  
विनियोजन लेखे  
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2057- पूर्ति तथा निपटान-</b>			
101- खरीद-			
01- भण्डार खरीद संगठन की स्थापना- <b>गैर योजना</b>			
मूल	1,74.12		
		1,43.17	
		1,39.37	(-)3.80
पुनर्वि०	(-)30.95		
मार्च 2021 में अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 30.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित न होने के कारण हुई।			
<b>2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-</b>			
001- निदेशन और प्रशासन			
01- निदेशालय- <b>गैर योजना</b>			
मूल	31.68		
		25.01	
		23.78	(-)1.23
पुनर्वि०	(-)6.67		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न होने के कारण हुई।			
102- लघु उद्योग-			
10- औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण- <b>गैर योजना</b>			
मूल	50.00		
		11.50	
		5.59	(-)5.91
पुनर्वि०	(-)38.50		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.50 लाख की कमी प्रशिक्षण शिविरों और कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई।			
13- जिला उद्योग केन्द्र- <b>गैर योजना</b>			
मूल	17,56.97		
		16,73.57	
		15,34.85	(-)1,38.72
पुनर्वि०	(-)83.40		

## विनियोजन लेखे

## अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

₹ 1,38.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, पेट्रोल, तेल और स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,38.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## योजना

मूल	1,20.00	1,20.00	79.42	(-)40.58
-----	---------	---------	-------	----------

₹ 40.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

15- सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना-

## गैर योजना

मूल	4.38			
		0.11	0.11	..
पुनर्वि०	(-)4.27			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

19- सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस-

## योजना

मूल	25,00.00			
		21,80.31	17,99.19	(-)3,81.12
पुनर्वि०	(-)3,19.69			

₹ 3,81.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,19.69 लाख की कमी मशीनरी एवं व्यवसायिक सेवाओं की खरीद पर कम व्यय तथा रिक्त पदों का न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,81.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

23- आपदा जोखिम न्यूनीकरण-

## योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

24- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन-

## गैर योजना

मूल	5,00.00	5,00.00	3,12.52	(-)1,87.48
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 1,87.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

28- ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-

## योजना

मूल	20.00			
		15.00	14.75	(-)0.25
पुनर्वि०	(-)5.00			

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

29- मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन-  
**गैर योजना**

(i) मूल 2,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)2,00.00

30- राष्ट्रीय बाँस मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii) मूल 1.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

**योजना**

(iii) मूल 1.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में ₹ 2,02.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

31- हिम उद्यमी स्टार्ट-अप योजना  
**गैर योजना**

मूल 10,00.00

2,06.00

2,06.00

..

पुनर्वि० (-)7,94.00

मार्च 2021 में प्रावधान में ₹ 7,94.00 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,06.00 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश काषागार नियमों का उल्लंघन है।

103- हथकरघा उद्योग-

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-  
**योजना**

मूल 10.00

5.22

..

(-) 5.22

पुनर्वि० (-)4.78

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

₹ 5.22 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.78 लाख की कमी लाभार्थियों से माँग की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 5.22 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

27- हथकरघा और हस्तशिल्प का सामूहिक विकास कार्यक्रम-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2021 में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों को लाभार्थियों के खाते में सीधा स्थानांतरित करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**गैर योजना**

मूल 50.00

30.00

22.49

(-)7.51

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2021 में अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी लाभार्थियों से माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- हस्तशिल्प उद्योग-

05- हस्तशिल्प का निरीक्षण-

**गैर योजना**

मूल 4.98

3.78

3.56

(-)0.22

पुनर्वि० (-)1.20

मार्च 2021 में अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 1.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उत्पादन उद्योग का विकास-

**गैर योजना**

मूल 6,67.65

6,46.71

5,49.66

(-)97.05

पुनर्वि० (-)20.94

₹ 97.05 लाख की अंतिम बचत दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।



**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

₹ 97.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत रेशम उद्योग का विकास-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i)	मूल	59.00	59.00	..	(-59.00)
-----	-----	-------	-------	----	----------

**योजना**

(ii)	मूल	7.00	700	..	(-7.00)
------	-----	------	-----	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

800- अन्य व्यय-

10- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-  
**गैर योजना**

मूल	80,00.00				
			79,50.00	79,36.00	(-14.00)

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 79,36.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 18,42.07 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2852- उद्योग-**

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	3,97.21				
			3,45.61	3,34.39	(-11.22)

पुनर्वि० (-)51.60

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

102- औद्योगिक उत्पादकता-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजना-

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
09- औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन- <b>योजना</b>				
मूल	3,00.00	3,00.00	2,74.60	(-)25.40
₹ 25.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
800- अन्य व्यय-				
01- उत्पादन तथा कला प्रदर्शनी- <b>गैर योजना</b>				
मूल	9.56			
		3.40	2.94	(-)0.46
पुनर्वि०	(-)6.16			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 6.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>योजना</b>				
मूल	80.00			
		30.00	5.91	(-)24.09
पुनर्वि०	(-)50.00			
₹ 24.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी विज्ञापन एवं प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 24.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
02- निवेश योजना को बढ़ावा- <b>गैर योजना</b>				
मूल	10,00.00			
		4,00.00	33.07	(-)3,66.93
पुनर्वि०	(-)6,00.00			
₹ 3,66.93 लाख की अंतिम बचत दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख की कमी निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों के कम आयोजन और प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 3,66.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	1,67.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,67.00			

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में ₹ 1,67.00 लाख का समस्त प्रावधान निवेश कार्यक्रमों के आयोजन न करने से पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

06- हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एजेंसी-  
**गैर योजना**

मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2021 में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग-**

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण कर्मचारी और अन्य कार्य-

**गैर योजना**

मूल 11,27.08

10,64.68

9,48.15

(-)1,16.53

पुनर्वि० (-)62.40

₹ 1,16.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.40 लाख की कमी मुख्यतः से रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा स्टोर वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,16.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाखों में)

**2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-**

103- हथकरघा उद्योग-

05- हथकरघा उद्योगों हेतु उपदान-  
**योजना**

(i) मूल 0.03

98.49

98.46

(-)0.03

पुनर्वि० 98.46

26- मुख्यमुत्री दस्तकसा सहायता योजना-  
योजना

(ii) मूल 20.00

24.78

24.09

(-)0.69

पुनर्वि० 4.78

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.24 लाख का आर्वधन लाभार्थियों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

190-	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए अनुदान-				
01-	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड को सहायता-				
	<b>गैर योजना</b>				
	पूरक	0.01			
			1,47.24	1,47.24	..
	पुनर्वि०	1,47.23			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.23 लाख का आर्वधन बाँड़ के मोचन के भुगतान के लिए अनुदान के रूप में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को प्रदान की गई धनराशि के कारण हुआ।				

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
60- अन्य व्यय-			
051- निर्माण -			
01- उद्योग-			
<b>योजना</b>			
मूल	1,00.00	1,00.00	66.81
			(-)33.19
	₹ 33.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।		

**4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-**

102- लघु उद्योग-				
02- जिला उद्योग केन्द्र भवन-				
<b>योजना</b>				
मूल	1,50.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,50.00			
	मार्च 2021 में ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			

800- अन्य व्यय-

01- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय-

<b>योजना</b>				
मूल	16,80.00			
पूरक	0.01	16,80.00	8,03.92	(-)8,76.08
पुनर्वि०	(-)0.01			
	₹ 8,76.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (समाप्त)**

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
107- रेशम उत्पादन उद्योग-			
01- रेशम उत्पादन उद्योग का विकास- <b>गैर योजना</b>			
मूल	1,50.00		
		3,00.00	2,99.99
पुनर्वि०	1,50.00		(-)0.01

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख का आवर्धन रेशम उत्पादन केन्द्र भवन के चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,99.99 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 50.80 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

### विनियोग लेखे

#### अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	12,48,03,07		
		12,72,46,16	(-)64,74,15
पूरक	24,43,09		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,18,45
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	12,03,03		
		12,03,05	(-)4,94,25
पूरक	2	7,08,80	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,99,16

#### टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 64,74,15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 24,43.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 1,18.45 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,07,72.01 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,40,48.51 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,94.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,99.16 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,08.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 44.17 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-</b>			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	2,94.17		
		2,80.48	2,56.97
पुनर्वि०	(-)13.69		(-)23.51
₹ 23.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>योजना</b>			
मूल	5,51.99		
पूरक	0.01	4,74.99	189.32
पुनर्वि०	(-)77.01		(-)2,85.67
₹ 2,85.67 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.01 लाख की कमी पेंशन साफ्टवेयर के लिए कार्यालय सामग्री/सर्वर पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,89.32 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 99.39 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।			
₹ 2,85.67 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
02- जिला कर्मचारी वर्ग-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	12,26.61		
		11,40.07	11,00.57
पुनर्वि०	(-)86.54		(-)39.50
₹ 39.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 39.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

03-	पिछड़े वर्गों का कल्याण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	पिछड़ा वर्ग आयोग-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	1,34.96			
			1,31.82	82.91	(-)48.91
	पुनर्वि०	(-)3.14			
	₹ 48.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
102-	आर्थिक विकास-				
01-	अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	3.20	3.20	..	(-)3.20
	₹ 3.20 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रह; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	2,28.00			
			1,68.04	1,44.52	(-)23.52
	पुनर्वि०	(-)59.96			
	₹ 23.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 59.96 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 23.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
02-	गुज्जर, लबाणा, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	20.00	20.00	2.47	(-)17.53
	₹ 17.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	सिविल सेवाओं की कोचिंग हेतु सहायता-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	5.00			
			2.10	1.50	(-)0.60
	पुनर्वि०	(-)2.90			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.90 लाख की कमी सिविल सेवाओं के लिए अनुशिक्षण के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
<b>2235-</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-</b>				
	02- सामाजिक कल्याण-				
	001- निदेशन तथा प्रशासन-				
	01- निदेशालय-				



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	1,77.36			
		1,49.84	1,42.34	(-)7.50
पुनर्वि०	(-)27.52			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
101-	विकलांगों का कल्याण-			
03-	विकलांगों का उत्थान-			
<b>योजना</b>				
मूल	3,00.00	3,00.00	2,73.87	(-)26.13
₹ 26.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,73.87 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 50.18 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
06-	विकलांगों के लिए प्रचलित योजनाओं में समन्वय तथा अतिरिक्त सहायता-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	50.00			
पूरक	0.01	18.58	17.87	(-)0.71
पुनर्वि०	(-)31.43			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.43 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
102-	बाल कल्याण-			
01-	राजकीय सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	89.25			
		69.63	69.63	..
पुनर्वि०	(-)19.62			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
05-	एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-			
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
मूल	1,69,13.00			
		1,68,25.97	1,52,42.37	(-)15,83.60
पुनर्वि०	(-)87.03			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

₹ 15,83.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.03 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, कार्यालय सामग्री की कम खरीद, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि वभिन्न सामग्री/वस्तुओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,00,23.13 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,52,42.37 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,40.36 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 15,83.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	33,94.00			
		28,17.65	22,71.77	(-)5,45.88
पुनर्वि०	(-)5,76.35			

₹ 5,45.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,76.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय को सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने तथा एकीकृत शिशुओं देखभाल सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि राज्य के हिस्से का दस प्रतिशत पूरा करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 22,71.77 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 15.59 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 5,45.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- शिशुओं का उत्थान-

**योजना**

मूल	25.00			
		2.04	2.04	..
पुनर्वि०	(-)22.96			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.96 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

13- बेटे है अनमोल-

**योजना**

मूल	9,15.00			
		6,65.00	5,44.31	(-)1,20.69
पुनर्वि०	(-)2,50.00			

₹ 1,20.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,44.31 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 25.23 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,20.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 15- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में आवास एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु गृह-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	12,44.00			
		11,22.50	10,79.84	(-)42.66
पुनर्वि०	(-)1,21.50			

₹ 42.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.50 लाख की कमी शिशु देखभाल संस्थाओं में कम प्रवेश के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 42.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	1,24.00			
		80.75	74.14	(-)6.61
पुनर्वि०	(-)43.25			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

- 20- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों को सीधा लाभार्थियों को स्थानांतरित करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

- 21- राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	1,62.00	1,62.00	67.54	(-)94.46
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	21.00	21.00	..	(-)21.00
22- बलात्कार बाल शोषण और उद्देश्य पृष्ठभूमि के नाबालिग पीड़ितों को पुनर्वास सहायता- <b>योजना</b>					
(iii)	मूल	97.00	97.00	64.83	(-)32.17
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,47.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
103- महिला कल्याण-					
01- राजकीय गृह-					
<b>गैर योजना</b>					
	मूल	39.39			
			28.15	25.07	(-)3.08
	पुनर्वि०	(-)11.24			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
<b>योजना</b>					
(i)	मूल	52.80			
			48.46	30.74	(-)17.72
	पुनर्वि०	(-)4.34			
05- राज्य महिला आयोग-					
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	5.00	5.00	0.17	(-)4.83
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 22.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
07- राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के पोषाहार- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>					
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का पुनर्विनियोजन 11 से 14 वर्ष की आयुवर्ग की स्कूल में जाने वाली किशोरियों के लिए योजना को सीमित करने के कारण कम कर दिया गया।

12- महिलाओं को नैतिक संकट से बचाव के लिए

वैकल्पिक अवसर हेतु योजना-

**योजना**

मूल 10.00

पुनर्वि० (-)10.00

₹ 10.00 लाख समस्त प्रावधान मार्च 2021 में प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

17- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-

**योजना**

(i) मूल 6,60.00 6,60.00 6,32.83 (-)27.17

18- विधवा पुनर्विवाह योजना-

**योजना**

(ii) मूल 51.00 51.00 36.00 (-)15.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 42.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल 8,88.00

पूरक 0.06 2,95.29 1,30.74 (-)1,64.55

पुनर्वि० (-)5,92.77

₹ 1,64.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,92.77 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बिजली और पानी प्रभारों, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति और किराए के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,64.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

20- सशक्त महिला योजना-

**योजना**

मूल 2,48.00

1,54.10 1,48.82 (-)5.28

पुनर्वि० (-)93.90

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.90 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

22- पोषण अभियान-

**योजना**

मूल 1,00.00

3,57.17

79.62

(-)2,77.55

पुनर्वि० 2,57.17

₹ 2,77.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,57.17 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,77.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

24- स्वाधार गृह योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल 11.00

11.00

5.95

(-)5.05

₹ 5.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

25- बाल/बालिका आश्रमों के निवासियों

को पुनर्वास हेतु सहायता-

**योजना**

मूल 20.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2021 में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

26- वो दिन-

**गैर योजना**

मूल 3,24.00

2,99.35

31.40

(-)2,67.95

पुनर्वि० (-)24.65

₹ 2,67.95 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.65 लाख की कमी विज्ञापन एवं प्रचार बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,67.95 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-

02- अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान-

**योजना**

मूल 4,52.00

2,60.36

2,60.36

..

पुनर्वि० (-)1,91.64

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,91.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- तिस्सा में वृद्धाश्रम (परिवार सहायता)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	4,00.00			
		3,43.60	3,07.60	(-)36.00
पुनर्वि०	(-)56.40			

₹ 36.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.40 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त साबित हुई।

₹ 36.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

200- अन्य कार्यक्रम-

01- दक्षता को बढ़ावा देकर रोजगार, बाह्य स्रोत  
द्वारा रोजगार प्रतिभूति-  
**योजना**

मूल	1,21.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,21.00			

मार्च 2021 में ₹ 1,21.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-  
01- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन-  
**गैर योजना**

(i) मूल	4,55,70.12	4,55,70.12	4,50,36.47	(-)5,33.65
---------	------------	------------	------------	------------

02- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विधवा पेंशन-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	98,50.24	98,50.24	95,68.41	(-)2,81.83
----------	----------	----------	----------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,15.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 4,50,36.47 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 76,37.12 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 95,68.41 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,32.44 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

06-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत  
ट्रांसजेंडर्स को पेंशन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	16.20			
		0.33	0.31	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)15.87			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.87 लाख की सारभूत कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
104-	निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना- सरकारी भविष्य निधि-			
01-	निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	2,20.00	2,20.00	1,29.55	(-)90.45
₹ 90.45 लाख की अंतिम बचत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
105-	सरकारी कर्मचारी बीमा-			
02-	सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुक्रमित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	1,90.00	1,90.00	1,65.30	(-)24.70
₹ 24.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
200-	अन्य कार्यक्रम-			
12-	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	6,00.00			
		5,00.00	4,68.20	(-)31.80
पुनर्वि०	(-)1,00.00			
₹ 31.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी अनुग्रह अनुदान के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 31.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
15-	निर्दोष मोटर दुर्घटना की प्रतिपूर्ति अदायगी-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	1,00.00	1,00.00	14.20	(-)85.80
₹ 85.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
24-	सफाई कर्मचारियों तथा जल उपचार संयंत्रों के कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा-			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	10.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)10.00			
मार्च 2021 में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया। यह प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से दौहराई जा रही है।				
800- अन्य व्यय-				
06- वित्त विभाग के पास पेंशनरों की आरक्षित निधि-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	50,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)50,00.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान विभिन्न विभागों में निधि के संवितरण के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया। यह प्रक्रिया वर्ष 2012-13 से दौहराई जा रही है।				
08- पर्यटन तथा नागर विमानन विभाग के पेंशनभोगी-				
<b>गैर योजना</b>				
(i) मूल	4.15	4.15	2.64	(-)1.51
57- दंत विभाग के पेंशनभोगी-				
<b>गैर योजना</b>				
(ii) मूल	5.82	5.82	4.25	(-)1.57
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
77- ऊर्जा निदेशालय के पेंशनर-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	1.66	1.66	..	(-)1.66
₹ 1.66 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
82- शहरी विकास विभाग के पेंशनभोगी-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	4.00	4.00	2.81	(-)1.19
₹ 1.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
90- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन के पेंशनर-				
<b>गैर योजना</b>				
(i) मूल	7.20			
		3.75	3.71	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)3.45			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

91- आश्रमों का नवीनीकरण-  
गैर योजना

(ii) मूल	55.00			
		20.00	19.23	(-)0.77
पुनर्वि०	(-)35.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 38.45 लाख की कमी कार्यालय भवनों की मरम्मत पर व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

92- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पेंशनभोगी-  
गैर योजना

मूल	1.43	1.43	..	(-)1.43
-----	------	------	----	---------

₹ 1.43 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2236- पोषण -**

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

05- पोषाहार योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

(i) मूल	46,79.00	46,79.00	35,51.14	(-)11,27.86
---------	----------	----------	----------	-------------

योजना

(ii) मूल	5,20.00	5,20.00	3,94.65	(-)1,25.35
----------	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 12,53.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

01- पुनर्वास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

05- शराबबंदी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक की नीति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

पूरक	0.02			
		1,11.22	20.04	(-)91.18
पुनर्वि०	1,11.20			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

₹ 91.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.20 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 91.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- मानसिक रोगी उपचारित हेतु पुनर्वास-  
योजना

(i) पूरक	0.01			
		1,06.34	1,06.34	..
पुनर्वि०	1,06.33			

02- समाज कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii) पूरक	0.01			
		59.90	59.90	..
पुनर्वि०	59.89			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,66.22 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**योजना**

मूल	1,59.66			
		1,97.36	1,82.92	(-)14.44
पुनर्वि०	37.70			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.70 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,82.92 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 23.26 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

102- बाल कल्याण-

11- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मानदेय-  
गैर योजना

मूल	60,06.70			
पूरक	14,18.65	79,22.70	76,40.02	(-)2,82.68
पुनर्वि०	4,97.35			

₹ 2,82.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,97.35 लाख का आवर्धन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की संशोधित दरों के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,82.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

103- महिला कल्याण-

19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-  
**योजना**

मूल	99.00			
		1,58.81	1,48.17	(-)10.64
पुनर्वि०	59.81			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.81 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुपात में व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,48.17 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 49.76 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

22- पोषण अभियान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	9,89.00			
पूरक	0.01	23,06.46	19,25.30	(-)3,81.16
पुनर्वि०	13,17.45			

₹ 3,81.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,17.45 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत कर्मचारियों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 19,25.30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 24.04 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 3,81.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

107- स्वयंसेवी सस्थानों को सहायता--

09- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

पूरक	38.05			
		75.00	75.00	..
पुनर्वि०	36.95			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.95 लाख का आवर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य संयंत्र पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 75.00 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

- 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-  
102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-  
01- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

मूल 38,00.00

47,30.34

53,70.90

+6,40.56

पूरक 9,30.34

₹ 6,40.56 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 53,70.90 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 11,26.75 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 03- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**गैर योजना**

मूल 9,00.00

पूरक 45.92

10,79.80

10,77.30

(-)2.50

पुनर्वि० 1,33.88

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,33.88 लाख का आवर्धन दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 10,77.30 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,02.58 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 04- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना-

**गैर योजना**

मूल 68,34.26

68,34.26

69,40.71

+1,06.45

₹ 1,06.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 69,40.71 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,48.58 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 800- अन्य व्यय-

- 03- सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग के पेंशनभोगी-

**गैर योजना**

(i) मूल 2,91.25

5,19.25

5,13.30

(-)5.95

पुनर्वि० 2,28.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

04- आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(ii) मूल	16.64			
		21.64	21.64	..
पुनर्वि०	5.00			
05- कोष तथा लेखा विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(iii) मूल	41.59			
		1,17.44	1,17.36	(-)0.08
पुनर्वि०	75.85			
07- मत्स्य विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(iv) मूल	8.31			
		31.31	31.29	(-)0.02
पुनर्वि०	23.00			
09- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पेंशनभोगी-- <b>गैर योजना</b>				
(v) मूल	14.15			
		22.15	21.86	(-)0.29
पुनर्वि०	8.00			
10- नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(vi) मूल	5.82			
		10.32	10.30	(-)0.02
पुनर्वि०	4.50			
11- तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(vii) मूल	36.62			
		68.89	68.08	(-)0.81
पुनर्वि०	32.27			
12- कृषि विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(viii) मूल	99.85			
		2,06.85	2,06.34	(-)0.51
पुनर्वि०	1,07.00			
13- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(ix) मूल	11.64			
		31.64	26.14	(-)5.50
पुनर्वि०	20.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

14-	उद्यान विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(x)	मूल	29.96			
			1,49.96	1,49.19	(-)0.77
	पुनर्वि०	1,20.00			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xi)	मूल	99.85			
			1,84.85	1,80.83	(-)4.02
	पुनर्वि०	85.00			
16-	उद्योग विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xii)	मूल	26.62			
			1,21.62	1,21.55	(-)0.07
	पुनर्वि०	95.00			
17-	खाद्य और आपूर्ति विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xiii)	मूल	29.96			
			69.42	69.41	(-)0.01
	पुनर्वि०	39.46			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xiv)	मूल	58.24			
			84.24	83.72	(-)0.52
	पुनर्वि०	26.00			
19-	उपभोक्ता निवारण प्रपत्र के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xv)	मूल	0.17			
			3.57	3.53	(-)0.04
	पुनर्वि०	3.40			
20-	कारागार विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xvi)	मूल	9.99			
			26.99	26.99	..
	पुनर्वि०	17.00			
21-	गृह रक्षक विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(xvii)	मूल	13.31			
			46.50	46.47	(-)0.03
	पुनर्वि०	33.19			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

23-	लोक संपर्क विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xviii)	मूल	24.96			
			59.96	59.96	..
	पुनर्वि०	35.00			
24-	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xix)	मूल	1.66			
			3.76	3.76	..
	पुनर्वि०	2.10			
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xx)	मूल	74.89			
			1,34.89	1,21.80	(-)13.09
	पुनर्वि०	60.00			
27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxi)	मूल	1,66.43			
			3,06.43	3,06.23	(-)0.20
	पुनर्वि०	1,40.00			
28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxii)	मूल	2.49			
			14.99	14.98	(-)0.01
	पुनर्वि०	12.50			
30-	भाषा कला और संस्कृति विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxiii)	मूल	2.65			
			9.27	9.01	(-)0.26
	पुनर्वि०	6.62			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxiv)	मूल	2,49.65			
			5,39.65	5,39.65	..
	पुनर्वि०	2,90.00			
32-	विधानसभा के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxv)	मूल	85.00			
			1,10.00	1,10.00	..
	पुनर्वि०	25.00			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

उपरोक्त पच्चीस मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,93.89 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

33- माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

मूल	6,24.14				
		11,24.14	10,65.09		(-)59.05

पुनर्वि० 5,00.00

₹ 59.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 59.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)

34- आयुर्वेद विभाग के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

(i) मूल	33.28				
		1,21.65	1,21.45		(-)0.20

पुनर्वि० 88.37

35- स्वास्थ्य विभाग के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

(ii) मूल	2,92.37				
		5,42.37	5,22.45		(-)19.92

पुनर्वि० 2,50.00

36- निर्वाचन विभाग के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

(iii) मूल	5.49				
		12.49	12.16		(-)0.33

पुनर्वि० 7.00

38- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

(iv) मूल	74.89				
		1,19.89	1,19.89		..

पुनर्वि० 45.00

39- लोक सेवा आयोग के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

(v) मूल	6.64				
		19.64	19.63		(-)0.01

पुनर्वि० 13.00

40- भू अभिलेख विभाग के पेंशनभोगी-  
**गैर योजना**

(vi) मूल	59.07				
		85.15	84.21		(-)0.94

पुनर्वि० 26.08

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

42-	श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(vii)	मूल	21.62			
	पुनर्वि०	26.60	48.22	47.21	(-)1.01
43-	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(viii)	मूल	1.66			
	पुनर्वि०	11.12	12.78	12.71	(-)0.07
44-	होल्डिंग्स के चकबंदी के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(ix)	मूल	11.64			
	पुनर्वि०	12.50	24.14	24.14	..
46-	धर्मशाला में बंदोबस्त अधिकारी, कांगड़ा के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(x)	मूल	8.32			
	पुनर्वि०	10.00	18.32	18.31	(-)0.01
47-	अग्निशमन सेवा विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xi)	मूल	4.98			
	पुनर्वि०	17.50	22.48	22.45	(-)0.03
49-	आबकारी और कराधान विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xii)	मूल	33.28			
	पुनर्वि०	32.57	65.85	65.00	(-)0.85
50-	सहकारिता विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xiii)	मूल	58.24			
	पुनर्वि०	20.00	78.24	78.23	(-)0.01
51-	चिकित्सा शिक्षा के पेंशनभोगी-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>					
(xiv)	मूल	51.58			
			1,69.49	1,67.92	(-)1.57
	पुनर्वि०	1,17.91			
53-	<b>आतिथ्य सत्कार संगठन के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xv)	मूल	2.48			
			6.98	6.98	..
	पुनर्वि०	4.50			
60-	<b>महाधिवक्ता के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xvi)	मूल	1.66			
			7.16	7.16	..
	पुनर्वि०	5.50			
62-	<b>खेल एवं युवा सेवाओं के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xvii)	मूल	1.34			
			4.34	4.32	(-)0.02
	पुनर्वि०	3.00			
63-	<b>जनजातीय विकास के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xviii)	मूल	0.33			
			1.53	1.53	..
	पुनर्वि०	1.20			
65-	<b>बंदोबस्त अधिकारी शिमला के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xix)	मूल	8.32			
			17.32	17.30	(-)0.02
	पुनर्वि०	9.00			
66-	<b>लघु बचत संगठन के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xx)	मूल	0.83			
			2.08	2.07	(-)0.01
	पुनर्वि०	1.25			
67-	<b>योजना विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना</b>				
(xxi)	मूल	1.66			
			12.66	12.17	(-)0.49
	पुनर्वि०	11.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

69-	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxii)	मूल	19.97			
			29.47	29.46	(-)0.01
	पुनर्वि०	9.50			
71-	वन विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(xxiii)	मूल	2,49.65			
			5,80.89	5,75.30	(-)5.59
	पुनर्वि०	3,31.24			
	उपरोक्त तेईस मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,53.84 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
73-	प्रारंभिक शिक्षा के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(i)	मूल	5,49.22			
			17,49.22	17,11.02	(-)38.20
	पुनर्वि०	12,00.00			
78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(ii)	मूल	2,99.58			
			8,49.58	8,24.55	(-)25.03
	पुनर्वि०	5,50.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 63.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,50.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 63.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)				
81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनभोगी- गैर योजना				
(i)	मूल	0.83			
			2.83	2.83	..
	पुनर्वि०	2.00			
83-	राजस्व विभाग- गैर योजना				
(ii)	मूल	1,06.19			
			2,49.42	2,47.44	(-)1.98
	पुनर्वि०	1,43.23			
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनभोगी-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
(iii) मूल	8.32			
		43.74	41.85	(-)1.89
पुनर्वि०	35.42			
87- विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग के पेंशनभोगी- <b>गैर योजना</b>				
(iv) मूल	0.48			
		1.48	1.48	..
पुनर्वि०	1.00			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,81.65 लाख का आर्वधन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-				
<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+)</b>	<b>बचत (-)</b>
		<b>(₹ लाखों में)</b>		

**4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े**

**वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

80- सामान्य-				
800- अन्य व्यय-				
01- भवनों का निर्माण- <b>योजना</b>				
मूल	60.00	60.00	46.53	(-)13.47

₹ 13.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं  
के छात्रावास का निर्माण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

(i) मूल	2,49.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)2,49.00			

मार्च 2021 में ₹ 2,49.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**

**पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- सामाजिक कल्याण-				
190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
02- महिला विकास निगम-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)**

**योजना**

मूल	1,37.00			
		75.00	75.00	..
पुनर्वि०	(-)62.00			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.00 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालय से कम मांग के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

01- अन्य व्यय-

**योजना**

मूल	3,56.00			
पूरक	0.01	3,56.00	94.10	(-)2,61.90
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 2,61.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 94.10 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 44.16 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

**4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- समाजिक कल्याण-

800- अन्य व्यय-

01- अन्य व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना**

मूल	51.00			
पूरक	0.01	1,62.87	1,43.18	(-)19.69
पुनर्वि०	1,11.86			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.86 लाख का आवर्धन कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 - ग्रामीण विकास**

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	14,09,76,54			
		14,09,76,58	12,46,29,78	(-)1,63,46,80
पूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,06,54,56
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		34	34	..
पूरक	34			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,27,01			
		11,87,01	11,86,00	(-)1,01
पूरक	60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,63,46.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,06,54.56 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,46,29.78 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,20,55.92 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 11,86.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,51.40 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2216- आवास-</b>			
03- ग्रामीण आवास-			
102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-			
04- मुख्यमंत्री आवास योजना- योजना			
(i) मूल	12,99.00	12,99.00	12,44.50
			(-)54.50
07- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(ii) मूल	7,12.00	7,12.00	4,48.04
			(-)2,63.96
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,18.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 12,44.50 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5,06.25 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।			
<b>योजना</b>			
मूल	3,29.00	3,29.00	..
			(-)3,29.00
₹ 3,29.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
09- स्वर्ण जयंती आश्रय आवास योजना- गैर योजना			
मूल	25,00.00		
		..	..
पुनर्वि0	(-)25,00.00		
मार्च 2021 में ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को मांग संख्या 32 में स्थानांतरित करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			
<b>2230- श्रम तथा रोजगार-</b>			
03- प्रशिक्षण-			
003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

01-	हिमाचल प्रदेश के सिलाई केन्द्र- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	1,11.23			
			71.23	64.13	(-)7.10
	पुनर्वि०	(-)40.00			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
<b>2501-</b>	<b>ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-</b>				
	06- स्वरोजगार योजना-				
	101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-				
	05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	योजना				
(i)	मूल	17,77.00			
			10,81.06	5,67.51	(-)5,13.55
	पुनर्वि०	(-)6,95.94			
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1,97.00			
			1,07.31	50.25	(-)57.06
	पुनर्वि०	(-)89.69			
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	45,51.00			
			14,11.65	13,26.60	(-)85.05
	पुनर्वि०	(-)31,39.35			
	उपरोक्त तीन मामलों ₹ 6,55.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,24.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 11,62.42 लाख का अनुदान क्रम संख्या (i) पर भारत सरकार से योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 6,55.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	5,06.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)5,06.00			
	मार्च 2021 में ₹ 5,06.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया और राज्य का हिस्सा भी आनुपातिक रूप से जारी कर दिया गया।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

08- श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मरण मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 15,99.00  
9,44.48 4,72.24 (-)4,72.24

पुनर्वि० (-)6,54.52

**योजना**

(ii) मूल 2,63.00  
60.94 8.47 (-)52.47

पुनर्वि० (-)2,02.06

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,24.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,56.58 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि क्रमांक संख्या (i) पर भारत सरकार से ₹ 2,69.74 लाख का अनुदान भारत सरकार से योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,24.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- राष्ट्रीय बांस मिशन -

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 1.00  
.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

**योजना**

(ii) मूल 1.00  
.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

800- अन्य व्यय-

07- बालिका गौरव पुरस्कार योजना-  
**गैर योजना**

(iii) मूल 1,50.00  
.. .. ..

पुनर्वि० (-)1,50.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,52.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में कोविड-19 के कारण लाभार्थियों की पहचान नहीं की जा सकने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**2505- ग्रामीण रोजगार-**

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

01-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- योजना				
(i)	मूल	59,23.00	59,23.00	51,63.48	(-)7,59.52
<b>2515-</b>	<b>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-</b>				
003-	प्रशिक्षण-				
01-	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र- गैर योजना				
(ii)	मूल	2,60.57			
			2,66.08	2,39.35	(-)26.73
	पुनर्वि०	5.51			
101-	पंचायती राज-				
01-	पंचायती राज विभाग- गैर योजना				
(iii)	मूल	29,10.66			
			29,16.02	23,06.31	(-)6,09.71
	पुनर्वि०	5.36			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 13,95.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि क्रमांक संख्या (i) में भारत सरकार से ₹ 2,14,55.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
16-	राष्ट्रीय बांस मिशन - केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
102-	सामुदायिक विकास-				
01-	ग्रामीण विकास योजना- गैर योजना				
	मूल	1,14,91.99			
			87,89.90	76,17.81	(-)11,72.09
	पुनर्वि०	(-)27,02.09			
	₹ 11,72.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,02.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 11,72.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

16-	कार्यालय भवन/भंडार का निर्माण/नवीनीकरण योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	6,58.00	6,58.00	5,37.36	(-)1,20.64
	₹ 1,20.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,37.36 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,06.99 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
18-	महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान- <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1,09.00			
	पुनर्वि०	(-)1,09.00	..	..	..
20-	शौचालय योजना के अन्तर्गत राज्य प्रोत्साहन योजना- <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,00.00	..	..	..
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,09.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2021 में कोविड-19 के कारण लाभार्थियों की पहचान न की जा सकने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
23-	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
	मूल	1,50,05.00			
	पूरक	0.01	15,81.26	15,81.26	..
	पुनर्वि०	(-)1,34,23.75			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34,23.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 15,81.26 लाख का अनुदान भारत सरकार से योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	24,71.00			
	पुनर्वि०	(-)24,71.00	..	..	..
	मार्च 2021 में ₹ 24,71.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
06-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को मूल अनुदान-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	39,87.00			
		29,69.91	29,69.91	..
पुनर्वि०	(-)10,17.09			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,17.09 लाख की कमी पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों के त्रिस्तरीय निधि की वितरण की हिस्सेदारी की पद्धति में परिवर्तन के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 29,69.91 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,81.15 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

07- केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत  
समितियों को बंधित अनुदान-  
**गैर योजना**

मूल	39,87.00			
		29,63.00	29,64.41	+1.41
पुनर्वि०	(-)10,24.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,24.00 लाख की कमी पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पंचायत राज संस्थानों के तीन स्तरों के लिए निधि के वितरण के लिए हिस्सेदारी की पद्धति में परिवर्तन के कारण हुई।

198- ग्राम पंचायतों को सहायता-  
04- पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-  
**गैर योजना**

मूल	1,15,85.70	1,15,85.70	1,13,00.76	(-)2,84.94
-----	------------	------------	------------	------------

₹ 2,84.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,13,00.76 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6,93.78 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

**2216- आवास-**

## 03- ग्रामीण आवास-

102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-

05- गरीबी रेखा से नीचे सामान्य श्रेणी के लिए

मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मरम्मत योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
पूरक	0.01			
		50.00	50.00	..
पुनर्वि०	49.99			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.99 लाख का आवर्धन 2019-20 की लंबित देयता के भुगतान के कारण हुआ।				
<b>2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-</b>				
06- स्वरोजगार योजना-				
101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-				
03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
मूल	3,97.00			
		6,45.46	6,36.19	(-).9.27
पुनर्वि०	2,48.46			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,48.46 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय-				
03- मातृ शक्ति बीमा योजना-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	2,00.00			
		2,62.00	2,62.00	..
पुनर्वि०	62.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.00 लाख का आवर्धन लम्बित देयताओं के भुगतान के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,62.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 16.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
मूल	14,80.00			
		48,34.70	48,34.70	..
पुनर्वि०	33,54.70			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33,54.70 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	1,64.00			
		5,37.19	5,37.19	..
पुनर्वि०	3,73.19			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,73.19 लाख का आर्वधन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

**2505- ग्रामीण रोजगार-**

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-  
योजना

(i) मूल	1,77,69.00			
		2,12,87.43	2,12,87.43	..
पुनर्वि०	35,18.43			

04- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-  
योजना

(ii) मूल	0.01			
		2,91.37	2,91.37	..
पुनर्वि०	2,91.36			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38,09.79 लाख का आर्वधन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-**

101- पंचायती राज-

02- पंचायती राज संस्थानों को सहायता-  
गैर योजना

मूल	82.01			
		11,02.01	11,01.48	(-)0.53
पुनर्वि०	10,20.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,20.00 लाख का आर्वधन निर्विरोध पंचायतों को प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 11,01.48 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 33.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)**

- 15- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना  
मूल 12,71.00  
पूरक 0.01 14,47.13 14,47.13 ..  
पुनर्वि० 1,76.12

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 196- जिला परिषदों को सहायता-  
04- पांचवें राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत  
जिला परिषदों को अनुदान-  
गैर योजना  
मूल 1,03,76.76  
पुनर्वि० 68,59.54

1,72,36.30 1,63,93.80 (-)8,42.50

₹ 8,42.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68,59.54 लाख का आवर्धन जिला परिषदों में तकनीकी सहायक और अन्य कर्मचारियों के सम्मिलित होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,63,93.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7,21.34 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 8,42.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 06- केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत  
जिला परिषदों को मूल अनुदान-  
गैर योजना  
मूल 20,28.00  
पुनर्वि० 10,21.20

30,49.20 30,49.20 ..

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,21.20 लाख का आवर्धन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों के त्रिस्तरीय निधि की वितरण की हिस्सेदारी की पद्धति में परिवर्तन के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 30,49.20 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 15,21.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 07- केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला  
परिषदों को बंधित अनुदान-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 20 (समाप्त)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	20,28.00			
		30,42.00	30,42.00	..
पुनर्वि०	10,14.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,14.00 लाख का आवर्धन पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत राज संस्थानों के तीन स्तरों के लिए राशि के वितरण के लिए हिस्सेदारी की पद्धति में परिवर्तन के कारण हुआ।				
197-	पंचायत समितियों को सहायता-			
04-	पांचवें राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को अनुदान-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	8,76.54			
		9,87.95	9,73.66	(-)14.29
पुनर्वि०	1,11.41			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.41 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुआ।				
198-	ग्राम पंचायतों को सहायता-			
05-	वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन अनुदान-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	1,39,52.00			
		1,39,84.56	1,39,84.56	..
पुनर्वि०	32.56			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.56 लाख का आवर्धन पंद्रहवें वित्त आयोग की विज्ञप्तियों के ब्याज भुगतान के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,39,84.56 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 69,76.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)		
<b>4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
101-	पंचायती राज-			
03-	ग्राम गौरव पट्ट-			
<b>गैर योजना</b>				
मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21- सहकारिता**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण )

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	36,46,33			
		38,95,47	36,25,24	(-)2,70,23
पूरक	2,49,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		13,04	..	(-)13,04
पूरक	13,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,00			
		58,56,97	58,55,97	(-)1,00
पूरक	58,54,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,70.23 की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 2,49.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 13.04 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)**

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2425- सहकारिता-</b>			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	5,37.18		
	3,60.92	3,21.21	(-)39.71
पुनर्वि०	(-)1,76.26		
₹ 39.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 39.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
02- जिला कर्मचारी वर्ग-			
<b>गैर योजना</b>			
मूल	21,27.44		
	18,44.30	16,83.31	(-)1,60.99
पुनर्वि०	(-)2,83.14		
₹ 1,60.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,83.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतन मानों में संशोधन न होने, यात्रा भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 1,60.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
109- कृषि उधार स्थिरिकरण निधि-			
01- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं पर व्यय-			
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>			
मूल	1.00	1.00	..
			(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)**

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>			
01- कार्यालय भवन			
053- रखरखाव और मुरम्मत-			
06- कार्यालय भवनों का रखरखाव- गैर योजना			
मूल	0.01		
		10.01	
पुनर्वि०	10.00		
		10.01	..
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.01 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।			
<b>2425- सहकारिता-</b>			
101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा-			
01- अंकेक्षण कर्मचारी वर्ग- गैर योजना			
मूल	9,06.20		
पूरक		10,05.73	
पुनर्वि०	99.53		
		9,37.21	(-)68.52
₹ 68.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.53 लाख का आवर्धन सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकों की लम्बित देनदारियों की निकासी के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 68.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता-			
01- विपणन सभाओं को प्रबंधकीय उपदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल	1.00		
पूरक	2,49.13		
पुनर्वि०	3,49.87		
		6,00.00	..
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,49.87 लाख का आवर्धन केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना के अन्तर्गत कृषि एवं विपणन और सहकारी समितियों के लिए उपदान के कारण हुआ।			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21 (समाप्त)**

(v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2425- सहकारिता-</b>			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय- गैर योजना			
पूरक	13.04	13.04	.. (-)13.04

मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 13.04 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>6425- सहकारिता के लिए ऋण-</b>			
108- अन्य सहकारिता को ऋण-			
05- विपणन सहकारिताओं को ऋण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल	1.00	1.00	.. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

### विनियोग लेखे

#### अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,05,67,29		
पूरक	6	3,05,67,35	2,75,69,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)29,97,38
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,97		
पूरक	9,00	13,97	13,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)12
			..

#### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29,97.38 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से ₹ 28,36.22 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,75,69.97 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 30,29.61 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

#### राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2236- पोषण-</b>			
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-  
06- अन्नपूर्णा योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**  
मूल 15.00

पुनर्वि० (-)15.00

मार्च 2021 में ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**2408- खाद्य भंडारण और भांडागार-**

01- भोजन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-  
02- जिला फोरम का कर्मचारी वर्ग-  
**गैर योजना**

मूल 6,10.08

5,16.33

4,81.46

(-)34.87

पुनर्वि० (-)93.75

₹ 34.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मोटर वाहनों पर कम व्यय, मानदेय का कम भुगतान और पानी विद्युत तथा दूरभाष बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

102- खाद्य सहायता-

13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं  
और चावल पर उपदान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 24,24.00

पुनर्वि० (-)24,24.00

मार्च 2021 में ₹ 24,24.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**3456- नागरिक आपूर्ति-**

001- निदेशन और प्रशासन-  
01- निदेशालय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	4,56.13			
		3,60.65	3,36.40	(-)24.25
पुनर्वि०	(-) 95.48			

₹ 24.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.48 लाख की कमी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों के लम्बित बिलों के अधिक भुगतान व मजदूरी, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 24.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 02- जिला कार्यालय-

**गैर योजना**

मूल	10,74.85			
		9,60.32	8,89.19	(-)71.13
पुनर्वि०	(-)1,14.53			

₹ 71.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 71.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 04- उपभोक्ता जागरूकता-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना**

(i) मूल	18.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)18.00			

## 05- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना**

(ii) मूल	30.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)30.00			

## 06- कीमत अनुश्रवण का सुदृढीकरण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(iii) मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में ₹ 49.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-**

106- भार और माप का विनियमन-

01- भार तथा माप संगठन-

**गैर योजना**

मूल	3,62.68			
		2,73.93	2,49.44	(-) 24.49
पुनर्वि०	(-)88.75			

₹ 24.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 24.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

17- खाद्य और आपूर्ति विभाग के रखरखाव पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	2.00			
		27.00	27.00	..
पुनर्वि०	25.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन निदेशालय एवं जिला कार्यालय भवनों की मामूली मरम्मत के कारण हुआ।

**2408- खाद्य भंडारण और भांडागार-**

01- भोजन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- राज्य खाद्य आयोग-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	0.02			
पूरक	0.06	19.87	13.52	(-)6.35
पुनर्वि०	19.79			

₹ 6.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.79 लाख का आवर्धन अध्यक्ष सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, किराये की टैक्सियों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत के बिलों की अधिक प्राप्ति और कार्यालय की वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 6.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4408- खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
02- भंडारण और भांडागार-			
101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-			
03- गोदामों का निर्माण-			
<b>योजना</b>			
पूरक	1.00	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00		

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
102- नागरिक आपूर्ति-			
01- भवन-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (समाप्त)**

**गैर योजना**

मूल	2.99			
पूरक	9.00	12.99	12.99	..
पुनर्वि०	1.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन दिनांक स्टाम्प,प्लग एवं डाई की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,04,92,26			
		5,39,12,53	5,35,11,63	(-)4,00,90
पूरक	34,20,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,07,30,01			
		3,07,30,02	3,04,03,74	(-)3,26,28
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,00.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 34,20.27 लाख अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,26.28 लाख की सम्पूर्ण बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा ₹ 0.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

## राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

## 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-

01- विद्युत निरीक्षणालय-

261  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

**गैर योजना**

मूल	3,30.51			
		1,84.34	1,75.12	(-)9.22
पुनर्वि०	(-)1,46.17			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,46.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

**2801- विद्युत-**

01- जल विद्युत उत्पादन-

101- बिजली की क्रय-

01- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड-

**गैर योजना**

मूल	5,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)5,00.00			

मार्च 2021 में ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों की आवश्यकता न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- ऊर्जा निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	7,85.22			
पूरक	0.01	8,01.18	4,09.52	(-)3,91.66
पुनर्वि०	15.95			

₹ 3,91.66 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.95 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, समीक्षा याचिका भरने तथा विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 3,91.66 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

**2801- विद्युत-**

80- सामान्य-

101- विद्युत बोर्डों को सहायता-

07- शुल्क रोल बैंक पर अनुदान-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	4,80,00.00			
पूरक	34,20.26	5,20,45.00	5,20,45.00	..
पुनर्वि०	6,24.74			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,24.74 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को देय पुस्तक समायोजन के लिए उपदान के लिए बजट की अधिक आवश्यकता और इसके विपरीत के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- मध्यस्थता शुल्क की अदायगी पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	5.00			
		10.50	10.50	..
पुनर्वि०	5.50			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.50 लाख का आवर्धन मध्यस्थ शुल्क के भुगतान के कारण हुआ।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-</b>			
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-			
01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण- <b>योजना</b>			
मूल	51,33.00		
		11.54	..
पुनर्वि०	(-)51,21.46		(-)11.54

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51,21.46 लाख की सारभूत कमी एशियाई विकास बैंक ऋण के बंद होने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-23 (समाप्त)**

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-

**गैर योजना**

मूल	1,73,00.00			
पूरक	0.01	1,73,00.00	1,69,85.28	(-)3,14.72
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 3,14.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- हाईडल उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

06- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम में इक्विटी योगदान -  
**योजना**

मूल	7,24.00			
		58,45.46	58,45.46	..
पुनर्वि०	51,21.46			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51,21.46 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक निवेश और योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं में चल रही निर्माण गतिविधियों का समर्थन करने के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	30,51,83		
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	30,51,83	27,60,48	(-)2,91,35
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	41,58		
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	41,58	41,58	..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,91.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 72.73 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

## 2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-



**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-24 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	1,55.26			
		1,15.28	1,13.18	(-)2.10
पुनर्वि०	(-)39.98			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.98 लाख की कमी पंचायती राज और स्थानीय निकायों के आम चुनावों के लिए रिक्त पदों का न भरने तथा आतिथ्य और लेखन सामग्री पर कम व्यय के कारण हुई।

## 103- सरकारी मुद्रणालय-

## 01- हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-

**गैर योजना**

मूल	20,23.54			
		18,45.74	16,36.00	(-)2,09.74
पुनर्वि०	(-)1,77.80			

₹ 2,09.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,77.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पंचायती राज तथा स्थानीय निकायों के आम चुनावों के लिए लेखन सामग्री की अधिक खरीद, बाह्य स्रोत व मशीनरी के वार्षिक रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,09.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 104- अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-

## 01- निजी मुद्रणालय-

**गैर योजना**

मूल	12.48			
		12.46	9.69	(-)2.77
पुनर्वि०	(-)0.02			

₹ 2.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 02- अन्य सरकारी मुद्रणालय-

**गैर योजना**

मूल	22.35			
		10.72	7.79	(-)2.93
पुनर्वि०	(-)11.63			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-24 (समाप्त)**

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-</b>			
101- लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा आपूर्ति-			
01- लेखन सामग्री- गैर योजना			
मूल	4,71.58		
पुनर्वि०	64.21	5,35.79	5,36.73
			+0.94
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.21 लाख का आवर्धन राज्य में पंचायती राज/संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों के लिए लेखन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।			
102- फॉर्मों का मुद्रण, भंडारण और वितरण-			
01- फार्मों की आपूर्ति- गैर योजना			
मूल	8.49		
पुनर्वि०	15.98	24.47	24.14
			(-)0.33
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.98 लाख का आवर्धन अन्य लेखा शीर्ष से स्थानांतरित पदों के वेतन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव और मुरम्मत-			
13- लेखन सामग्री विभाग के भवनो के रखरखाव- गैर योजना			
मूल	0.01		
पुनर्वि०	81.53	81.54	81.53
			(-)0.01
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.53 लाख का आवर्धन सरकारी विभागीय भवन की मुरम्मत एवं रख रखाव के कारण हुआ।			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002-भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत तथा 5056 अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,16,00,02		
		5,74,67,80	
पूरक	2,58,67,78		
		5,62,89,09	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)11,78,71
<b>प्रभारित</b>			
मूल	..		
		8,52	
पूरक	8,52		
		8,52	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,02,67,01		
		1,48,50,66	
पूरक	45,83,65		
		1,54,61,72	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+6,11,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,11,05,979 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,78.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 2,58,67.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,62,89.02 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 11,22.40 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,11.06 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 45,83.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,54,61.72 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 11,15.17 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2041- वाहनों पर कर-</b>			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग- गैर योजना			
मूल	13,51.87		
		13,50.83	4,24.43
पुनर्वि०	(-1.04)		(-)9,26.40

₹ 9,26.40 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,24.43 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 72.41 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

- 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-  
101- गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-  
04- यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>गैर योजना</b>			
मूल	68.00		
		52.83	15.17
पुनर्वि०	(-)15.17		(-)37.66

₹ 37.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.17 लाख की कमी दुर्घटना ग्रस्त दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 37.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**3055- सड़क परिवहन-**

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-  
01- निदेशालय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	12,96.75			
पूरक	67.78	13,89.40	11,74.89	(-)2,14.51
पुनर्वि०	24.87			

₹ 2,14.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.87 लाख का आर्वधन होम गार्ड का सेवाओं को बाह्य स्रोत सेवाओं में बदलने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,14.51 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- कम्प्यूटरीकरण-  
**योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**3056- अंतर्देशीय जल परिवहन-**

## 001- निदेशन तथा प्रशासन-

## 01- अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था-

**गैर योजना**

मूल	11.37			
		4.73	4.61	(-)0.12
पुनर्वि०	(-) 6.64			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

## (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**5002- भारतीय रेल वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय -**

## 01- पंजी लाभाश देयता-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

120- नई लाइनें (निर्माण)

01- रेलवे लाइनों का निर्माण-  
योजना

मूल 37,50.00

80,33.00

87,50.00

+7,17.00

पूरक 42,83.00

₹ 7,17.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

050- भूमि तथा भवन-

01- बस स्टैंड का निर्माण-  
गैर योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

06- सरकाघट में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान का निर्माण-  
योजना

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

08- आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

(ii) मूल 1,00

..

..

..

पुनर्वि० (-) 1.00

योजना

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

03- परिवहन विभाग में रोड ट्रांसपोर्ट ऑस के भवनों का निर्माण-  
योजना

पूरक 98.99

1,04.00

..

(-)1,04.00

पुनर्वि० 5.01

अनुपूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 1,04.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**5056- अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-**

101- भूमिगत सुविधाएं

01- जैटिंग अन्तर्देशीय जल परिवहन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 1,00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत(-)
<b>राजस्व प्रवर्ग दत्तमत</b>			
मूल	1,53,48,64		
पूरक	4	1,31,59,83	(-)21,88,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			19,82,21
<b>पूंजीगत प्रवर्ग दत्तमत</b>			
मूल	9,58,71,00		
पूरक	..	34,02,70	(-)9,24,68,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			8,90,00,00

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 21,88.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 19,82.21 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,31,59.83 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 19,26.98 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,24,68.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 8,90,00.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 34,02.70 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,99.02 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

## 3053- नागर विमानन-

02- हवाई अड्डे-



## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

102- विमान पतन-

02- पुनर्वास और एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का रखरखाव-

## गैर योजना

मूल 1,00,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1,00,00.00

मार्च 2021 में द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के कारण प्रस्ताव की उपलब्धता को अंतिम रूप न देने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

80- सामान्य

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी-

## गैर योजना

मूल 47.45 47.45 36.90 (-)10.55

₹ 10.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

## गैर योजना

(i) मूल 2,22.28

2,39.11 1,84.88 (-)54.23

पुनर्वि० 16.83

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

## गैर योजना

(ii) मूल 4,40.90

4,51.42 4,24.14 (-)27.28

पुनर्वि० 10.52

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 81.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- ब्याज छूट-

## गैर योजना

पूरक 0.01

1,00.00 .. (-)1,00.00

पुनर्वि० 99.99

₹ 1,00.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन राज्य में कोविड-19 के दौरान पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने/मजबूत करने और नई योजना को शुरू करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)**

003- प्रशिक्षण-

01- प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिष्यवृत्तियां/छात्रवृत्तियां-  
**योजना**

मूल	18.00	18.00	13.63	(-)4.37
-----	-------	-------	-------	---------

₹ 4.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

800- अन्य व्यय-

08- पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन-  
**योजना**

मूल	18.00			
		13.33	5.64	(-)7.69

पुनर्वि० (-)4.67

₹ 7.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.67 लाख की कमी कोविड-19 के कारण बैठकों के कम आयोजन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

**3452- पर्यटन-**

01- पर्यटन अवसंरचना-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

04- हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सहायता-

**गैर योजना**

पूरक	0.01			
		38,21.00	38,21.00	..

पुनर्वि० 38,20.99

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 38,20.99 लाख का आवर्धन कॉर्पोरेशन द्वारा उत्पन्न कोविड-19 से कम आय के कारण हुआ, अतः कर्मचारियों के वेतन के लिए सहायता अनुदान जारी किया गया।

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-

**योजना**

मूल	28,38.00			
पूरक	0.02	69,07.47	69,07.47	..

पुनर्वि० 40,69.45

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-26 (समाप्त)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40,69.45 लाख का आवर्धन परियोजना के विस्तार और वेतन पर किए गए अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 69,07.47 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 19,26.98 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**पूजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>5053- नागरिक विमानन पर पूजीगत परिव्यय-</b>			
02- हवाई अड्डे-			
102- विमान पत्तन-			
01- हेलीपैड और हवाई पट्टियों का निर्माण - योजना			
मूल	4,71.00	4,71.00	4,39.11
			(-)31.89

₹ 31.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- हवाई अड्डे/हेलीपोर्टों का विकास-

मूल	9,00,00.00			
		10,00.00	1,60.87	(-)8,39.13
पुनर्वि०	(-)8,90,00.00			

₹ 8,39.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,90,00.00 लाख की सारभूत कमी सर्वेक्षण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,39.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**5452- पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय-**

01- पर्यटन अवसंरचना-

800- अन्य व्यय-

03- नई राहें नई मंजिलें-

**गैर योजना**

मूल	50,00.00	50,00.00	24,12.71	(-)25,87.29
-----	----------	----------	----------	-------------

₹ 25,87.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 24,12.71 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,29.52 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216 आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,62,38,16		
		3,73,52,35	(-)1,16,38,81
पूरक	11,14,19		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			8,73
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	85,93,01		
		85,93,01	(-)6,82,50
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,16,38.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 11,14.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 8.73 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,57,13.54 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 15,93.86 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,82.50 लाख की सम्पूर्ण बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं का गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 79,10.51 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6,00.36 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:- शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
---	------------	-----------------------------------	-----------------------

**2203- तकनीकी शिक्षा**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**गैर योजना**

(i) मूल	3,13.00	3,13.00	2,85.08	(-)27.92
---------	---------	---------	---------	----------

105- बहुतकनीकी संस्थान-

01- राजकीय बहुतकनीकी विद्यालय-

**गैर योजना**

(ii) मूल	40,93.31	40,86.28	33,68.82	(-)7,17.46
----------	----------	----------	----------	------------

पुनर्वि० (-)7.03

**योजना**

(iii) मूल	11,77.00	11,77.00	10,37.38	(-)1,39.62
-----------	----------	----------	----------	------------

112- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-

01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय तथा मूल संस्थान-

**गैर योजना**

(iv) मूल	8,35.87	8,19.84	5,87.61	(-)2,32.23
----------	---------	---------	---------	------------

पुनर्वि० (-)16.03

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 11,27.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 33,68.82 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

मूल	13,31.00	13,06.00	11,70.39	(-)1,35.61
-----	----------	----------	----------	------------

पुनर्वि० (-)25.00

₹ 1,35.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी इंजीनियरिंग/ फार्मसी कॉलेज से कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,35.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)**

03- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान-  
**गैर योजना**

मूल 10.00

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2021 में प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-**

01- श्रम-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-  
**गैर योजना**

(i) मूल 1,76.15 1,76.15 1,10.43 (-)65.72

101- औद्योगिक सम्बन्ध-

01- श्रम नियमों को लागू करना-  
**गैर योजना**

(ii) मूल 5,66.27  
पूरक 4.00 5,85.01 4,44.52 (-)1,40.49  
पुनर्वि० 14.74

02- विवादों का निपटारा-  
**गैर योजना**

(iii) मूल 1,82.91 1,81.37 1,19.86 (-)61.51  
पुनर्वि० (-)1.54

02- रोजगार सेवाएं-

004- अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

01- रोजगार बाजार की जानकारी का संग्रह-  
**गैर योजना**

(iv) मूल 70.28 70.28 47.26 (-)23.02

101- रोजगार सेवाएं-

01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार -  
**गैर योजना**

(v) मूल 11,19.93 11,34.98 8,86.40 (-)2,48.58  
पूरक 5.22  
पुनर्वि० 9.83

02- व्यवसायिक सुझाव तथा रोजगार मंत्रणा-

(vi) **गैर योजना**

मूल 37.04 37.04 27.62 (-)9.42

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)**

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 5,48.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- विशेष रोजगार कार्यालय अनुसूचित जाति-  
**गैर योजना**

मूल	17.09			
		11.09	5.81	(-)5.28
पुनर्वि०	(-)6.00			

₹ 5.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 5.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- प्रशिक्षण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- तकनीकी शिक्षा निदेशालय व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण-  
**गैर योजना**

मूल	33.84	33.84	8.34	(-)25.50
-----	-------	-------	------	----------

₹ 25.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

003- शिल्पकार तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

05- शिल्पकार तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-  
**गैर योजना**

मूल	58,29.17			
		57,64.17	53,91.12	(-)3,73.05
पुनर्वि०	(-)65.00			

₹ 3,73.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी प्रति घंटे के आधार पर अशकालिक श्रमिकों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,73.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

09- कौशल विकास भत्ता-

**गैर योजना**

मूल	99,00.00			
		97,62.75	27,33.41	(-)70,29.34
पुनर्वि०	(-)1,37.25			

₹ 70,29.34 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.25 लाख की कमी कौशल विकास भत्ते सरकारी संस्थानों को बंद करने तथा विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुए।

₹ 70,29.34 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक  
प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में उन्नयन-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## योजना

मूल	50.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)50.00			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2021 में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के कारण संगोष्ठियों पर कम व्यय के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-

## योजना

मूल	40,15.00	40,15.00	14,16.40	(-)25,98.60
-----	----------	----------	----------	-------------

₹ 25,98.60 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 14,16.40 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14,08.90 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

277- शिक्षा-

04- तकनीकी छात्रवृत्ति-

## गैर योजना

मूल	19.08			
-----	-------	--	--	--

42.14

42.12

(-)0.02

पुनर्वि०	23.06			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.06 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 42.12 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 23.04 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास-

01- श्रम-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)**

102-	कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा-				
01-	कारखानों का निरीक्षणालय-				
	<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	5.25			
			11.25	9.17	(-)2.08
	पुनर्वि०	6.00			
02-	रोजगार सेवाएं-				
101-	रोजगार सेवाएं-				
03-	विश्व विद्यालय रोजगार तथा सुझाव-				
	<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	5.09			
			11.09	8.98	(-)2.11
	पुनर्वि०	6.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख का आवर्धन वेतन पर अधिक व्यय एवं वास्तविक गणना के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2012)।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	बेरोजगारी भत्ता-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	39,00.00			
			39,94.50	39,62.56	(-)31.94
	पुनर्वि०	94.50			
	₹ 31.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.50 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत श्रमिकों की अधिक नियुक्ति और लंबित देनदारियों के समाशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 39,62.56 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.15 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
	₹ 31.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
03-	<b>प्रशिक्षण-</b>				
003-	दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				
05-	दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	17,03.00			
			17,28.00	19,71.87	+2,43.87
	पुनर्वि०	25.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)**

₹ 2,43.87 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन अधिक बाह्य स्रोत श्रमिकों की नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 2,43.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 11- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल  
उपयोगिता सवर्धन/सशक्तिकरण परियोजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-**

मूल	2.00			
पूरक	9,56.63	10,78.63	10,78.63	..
पुनर्वि०	1,20.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.00 लाख का आवर्धन कौशल सुदृढीकरण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			
<b>4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
02- तकनीकी शिक्षा-			
104- बहतकनीकी संस्थान-			
01- भवन-			
<b>गैर योजना</b>			
(i) मूल	1,00.00	1,00.00	60.36
			(-)39.64
105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-			
01- भवन-			
<b>गैर योजना</b>			
(ii) मूल	11.00	11.00	1.00
			(-)10.00
<b>योजना</b>			
(iii) मूल	40,40.00	40,40.00	37,79.70
			(-)2,60.30
03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-			
<b>योजना</b>			
(iv) मूल	24,00.00	24,00.00	20,28.24
			(-)3,71.76

उपरोक्त चार मामलों में 6,81.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (iii) में ₹ 37,79.70 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6,00.36 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,55,65,61			
		7,34,11,28	7,54,50,55	+20,39,27
पूरक	78,45,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		10,00,00	..	(-)10,00,00
पूरक	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,74,50,00			
		1,80,03,26	68,97,25	(-)1,11,06,01
पूरक	5,53,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,39,26,716 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,39.27 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 78,45.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,54,50.55 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,78,73.79 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन से मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा। जोकि बजट तथा व्यय पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता को और इंगित करता है।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,11,06.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 5,53.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 68,97.25 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 59.61 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>			
02- मल निकासी तथा स्वच्छता-			
105- स्वच्छता सेवाएं-			
04- मरम्मत और रखरखाव- योजना			
मूल	3,85.00	3,85.00	4,05.38
			+20.38

₹ 20.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2217- शहरी विकास-**

80- सामान्य-			
191- नगर निगम को सहायता-			
45- केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार- गैर योजना			
मूल	62,14.31		
		69,87.66	66,62.77
			(-)3,24.89
पुनर्वि0	7,73.35		

₹ 3,24.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,73.35 लाख का आवर्धन नगर परिषदों का नगर निगमों के रूप में उन्नयन तथा चौदहवें वित्तायोग के अन्तर्गत द्वितीय किश्त जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 66,62.77 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 21,90.59 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 3,24.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

48- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन -  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	26,03.00			
पूरक	5,65.67	35,55.48	35,55.48	..
पुनर्वि०	3,86.81			

मार्च 2021 में पुनविनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,86.81 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 60,54.18 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ।

**योजना**

मूल	2,78.00			
		3,83.83	3,83.83	..
पुनर्वि०	1,05.83			

मार्च 2021 में पुनविनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.83 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ इसलिए अनुपातिक राज्य हिस्सेदारी जारी कर दी गई।

56- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला  
जल आपूर्ति स्कीम-  
**गैर योजना**

मूल	1,08,89.00	1,08,89.00	1,80,13.00	+71,24.00
-----	------------	------------	------------	-----------

₹ 71,24.00 लाख के अतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,80,13.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 71.24 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

57- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-  
**गैर योजना**

मूल	2,00.00	2,00.00	3,80.00	+1,80.00
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 1,80.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,80.00 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2059- लोक निर्माण कार्य-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

01- कार्यालय भवन-				
053- रखरखाव तथा मुरम्मत-				
95- शहरी विकास विभाग के भवन का अनुस्क्षण-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2216- आवास-**

02- शहरी आवास-				
105- भू-संपदा विनियमितीकरण और विकास अधिनियम,2016 के अन्तर्गत निर्मोचन -				
01- हिमाचल प्रदेश भू-संपदा नियामक प्राधिकरण-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	2,70.00	2,70.00	2,50.00	(-)20.00

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2217- शहरी विकास-**

80- सामान्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	3,50.44			
		2,86.66	2,63.14	(-)23.52
पुनर्वि०	(-)63.78			

₹ 23.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.78 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नगरपालिका सम्पत्ति कर एवं कार्यालय भवन किराये का बकाया, पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के निर्माण के लिए परामर्श सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय-				
<b>गैर योजना</b>				
मूल	17,67.14			
		13,42.61	12,77.64	(-)64.97
पुनर्वि०	(-)4,24.53			

₹ 64.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,24.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति एवं मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 64.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

191- नगर निगम को सहायता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

47-	स्वच्छ भारत मिशन के लिए सहायता अनुदान- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1,00.00	1,00.00	..	(-)1,00.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	11.00	11.00	..	(-)11.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,11.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार से ₹ 15,81.26 लाख का अनुदान उपरोक्त क्रम संख्या (i) पर प्राप्त हुआ।				
50-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	5,00.00	5,00.00	2,32.26	(-)2,67.74
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	55.00	55.00	25.81	(-)29.19
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,96.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,17,00.00 लाख का अनुदान उपरोक्त क्रम संख्या (i) पर प्राप्त हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 2,32.26 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 25.81 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
55-	कूड़ा संवर्धन संयंत्र की स्थापना और भूमि भराव स्थल का विकास- (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) <b>योजना</b>				
	मूल	1,00			
	पुनर्वि0	(-)1.00	..	..	..
	मार्च 2021 में प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
192- 01-	नगर पालिकाओं -नगर परिषदों को सहायता- राज्य वित्तायोग पुरस्कार- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	83,98.29	83,98.29	82,18.29	(-)1,80.00
	₹ 1,80.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
14-	केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	1,14,08.32			
		1,07,50.15	85,91.36	(-)21,58.79
पुनर्वि०	(-)6,58.17			

₹ 21,58.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,58.17 लाख की कमी तीन नगर परिषदों के नगर निगम के रूप में उन्नयन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 85,91.36 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 21,62.60 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 21,58.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

16- स्वच्छ भारत मिशन के लिए सहायता अनुदान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i)	मूल	2,00.00	2,00.00	..	(-)2,00.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	22.00	22.00	..	(-)22.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,22.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

18- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i)	मूल	12,56.00	12,56.00	4,47.59	(-)8,08.41
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1,45.00	1,45.00	72.70	(-)72.30

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की  
समितियों या इसके समतुल्य को सहायता-

13- केन्द्रीय वित्तयोग पुरस्कार-  
**गैर योजना**

(iii)	मूल	22,44.10	22,44.10	21,79.41	(-)64.69
-------	-----	----------	----------	----------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 9,45.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 4,47.59 लाख की राशि जिसमें से ₹ 4,31.51 लाख की राशि, क्रम संख्या (ii) में ₹ 72.70 लाख की राशि जिसमें से ₹ 70.91 लाख की राशि तथा क्रम संख्या (iii) में ₹ 21,79.41 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6,51.48 लाख की राशि को



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

14- स्वच्छ भारत मिशन के लिए सहायता अनुदान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i)	मूल	90.00	90.00	..	(-)90.00
-----	-----	-------	-------	----	----------

**योजना**

(ii)	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
------	-----	-------	-------	----	----------

16- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii)	मूल	6,00.00	6,00.00	..	(-)6,00.00
-------	-----	---------	---------	----	------------

(iv)	मूल	62.00	62.00	..	(-)62.00
------	-----	-------	-------	----	----------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 7,62.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

20- केन्द्रीय वित्तयोग के अन्तर्गत छावनी बोर्डों को सहायता-  
**गैर योजना**

मूल	8,33.27				
		7,18.09	5,48.10		(-)1,69.99

पुनर्वि0 (-)1,15.18

₹ 1,69.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.18 लाख की कमी तीन नगर परिषदों के नगर निगम के रूप में उन्नयन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,48.10 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,70.33 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,69.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (समाप्त)**

02- मल निकासी तथा सफाई-

105- सफाई सेवाएं-

04- मरम्मत और रखरखाव-

**गैर योजना**

पूरक	10,00,00	10,00,00	..	(-)10,00,00
------	----------	----------	----	-------------

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**पूजीगत प्रवर्ग**

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूजीगत परिव्यय-**

02- मल निकासी तथा स्वच्छता-

106- मलनिकासी सेवाएं-

02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर व्यवस्था योजना-  
**योजना**

(i) मूल	1,27,46.00	1,27,46.00	41,37.75	(-)86,08.25
---------	------------	------------	----------	-------------

**4217- शहरी विकास पर पूजीगत परिव्यय-**

01- राज्य पूंजी विकास-

190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-

01- शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड में इक्विटी/निवेश-  
**योजना**

(ii) मूल	44,89.00	44,89.00	20,00.00	(-)24,89.00
----------	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,10,97.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 41,37.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 9.61 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या- 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048- ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	73,82,44,89		
	73,82,44,93	61,79,79,01	(-)12,02,65,92
पूरक	4		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			12,50,46,06
<b>प्रभारित</b>			
मूल	49,31,92,47		
	49,31,92,55	44,72,48,71	(-)4,59,43,84
पूरक	8		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			3,08,85,59
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	17,77,51		
	17,77,51	10,03,69	(-)7,73,82
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			6,57,81
<b>प्रभारित</b>			
मूल	33,93,51,02		
	1,13,96,14,14	1,11,41,04,06	(-)2,55,10,08
पूरक	80,02,63,12		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**  
**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 12,02,65.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 12,50,46.06 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 4,59,43.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,08,85.59 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन पर हुए ₹ 2,55,10.08 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 80,02,63.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ जबकि वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,11,41,04.06 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 31.56 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-</b>			
103- लघु बचत संगठन-			
01- लघु बचत संगठन- गैर योजना			
मूल	91.76		
		56.73	
		54.03	(-)2.70
पुनर्वि०	(-)35.03		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल स्नेहक, वाहनों की मरम्मत और मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।			
02- जिला स्थापना- गैर योजना			
मूल	74.37		
		33.50	
		33.86	+0.36
पुनर्वि०	(-)40.87		
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			

**2048- ऋण की कमी या परिहार के लिए विनियोग-**

- 101- ऋण शोधन निधि-
- 01- ऋण शोधन निधि हेतु हस्तांतरण-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00		
200-	अन्य विनियोग-			
01-	गारंटी निधि हेतु हस्तांतरण-			
	<b>गैर योजना</b>			
(ii)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बंद होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>2054-</b>	<b>खजाना तथा लेखा प्रशासन-</b>			
095-	लेखा एवं खजाना निदेशालय-			
01-	मुख्यालय संगठन-			
	<b>गैर योजना</b>			
(i)	मूल	9,33.95		
			9,22.55	7,19.46
				(-)2.03.09
	पुनर्वि०	(-)11.40		
097-	कोषालय स्थापना-			
01-	जिला कोषागार तथा उप कोषागार-			
	<b>गैर योजना</b>			
(ii)	मूल	35,29.26		
			35,45.26	28,15.89
				(-)7,29.37
	पुनर्वि०	16.00		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9,32.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
098-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-			
01-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-			
	<b>गैर योजना</b>			
	मूल	10,78.02		
	पूरक	0.01	9,38.07	7,47.90
	पुनर्वि०	(-)1,39.96		(-)1,90.17
₹ 1,90.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नए लैपटॉप तथा कंप्यूटर की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 1,90.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2071-</b>	<b>पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-</b>			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

01- नागरिक-				
101- अधिवर्षिता तथा सेवानिवृति भत्ते-				
03- 1.11.1966 से अधिवर्षिकी-				
<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	38,32,15.93		
			33,44,51.96	33,73,57.13
				+29,05.17
	पुनर्वि०	(-)4,87,63.97		
102- पेंशन का सारांशीकृत मूल्य-				
02- 1.11.1966 से भुगतान-				
<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	7,75,25.29		
			2,57,11.00	2,72,84.00
				+15,73.00
	पुनर्वि०	(-)5,18,14.29		
104- उपदान-				
02- 1.11.1966 के पश्चात देय उपदान-				
<b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	7,32,44.52		
			5,30,34.72	5,72,79.37
				+42,44.65
	पुनर्वि०	(-)2,02,09.80		
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,07,88.06 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 87,22.82 लाख का आधिक्य अपेक्षा से अधिक मामलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।				
105- पारिवारिक पेंशन-				
01- 1.11.1966 से पहले भुगतान-				
<b>गैर योजना</b>				
	मूल	15,19.03		
			8,31.25	7,46.06
				(-)85.19
	पुनर्वि०	(-)6,87.78		
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,87.78 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
₹ 85.19 लाख की बचत अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।				
02- 1.11.1966 के पश्चात देय उपदान-				
<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	9,66,31.78		
			8,43,47.71	8,25,91.22
				(-)17,56.49
	पुनर्वि०	(-)1,22,84.07		
111- विधायकों को पेंशन-				
01- राज्य के विधायक-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

(ii) मूल	31,52.17			
		24,60.81	23,92.55	(-)68.26
पुनर्वि०	(-)6,91.36			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,29,75.43 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 18,24.75 लाख की बचत अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

**2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-**

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- अटल पेंशन योजना-

**गैर योजना**

मूल	15,00.00			
		7,21.82	7,21.82	..
पुनर्वि०	(-)7,78.18			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,78.18 लाख की कमी पात्र अभिदाताओं की अनुपलब्धता के कारण हुई।

**3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-**

091- सम्बद्ध कार्यालय-

01- वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	20,00.00	20,00.00	2,12.54	(-)17,87.46
-----	----------	----------	---------	-------------

₹ 17,87.46 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-**

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-

01- मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-

**गैर योजना**

मूल	12,85.09			
		10,42.41	8,27.36	(-)2,15.05
पुनर्वि०	(-)2,42.68			

₹ 2,15.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,42.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,15.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

02- यांत्रिक सारणीकरण इकाइयों की स्थापना-  
**गैर योजना**

(i)	मूल	22.02	22.02	11.49	(-)10.53
-----	-----	-------	-------	-------	----------

03- राज्य आय अनुमान ईकाइयों में सुधार की स्थापना-  
**गैर योजना**

(ii)	मूल	28.29	28.29	7.87	(-)20.42
------	-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 30.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-**

095- लेखा तथा खजाना-

04- विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-  
**योजना**

मूल	10,00.00				
		37,50.00	28,69.02		(-)8,80.98
पुनर्वि०	27,50.00				

₹ 8,80.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27,50.00 लाख का आवर्धन दूरभाष, बिजली और पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति, पेशेवरों को परामर्श शुल्क का भुगतान और बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 8,80.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-**

105- विशेष जांच आयोग-

02- राज्य वित्तायोग-  
**गैर योजना**

मूल	0.10				
पूरक	0.02	28.19	12.22		(-)15.97
पुनर्वि०	28.07				

₹ 15.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.07 लाख का आवर्धन छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के नवसृजित कार्यालय के पदों को भरने के कारण और यात्रा व्यय दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 15.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।



## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

## 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

104- उपदान-

03- विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के तहत ग्रेच्युटी-

## गैर योजना

पूरक 0.01

5,00.00

89.00

(-)4,11.00

पुनर्वि० 4,99.99

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.99 लाख का आवर्धन केन्द्रीय नागरिक सेवाएं( पेंशन) नियम 1971 के अतिरिक्त विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के अंतर्गत ग्रेच्युटी के भुगतान के कारण हुआ।

₹ 4,11.00 लाख की अतिरिक्त बचत अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

## 115- अवकाश नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश भुगतान-

## गैर योजना

मूल 4,43,90.72

4,34,83.93

4,66,36.03

+31,52.10

पुनर्वि० (-)9,06.79

₹ 31,52.10 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,06.79 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 31,52.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।

## 117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना के लिए

सरकारी अंशदान-

01- अंशदायी पेंशन योजना-

## गैर योजना

मूल 4,69,20.56

5,51,78.62

5,44,60.21

(-)7,18.41

पुनर्वि० 82,58.06

₹ 7,18.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 82,58.06 लाख का आवर्धन अंशदायी पेंशन योजना पर नियोक्ता के हिस्से के भुगतान की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 7,18.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

## 2049- ब्याज अदायगी-

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नए ऋण)-

**गैर योजना**

मूल 3,85,75.00

पुनर्वि० (-)3,85,75.00

मार्च 2021 में द्वारा ₹ 3,85,75.00 लाख का समस्त विनियोजन नए ऋणों की संख्या कम होने और वर्ष के दौरान अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया। इस तरह का विनियोजन वर्ष 2010-11 से किया जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

07- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक-

**गैर योजना**

मूल 1,60,00.00

1,37,76.35

1,34,09.21

(-)3,67.14

पुनर्वि० (-)22,23.65

₹ 3,67.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 22,23.65 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,67.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( अगस्त 2021)।

23- गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात उधार

(भारतीय जीवन बीमा निगम)-

**गैर योजना**

मूल 6,66.00

4,75.00

4,75.00

पुनर्वि० (-)1,91.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,91.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

03- लघु बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

01- सामान्य भविष्य निधि-

**गैर योजना**

मूल 14,70,97.43

12,70,00.00

11,07,96.15

(-)1,62,03.85

पुनर्वि० (-)2,00,97.43

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,00,97.43 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

₹ 1,62,03.85 लाख की अंतिम बचत ब्याज दर में कमी के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

03- अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधि-  
गैर योजना

मूल	7,18.48	7,18.48	4,00.50	(-)3,17.98
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 3,17.98 की अंतिम बचत ब्याज दर में कमी के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

**2049- ब्याज अदायगी-**

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

76- 6.95 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033-  
गैर योजना

(i) पूरक 0.01

	34,75.00	34,75.00	..
--	----------	----------	----

पुनर्वि० 34,74.99

77- 6.95 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण 2034-  
गैर योजना

(ii) पूरक 0.01

	34,75.00	34,75.00	..
--	----------	----------	----

पुनर्वि० 34,74.99

78- 6.29 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण 2026-  
गैर योजना

(iii) पूरक 0.01

	41,51.40	41,51.40	..
--	----------	----------	----

पुनर्वि० 41,51.39

79- 6.95 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण 2029-  
गैर योजना

(iv) पूरक 0.01

	34,75.00	34,75.00	..
--	----------	----------	----

पुनर्वि० 34,74.99

80- 7.30 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण 2030-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
(v)	पूरक	0.01		
			30,66.00	30,66.00
	पुनर्वि०	30,65.99		..
81-	6.36 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028-			
	<b>गैर योजना</b>			
(vi)	पूरक	0.01		
			15,90.00	15,90.00
	पुनर्वि०	15,89.99		..
115-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-			
01-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-			
	<b>गैर योजना</b>			
(vii)	मूल	0.01		
			5,60.62	5,58.14
	पुनर्वि०	5,60.61		(-).2.48
02-	अधिविकर्ष पर ब्याज-			
	<b>गैर योजना</b>			
(viii)	मूल	0.01		
			54.32	54.32
	पुनर्वि०	54.31		..
	उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,98,47.26 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।			
116-	14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-			
01-	14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -			
	<b>गैर योजना</b>			
	मूल	4,00.00	4,00.00	7,50.95
				+3,50.95
	₹ 3,50.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
200-	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-			
05-	राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-			
	<b>गैर योजना</b>			
(i)	मूल	15,00.00		
			16,44.21	15,19.88
	पुनर्वि०	1,44.21		(-).1,24.33
305-	ऋण का प्रबन्ध-			
01-	ऋण का प्रबन्ध-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

(ii) मूल	6,00.00			
		7,44.00	7,28.11	(-)15.89

पुनर्वि० 1,44.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,40.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,88.21 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,40.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 03- लघु बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-  
108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-  
01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम-  
**गैर योजना**

(i) मूल	21,84.09			
		25,35.00	25,40.38	+5.38

पुनर्वि० 3,50.91

- 04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-  
101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-  
01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-

**गैर योजना**

(ii) मूल	63,26.96			
		69,14.49	69,14.49	..

पुनर्वि० 5,87.53

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 9,38.44 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

- 05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-  
105- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज-  
02- कैम्पा फंड पर ब्याज-

**गैर योजना**

पूरक	0.01			
		91,30.00	1,07,49.51	+16,19.51

पुनर्वि० 91,29.99

₹ 16,19.51 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 91,29.99 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 16,19.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

## 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

104- उपदान-

02- 1-11-1996 के पश्चात भुगतान उपदान-

## गैर योजना

पूरक 0.01

6.32

3.89

(-)2.43

पुनर्वि० 6.31

₹ 2.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6.31 लाख का आवर्धन विधान प्रभारों के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## पूँजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

## 7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम-  
योजना

मूल 6,00.00

1,32.69

48.82

(-)83.87

पुनर्वि० (-)4,67.31

₹ 83.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,67.31 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 83.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/लोकायुक्तों/  
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों और  
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को अग्रिम-  
गैर योजना

(i) मूल 7.50

7.50

..

(-)7.50

202- मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम-

03- मोटर कारों की खरीद के लिए मंत्रियों, उप मंत्रियों,  
पीठासीन अधिकारियों को ऋण हेतु अग्रिम-  
गैर योजना

(ii) मूल 20.00

20.00

..

(-)20.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 27.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)**

800- अन्य अग्रिम-

04- शिक्षा ऋण-  
गैर योजना

मूल 3,00.00

9.50

3.00

(-)6.50

पुनर्वि० (-)2,90.50

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.50 लाख की सारभूत कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

**4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- कार्यालय भवन-

051- सामान्य पूल आवास का निर्माण-

34- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन  
प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) के  
तहत खजाना भवन-**योजना**

मूल 8,00.00

9,00.00

9,00.00

..

पुनर्वि० 1,00.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 9,00.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 31.56 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

(x) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

**6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-**

108- राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-

02- राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-  
गैर योजना

मूल 16,94.54

14,67.04

14,67.04

..

पुनर्वि० (-)2,27.50

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या- 29 (समाप्त)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,27.50 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ऋण के भुगतान की कम आवश्यकता के कारण हुई।

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

01- सामान्य तरीके और साधन अग्रिम और अधिविकर्ष-  
**गैर योजना**

मूल	0.01			
पूरक	66,99,68.99	62,46,87.00	59,91,77.00	(-)2,55,10.00
पुनर्वि०	(-)4,52,82.00			

₹ 2,55,10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,52,82.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत गलत बुकिंग के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,55,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(xi) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

**6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-**

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

02- विशेष तरीके अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष-  
**गैर योजना**

पुनर्वि०	4,52,82.00	4,52,82.00	4,52,82.00	..
----------	------------	------------	------------	----

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,52,82.98 लाख का आवर्धन गलत वर्गीकरण को सुधारने के कारण हुआ।

निधियों को मूल/पूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना था। बजट प्रावधान के बिना निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

**6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-**

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण-

101- एक मुश्त ऋण-

01- साधारण ऋण-

**गैर योजना**

मूल	43,08.19			
पूरक	3,05.64	48,41.31	48,41.31	..
पुनर्वि०	2,27.48			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,27.48 लाख का आवर्धन अनुसूची के अनुसार ऋण के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	92,66,49			
		1,01,50,70	93,43,57	(-)8,07,13
पूरक	8,84,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				9,00
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		2,27,25	2,27,25	..
पूरक	2,27,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	37,51,08			
		38,36,07	36,80,64	(-)1,55,43
पूरक	84,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,07.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 8,84.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 9.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 93,43.57 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,79.94 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोग में राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,27.25 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,55.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 84.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 36,80.64 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5,25.86 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
24- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के भवनों के रख-रखाव पर व्यय- <b>गैर योजना</b>	मूल 20.00	9.75	9.75 ..
पुनर्वि०	(-)10.25		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.25 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।			
<b>2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-</b>			
003- प्रशिक्षण-			
03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान - <b>गैर योजना</b>	मूल 5,05.05	3,56.63	3,48.83 (-)7.80
पुनर्वि०	(-)1,48.42		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कर्मचारियों द्वारा दौरे पर कम व्यय के कारण हुई।			
04- ग्रामीण विभाग में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान- <b>योजना</b>	मूल 8.00	3.24	0.23 (-)3.01
पुनर्वि०	(-)4.76		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.76 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।			
118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन-			
01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	2,68.89			
		2,23.52	2,13.50	(-)10.02
पुनर्वि०	(-)45.37			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और पेट्रोल,तेल,स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दूरभाष, बिजली, पानी के बिल और बाह्य स्रोत कर्मचारियों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

05- भाषा विकास-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	4,59.48			
		3,90.85	2,53.39	(-)1,37.46
पुनर्वि०	(-)68.63			

₹ 1,37.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,37.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

(i) मूल	33.00	33.00	16.86	(-)16.14
---------	-------	-------	-------	----------

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन-

01- हिन्दी का विकास-

**गैर योजना**

(ii) मूल	75.76	75.76	60.43	(-)15.33
----------	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 31.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**गैर योजना**

मूल	12,77.77			
		9,28.81	9,68.41	+39.60
पुनर्वि०	(-)3,48.96			

₹ 39.60 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,48.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और विभागीय गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक वेतनभोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 30.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 9,68.41 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 39.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

101-	व्यायाम शिक्षा-				
01-	शारीरिक शिक्षा-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	71.16			
			49.56	48.93	(-)0.63
	पुनर्वि०	(-)21.60			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
104-	खेलकूद-				
01-	पर्वतारोहण संस्थान तथा सम्बन्धित खेलकूद, मनाली-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	5,14.95			
			3,34.73	3,13.62	(-)21.11
	पुनर्वि०	(-)1,80.22			
	₹ 21.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,80.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 21.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
800-	अन्य व्यय-				
02-	राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश				
	विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	20.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	मार्च 2021 में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
04-	हिमाचल क्रीडा परिषद-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
	₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2205-</b>	<b>कला एवं संस्कृति-</b>				
102-	कला तथा संस्कृति का संवर्धन-				
02-	उत्सवों पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	60.00			
			48.25	6.30	(-)41.95
	पुनर्वि०	(-)11.75			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

₹ 41.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	2,80.00				
		80.00	66.90	(-)13.10	

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी कोविड-19 के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण हुई।

04- कला केन्द्र-  
**गैर योजना**

(i) मूल	38.00				
		38.00	26.97	(-)11.03	

05- अन्य संस्थानों को सहायता  
**गैर योजना**

(ii) मूल	10.00				
		10.00	7.85	(-)2.15	

07- वृत्तचित्र कलाकारों को वित्तीय सहायता-  
**गैर योजना**

(iii) मूल	30.00				
		30.00	15.93	(-)14.07	

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 27.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम  
1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल	2,17.65				
		1,70.92	82.79	(-)88.13	

पुनर्वि० (-)46.73

₹ 88.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 88.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

104- अभिलेखागार-

01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-  
**गैर योजना**

मूल	1,02.32				
		96.32	58.84	(-)37.48	

पुनर्वि० (-)6.00

₹ 37.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	2.00				
		2.00	..	(-)2.00	

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

107-	संग्रहालय-				
01-	हिमाचल राजकीय संग्रहालय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	2,91.93			
	पूरक	0.01	2,95.03	2,16.40	(-)78.63
	पुनर्वि०	3.09			
	₹ 78.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2220-</b>	<b>सूचना तथा प्रचार-</b>				
01-	फिल्में-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	6,67.61			
			5,58.86	5,57.70	(-)1.16
	पुनर्वि०	(-)1,08.75			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, फिल्मों और नाटकों के लिए लेखों की खरीद पर कम व्यय और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।				
02-	जिला स्थापना-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	9,15.70			
			7,28.95	7,27.18	(-)1.77
	पुनर्वि०	(-)1,86.75			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,86.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।				
105-	फिल्मों का निर्माण-				
01-	इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का उत्पादन और प्रदर्शन-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	2,17.76			
			1,90.81	1,89.60	(-)1.21
	पुनर्वि०	(-)26.95			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
60-	अन्य-				
102-	सूचना केन्द्र-				
01-	प्रेस सूचना बैंक सेवाएं-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	2,67.76			
पूरक	13.57	2,51.02	2,49.92	(-)1.09
पुनर्वि०	(-)30.31			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई तथा चिकित्सा आपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

## 107- गीत तथा नाटक सेवाएं-

## 01- गीत तथा नाटक सेवाओं पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	2,10.45			
		1,20.31	1,19.99	(-)0.32
पुनर्वि०	(-)90.14			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 110- प्रशासन-

## 01- प्रशासन योजना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	2,14.61			
पूरक	3,00.00	4,59.81	2,23.30	(-)2,36.51
पुनर्वि०	(-)54.80			

₹ 2,36.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,36.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-**

## 103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रखरखाव-

## 01- मंदिरों का प्रबन्ध-

**गैर योजना**

मूल	1,42.77			
		1,18.31	48.04	(-)70.27
पुनर्वि०	(-)24.46			

₹ 70.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 70.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव तथा मरम्मत-

23- लोक सम्पर्क विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल	2.00			
		20.70	20.70	..
पुनर्वि०	18.70			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.70 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव के कारण हुआ।

**2205- कला एवं संस्कृति-**

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम  
1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-  
**योजना**

मूल	2,00.00			
		4,00.00	3,99.35	(-)0.65
पुनर्वि०	2,00.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,99.35 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,98.60 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2220- सूचना तथा प्रचार-**

60- अन्य-

101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल	13,14.07			
पूरक	5,32.68	32,95.21	32,94.24	(-)0.97
पुनर्वि०	14,48.46			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,48.46 लाख का आवर्धन विज्ञापन एवं प्रचार, विज्ञापन बिलों के भुगतान तथा वीडियो कान्फेसिंग प्रणाली, लैपटॉप एवं कम्प्यूटरों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

**पूजीगत प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाखों में)		
<b>4059- लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-</b>				
80- सामान्य-				
051- निर्माण-				
06- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान भवनों का निर्माण- योजना				
मूल	2,00.00			
		80.00	80.00	..
पुनर्वि0	(-)1,20.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.00 लाख की कमी कोविड-19 के कारण भवन निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-</b>				
03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-				
101- युवक छात्रावास-				
01- भवन- योजना				
मूल	5,00.00	5,00.00	3,49.02	(-)1,50.98
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,50.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,49.02 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,15.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाखों में)		
<b>4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-</b>				
102- खेल क्रीड़ा स्थल-				
05- मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना- गैर योजना				
मूल	7,00.00			
पूरक	84.99	9,00.00	8,79.91	(-)2.09
पुनर्वि0	1,15.01			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.01 लाख का आवर्धन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैदान निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (समाप्त)**

संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 8,79.91 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,70.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-**

60- अन्य -

101- भवन-

02- प्रेस क्लब भवन का निर्माण-

**गैर योजना**

पुनर्वि0	5.00	5.00	5.00	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन प्रेस क्लब भवन के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। निधियों के बिना पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 में निहित प्रावधान का उल्लंघन था।

विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मत्स्य पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801 विद्युत, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कें तथा सेतु, 3055 सड़क परिवहन, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5056- अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

			कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	15,04,70,49				
			15,04,70,94	10,89,01,55	(-)4,15,69,39
पूरक	45				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)					
					1,32,21,79
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	4,35,13,47				
			4,41,29,17	3,65,85,63	(-)75,43,54
पूरक	6,15,70				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
					..
<b>प्रभारित</b>					
मूल	..				
			2,46	2,47	+1
पूरक	2,46				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
					..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 453 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,15,69.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,32,21.79 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 10,89,01.55 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 22,28.70 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 75,43.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 6,15.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,65,85.63 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5,18.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
<b>2014- न्याय प्रशासन-</b>			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01- सिविल तथा सत्र न्यायालयों पर व्यय- <b>गैर योजना</b>			
मूल	2,66.56		
	2,19.76	2,14.07	(-)5.69
पुनर्वि०	(-)46.80		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने, यात्रा पर कम व्यय और पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत के कारण हुई।			
02- गवाह और आहार धन पर व्यय- <b>गैर योजना</b>			
मूल	2.00		
	0.80	0.38	(-)0.42
पुनर्वि०	(-)1.20		
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.20 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।			
03- अन्य विधि अधिकारियों पर व्यय- <b>गैर योजना</b>			
मूल	95.96		
	96.24	68.29	(-)27.95
पुनर्वि०	0.28		
₹ 27.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			

**2015- निर्वाचन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग पर-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	1,41.79			
		1,13.72	1,11.68	(-)2.04
पुनर्वि०	(-)28.07			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

**2029- भू-राजस्व-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	6,15.26	6,15.26	4,28.80	(-)1,86.46
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 1,86.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख संस्थानों

का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**गैर योजना**

मूल	1,38.77			
		1,16.68	86.47	(-)30.21
पुनर्वि०	(-)22.09			

₹ 30.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.09 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 30.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- करों की वसूली पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 1,12.42

1,14.92

92.73

(-)22.19

पुनर्वि० 2.50

₹ 22.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु बचत संस्थाओं पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 19.19

11.19

10.17

(-)1.02

पुनर्वि० (-)8.00

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

**2053- जिला प्रशासन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 13,47.18

11,48.38

9,34.39

(-)2,13.99

पुनर्वि० (-)1,98.80

₹ 2,13.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,98.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि दैनिक वेतनभोगियों और बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,13.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पर व्यय

(विशेष केन्द्रीय सहायता)-

**गैर योजना**

मूल 2,21.89

1,78.03

1,63.14

(-) 14.89

पुनर्वि० (-)43.86

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने, बाहरी स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	2,73.00			
पूरक	0.01	82.73	78.18	(-)4.55
पुनर्वि०	(-)1,90.28			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,90.28 लाख की कमी यात्रा व बाह्य स्रोत सेवाओं पर कम व्यय और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

(i) मूल 25,00.00

पुनर्वि० (-)25,00.00

**योजना**

(ii) मूल 2,78.00

पुनर्वि० (-)2,78.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27,78.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी समानुपातिक रूप से अप्रयुक्त रही।

## 11- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

**योजना**

मूल 4,02.00

1,34.00

1,34.00

..

पुनर्वि० (-) 2,68.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,68.00 लाख की कमी विधानसभा के विधायकों के लिए निधि के पुनर्निरीक्षण के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,34.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,10.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-**

## 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

## 01- जिला कोषागार एवं उप-कोषागार स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 3,78.19

3,78.19

3,32.30

(-)45.89

₹ 45.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**2055- पुलिस-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 63,87.17

62,94.23

44,90.10

(-)18,04.13

पुनर्वि० (-)92.94

₹ 18,04.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 18,04.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- आपराधिक जांच तथा सतर्कता पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 1,44.50

1,11.30

1,15.53

+4.23

पुनर्वि० (-)33.20

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

03- जिला कल्याणकारी बल पर व्यय

(जिला लाहौल स्पीति)-

**गैर योजना**

मूल 2,27.86

2,27.86

2,01.48

(-)26.38

₹ 26.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- पुलिस रेडियो कर्मचारियों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 9,04.49

7,40.21

7,14.26

(-)25.95

पुनर्वि० (-) 1,64.28

₹ 25.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 25.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- पुलिस विभाग के साथ कानून एवं व्यवस्था हेतु

तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल 5,78.54

5,78.54

5,50.50

(-)28.04

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सरकारी जिला राजस्व भवनों के  
रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-**गैर योजना**

(ii) मूल 5.69 5.69 3.51 (-)2.18

05- नए औजारों तथा संयन्त्र की आपूर्ति  
पर व्यय-**गैर योजना**

(iii) मूल 18.46 18.46 10.96 (-)7.50

08- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक निर्माण)-

**गैर योजना**

(iv) मूल 5,00.00 5,00.00 3,96.06 (-)1,03.94

10- भवनों के रखरखाव पर व्यय-

**गैर योजना**

(v) मूल 8.36 8.36 2.37 (-)5.99

11- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव  
का प्रावधान-**गैर योजना**

(vi) मूल 12,70.05 12,70.05 1,62.35 (-)11,07.70

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 12,55.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम से सम्बन्धित स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 7,36.00

5,36.00

3,77.26

(-)1,58.74

पुनर्वि0 (-)2,00.00

₹ 1,58.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,58.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित

कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	12,70.05			
		11,20.05	11,00.32	(-)19.73
पुनर्वि०	(-)1,50.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई।

**2062- सतर्कता-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-

**गैर योजना**

मूल	2,07.80			
		1,58.95	1,52.06	(-)6.89
पुनर्वि०	(-)48.85			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, तथा वेतनमानों में संशोधन न करने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	1,47.37			
		1,48.14	1,17.58	(-)30.56
पुनर्वि०	0.77			

₹ 30.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा कर्मचारियों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	4,91.01			
		3,05.83	2,61.51	(-)44.32
पुनर्वि०	(-)1,85.18			

₹ 44.32 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,85.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 44.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	95,90.79			
		76,56.14	74,13.37	(-)2,42.77
पुनर्वि०	(-)19,34.65			

₹ 2,42.77 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,34.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने, आकस्मिक भुगतान कार्यकर्ता को चपरासी की पदोन्नति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,42.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	5,61.00			
		5,20.71	4,53.01	(-)67.70
पुनर्वि०	(-)40.29			

₹ 67.70 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.29 लाख की कमी आकस्मिक भुगतान कार्यकर्ता को चपरासी की पदोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति और दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,53.01 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 4.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 67.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 09- प्राथमिक शिक्षा पर व्यय-

**योजना**

मूल	3.60			
		2.45	1.21	(-)1.24
पुनर्वि०	(-)1.15			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.15 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

10- प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत  
अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-**योजना**

(i) मूल	7,09.00			
		7,09.00	3,48.28	(-)3,60.72

## 11- गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(ii) मूल	8,67.00			
		8,67.00	5,13.18	(-)3,53.82

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7,14.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	2,90.00			
		2,87.31	2,15.57	(-)71.74
पुनर्वि०	(-)2.69			
₹ 71.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
16- अटल वर्दी योजना-				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	3,05.00	3,05.00	1,98.07	(-)1,06.93
17- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान				
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	4,50.00	4,50.00	4,11.78	(-)38.22
21- समग्र शिक्षा अभियान-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
(iii) मूल	35,61.00	35,61.00	17,13.86	(-)18,47.14
<b>योजना</b>				
(iv) मूल	3,95.00	3,95.00	1,95.67	(-)1,99.33
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 21,91.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या में ₹ 5,20.15 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 1,98.07 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2.41 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
22- स्वस्थ बचपन-				
<b>गैर योजना</b>				
पूरक	0.01			
		9.00	..	(-)9.00
पुनर्वि०	8.99			
₹ 9.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.99 लाख का आवर्धन सामग्री एवं वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 9.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
02- माध्यमिक शिक्षा-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत				
माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	52,12.72			
		44,65.09	43,83.33	(-)81.76
पुनर्वि०	(-)7,47.63			

₹ 81.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,47.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 81.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	2,74.40			
		1,87.07	1,32.00	(-)55.07
पुनर्वि०	(-)87.33			

₹ 55.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 87.33 लाख की कमी सामग्री वस्तुओं की खरीद, दूरभाष, पानी और विद्युत बिलों पर कम व्यय, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 55.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त

अन्य उच्च विद्यालयों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	68,09.32			
		68,30.92	52,82.23	(-)15,48.69
पुनर्वि०	21.60			

₹ 15,48.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.60 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की अधिक पात्रता के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 52,82.23 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 21.60 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 15,48.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	3,60.00			
		2,91.19	2,46.19	(-)45.00
पुनर्वि०	(-)68.81			

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.81 लाख की कमी फर्नीचर की खरीद पर कम व्यय, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों के

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

भुगतान व यात्रा पर कम व्यय, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि विद्यालय के भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,46.19 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 11.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 10- अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत  
माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान-  
**योजना**  
मूल 55.00  
29.00 24.56 (-)4.44  
पुनर्वि० (-)26.00  
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की कमी माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के लिए तैनात अभिभावक अध्यापक संघ के अन्तर्गत अध्यापकों को कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुई।
- 12- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों  
की मैरिट के उन्नयन पर व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**  
मूल 3.00  
.. ..  
पुनर्वि० (-)3.00  
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।
- 13- श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-  
**योजना**  
मूल 2,25.00 2,25.00 .. (-)2,25.00  
₹ 2,25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।
- 15- अटल वर्दी योजना-  
**योजना**  
मूल 1,35.00  
.. ..  
पुनर्वि० (-)1,35.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,35.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्दी की खरीद पर कम व्यय और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

- 18- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	1,39.00			
		91.87	..	(-)91.87
पुनर्वि०	(-)47.13			

₹ 91.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.13 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 91.87 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	12.00			
पूरक	0.01	13.48	3.23	(-)10.25
पुनर्वि०	1.47			

₹ 10.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 20- अनुच्छेद 275(1)- के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति  
के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	4,75.00			
		13.08	13.08	..
पुनर्वि०	(-)4,61.92			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,61.92 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 21- जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति  
के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास-  
**योजना**

मूल	1,10.00			
		68.57	55.56	(-)13.01
पुनर्वि०	(-)41.43			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.43 लाख की कमी सामग्री की खरीद, वस्तुओं, दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

- 25- समग्र शिक्षा अभियान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	16,76.00	16,76.00	13,68.80	(-)3,07.20
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1,86.00	1,86.00	1,52.09	(-)33.91
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,41.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 13,68.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 22.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
26-	प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।					
28-	सी०वी० रमन वर्चुअल क्लासरूम-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
03-	विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा-				
796-	जनजातिय क्षेत्र उप योजना-				
02-	डिग्री कॉलेजों पर व्यय-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	12,15.00	12,15.00	4,56.65	(-)7,58.35
₹ 7,58.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	8,66.48	7,25.97	5,94.02	(-)1,31.95
	पुनर्वि०	(-)1,40.51			
₹ 1,31.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,40.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 1,31.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(i)	मूल	1,53.00		
			1,56.58	70.83
				(-)85.75
	पुनर्वि०	3.58		
08-	<b>राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>			
(ii)	मूल	5,79.00	5,79.00	1,60.52
				(-)4,18.48
<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	64.00	64.00	17.84
				(-)46.16
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,50.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार से ₹ 7.52 लाख का अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ।			
10-	<b>बैचलर ऑफ वेकेशनल प्रोग्राम कार्यक्रम- योजना</b>			
	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
11-	<b>खेल से स्वास्थ्य योजना योजना</b>			
	मूल	10.00	10.00	..
				(-)10.00
	₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>2203-</b>	<b>तकनीकी शिक्षा-</b>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
04-	नए बहुतकनीकी सस्थानों की स्थापना- <b>योजना</b>			
(i)	मूल	2.00	2.00	0.45
				(-)1.55
<b>2205-</b>	<b>कला एवं संस्कृति-</b>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय- <b>गैर योजना</b>			
(ii)	मूल	20.96		
			20.95	13.49
				(-)7.46
	पुनर्वि०	(-)0.01		
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

02- पुरातत्व प्रकोष्ठ पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	39.65			
		25.65	19.00	(-)6.65
पुनर्वि०	(-)14.00			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

03- आर्ट गैलरी तथा आरकाइवज पर व्यय-

**योजना**

मूल	2.00			
		0.30	0.29	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1.70			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.70 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई ।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	1,94.22	1,94.22	1,30.92	(-)63.30
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 63.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	1,16.00			
		82.91	79.86	(-)3.05
पुनर्वि०	(-)33.09			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल	8,90.00	8,90.00	5,84.62	(-)3,05.38
---------	---------	---------	---------	------------

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय

(लोक स्वास्थ्य केन्द्र)-

**गैर योजना**

(ii) मूल	10,99.11	10,99.11	7,81.47	(-)3,17.64
----------	----------	----------	---------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,23.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	8,63.00			
		8,85.64	8,57.85	(-)27.79
पुनर्वि०	22.64			

₹ 27.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.64 लाख का आवर्धन वर्दी और यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ जबकि दवाई और अन्य वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 27.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	6,32.18			
		5,77.69	4,65.94	(-)1,11.75
पुनर्वि०	(-)54.49			

₹ 1,11.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,11.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	5,91.90			
		5,30.24	5,24.06	(-)6.18
पुनर्वि०	(-)61.66			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, यात्रा पर कम व्यय, कर्मचारियों के नियमितीकरण और किराए के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि मशीनरी और उपकरणों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ ।

06- आयुष-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल	69.00	69.00	0.12	(-)68.88
---------	-------	-------	------	----------

**योजना**

(ii) मूल	8.00	8.00	0.01	(-)7.99
----------	------	------	------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 76.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

05-	चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला का उन्मूलन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
05-	डॉ राधाकृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर- <b>योजना</b>				
	मूल	90.00	90.00	42.80	(-)47.20
	₹ 47.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
08-	अटल चिकित्सा और अनुसन्धान विश्व विद्यालय नैर चौक मंडी- <b>योजना</b>				
(i)	मूल	90.00	90.00	31.50	(-)58.50
06-	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कर्मचारियों पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	97.83	97.83	38.39	(-)59.44
03-	क्षय रोग आरक्षण तथा आवासीय परिचर्चा पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	17.66	17.66	12.48	(-)5.18
04-	एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(iv)	मूल	73.25	73.25	35.88	(-)37.37
05-	विस्तारित रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(v)	मूल	1,52.19	1,52.19	1,07.08	(-)45.11
07-	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(vi)	मूल	8.71			
			8.69	4.94	(-)3.75
	पुनर्वि०	(-)0.02			
09-	एमएनपी योजना के तहत बहुउद्देशीय कार्यक्रम योजना पर व्यय-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

	<b>गैर योजना</b>				
(vii)	मूल	73.17	73.17	58.07	(-)15.10
	<b>योजना</b>				
(viii)	मूल	2,69.00			
			2,57.90	2,36.21	(-)21.69
	पुनर्वि०	(-)11.10			
12-	राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण निगरानी इकाईयों की स्थापना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(ix)	मूल	35.00	35.00	22.74	(-)12.26
13-	दृष्टि विहिनता नियन्त्रण तथा बचाव कार्यक्रम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विकास पर व्यय- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(x)	मूल	14.00	14.00	6.42	(-)7.58
	उपरोक्त दस मामलों में ₹ 2,65.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
15-	ट्रॉमा सेंटर- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2211-</b>	<b>परिवार कल्याण-</b>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	59.07	59.07	41.94	(-)17.13
03-	परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	6,68.00	6,68.00	5,31.59	(-)1,36.41
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,53.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

05-	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	7.00			
			2.60	1.60	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)4.40			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.40 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।				
06-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्मदर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान- <b>योजना</b>				
	मूल	10.00			
			5.00	5.00	..
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी सर्वश्रेष्ठ महिला जन्म अनुपात के लिए पंचायतों की कम मांग के कारण हुई।				
07-	कन्या भ्रूण हत्या के सूचक को प्रोत्साहन- <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
09-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय- <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
10-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	33.00	33.00	..	(-)33.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 35.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2215-</b>	<b>जलापूर्ति तथा सफाई-</b>				
01-	जलापूर्ति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभासित कर्मचारियों पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	33,37.63	33,37.63	20,27.71	(-)13,09.92
09-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान- <b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	33,37.63	33,37.63	15,39.78	(-)17,97.85

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 31,07.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2216- आवास-**

03- गामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी कुटीर योजना/इन्दिरा आवास योजना/  
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण-  
**योजना**

मूल 45.00

40.00

..

(-)40.00

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2217- शहरी विकास-**

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों  
का समेकित विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-  
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-  
**योजना**

मूल 3.00

3.00

..

(-)3.00

₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- प्रधान मंत्री आवास योजना-सभी  
के लिए आवास (शहरी)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 20.00

20.00

12.60

(-)7.40

₹ 7.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12.60 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2220- सूचना तथा प्रचार-**

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल 48.26

29.84

29.76

(-)0.08

पुनर्वि० (-)18.42



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 1,21.14

86.02

85.20

(-)0.82

पुनर्वि० (-)35.12

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

**2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजना पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल 5.00

2.50

1.00

(-)1.50

पुनर्वि० (-)2.50

₹ 1.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 29.00

9.74

4.40

(-)5.34

पुनर्वि० (-)19.26

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.26 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

09- बाल बालिका आश्रम (विभाग संचालित)-

**योजना**

मूल 27.00

20.24

20.24

..

पुनर्वि० (-)6.76

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.76 लाख की कमी दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

11- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-  
**योजना**

मूल 70.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)70.00

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

12- कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-  
**योजना**

मूल 1,10.00

40.32 38.83 (-)1.49

पुनर्वि० (-)69.68

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.68 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-**

01- श्रम-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- श्रम कानूनों को लागू करने पर व्यय-  
**गैर योजना**

(i) मूल 35.55 35.55 28.35 (-)7.20

02- रोजगार सेवाएं-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रोजगार सेवाओं पर व्यय-  
**गैर योजना**

(ii) मूल 82.84 82.84 32.06 (-)50.78

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 57.98 की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 15.00

10.06 8.07 (-)1.99

पुनर्वि० (-)4.94

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.94 लाख की कमी दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

02- बेरोजगारी भत्ता-

**गैर योजना**

(i) मूल 1,00.00 1,00.00 29.78 (-)70.22

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

03- प्रशिक्षण-					
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-					
02- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केंद्रों पर व्यय-					
<b>गैर योजना</b>					
(ii)	मूल	12.20	12.20	5.25	(-)6.95
06- कौशल विकास भता-					
<b>गैर योजना</b>					
(iii)	मूल	1,03.14	1,03.14	20.29	(-)82.85
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,60.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
09- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-					
<b>योजना</b>					
	मूल	5,49.00	5,49.00	..	(-)5,49.00
₹ 5,49.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-</b>					
02- सामाजिक कल्याण-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- समाज कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-					
<b>योजना</b>					
	मूल	4.50			
			3.39	3.16	(-)0.23
	पुनर्वि०	(-)1.11			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 1.11 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कम पात्रता और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
03- एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम योजना-					
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
<b>योजना</b>					
	मूल	23,13.00			
			10,17.00	6,93.48	(-)3,23.52
	पुनर्वि०	(-)12,96.00			
₹ 3,23.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,96.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, पानी व विद्युत बिलों और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,37.96 लाख का अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ।					
₹ 3,23.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>योजना</b>					
	मूल	4,64.00			
			3,40.50	1,00.73	(-)2,39.77
	पुनर्वि०	(-)1,23.50			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 2,39.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,39.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-  
**योजना**

मूल	25.00			
		19.06	18.14	(-)0.92
पुनर्वि०	(-)5.94			

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.94 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति और जागरूकता शिवरों के कम आयोजन के कारण हुई।

06- बाल/बालिका आश्रम के निवासियों  
को पुर्नवास अनुदान-  
**योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-  
**योजना**

(i) मूल	4.00			
		2.50	2.00	(-)0.50
पुनर्वि०	(-)1.50			

09- जागरूकता अभियान-  
**योजना**

(ii) मूल	8.00			
		6.00	5.95	(-)0.05
पुनर्वि०	(-)2.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.50 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- विशेष महिला उत्थान योजना-  
**योजना**

(i) मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
---------	------	------	----	---------

12- राज्य महिला आयोग-  
**योजना**

(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

19- एकीकृत बाल सुरक्षा योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	1,70.00	1,70.00	1,27.75	(-)42.25

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	17.00			
	पुरक	0.01	18.25	14.00	(-)4.25
	पुनर्वि०	1.24			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 46.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

20- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

	मूल	1,22.00	1,22.00	..	(-)1,22.00
--	-----	---------	---------	----	------------

₹ 1,22.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	14.00	14.00	7.87	(-)6.13

23- बलात्कार, बाल शोषण और वस्तुकरण पृष्ठभूमि  
की नाबालिग पीड़ितों को पुनर्वास सहायता-  
**योजना**

(ii)	मूल	5.00	5.00	0.38	(-)4.62
------	-----	------	------	------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-  
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-  
04- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यवा पेंशन योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i)	मूल	96.00			
			75.75	75.75	..
	पुनर्वि०	(-)20.25			

05- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना--  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii)	मूल	25.00			
			8.01	8.01	..
	पुनर्वि०	(-)16.99			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.24 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सचिवालय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	1,24.10	1,24.10	81.27	(-)42.83
-----	---------	---------	-------	----------

₹ 42.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- आयुक्त जनजातीय/अनुसूचित जाति

विकास कार्यालय पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	1,90.41			
पूरक	0.01	1,42.73	1,32.72	(-)10.01
पुनर्वि०	(-)47.69			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि मोटर वाहन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

**योजना**

मूल	1,10.00			
		42.05	41.21	(-)0.84
पुनर्वि०	(-)67.95			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.95 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्रा पर कम व्यय, प्रशिक्षण कार्यशालाओं के कम आयोजन और बाह्य स्रोत वाहनों पर कम व्यय के कारण हुई।

03- अवसरचना सुविधाओं पर व्यय-

**योजना**

मूल	13,75.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)13,75.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,75.00 लाख का समस्त प्रावधान हेलीकॉप्टर सुविधा पर कम व्यय, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

04- जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा-

**योजना**

मूल	10,00.00			
		1,74.64	1,74.64	..
पुनर्वि०	(-)8,25.36			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,25.36 लाख की कमी हेलीकॉप्टर सुविधा पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

07- जनजातीय अनुसंधान संस्थान-  
**योजना**

मूल 50.00

3.95

3.95

..

पुनर्वि० (-)46.05

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.05 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कृषि विभाग की जिला स्थापना पर व्यय-  
**गैर योजना**

(i) मूल 1,09.45 1,09.45 71.58 (-)37.87

02- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य  
कृषि विस्तार व प्रशिक्षण के अलावा)  
**गैर योजना**

(ii) मूल 1,71.36 1,53.11 1,15.00 (-)38.11

पुनर्वि० (-)18.25

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 75.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- कृषि योजनाओं पर व्यय  
(सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण)-  
**गैर योजना**

मूल 91.20

68.21

53.17

(-)15.04

पुनर्वि० (-)22.99

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

**योजना**

मूल 21.00

29.10

17.95

(-)11.15

पुनर्वि० 8.10

₹ 11.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.10 लाख का आवर्धन बाहरी स्रोत वाहनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 11.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

04- उद्यान विभाग के अन्तर्गत जिला

स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 91.19

65.19

36.55

(-)28.64

पुनर्वि० (-)26.00

₹ 28.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

28.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 9,30.72

8,12.72

5,84.30

(-)2,28.42

पुनर्वि० (-)1,18.00

₹ 2,28.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,28.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- जनजातीय पाकेटस के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

**केन्द्रीय योजना**

**योजना**

मूल 10.00

10.00

5.46

(-)4.54

₹ 4.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- सेब स्क्रेब उपदान पर व्यय-

**योजना**

मूल 10.10

8.05

8.04

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2.05

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.05 लाख की कमी उपकरण/बीजों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

17- उद्यान योजनाओं पर व्यय (प्रशिक्षण और विस्तार)-

**गैर योजना**

मूल 1,36.98

1,16.98

1,00.38

(-)16.60

पुनर्वि० (-)20.00



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

**योजना**

मूल	16.65			
		10.09	8.68	(-)1.41

पुनर्वि० (-)6.56

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.56 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय, दूरभाष, बिजली, पानी और किराए के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

22- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i)	मूल	69.00	69.00	26.26	(-)42.74
-----	-----	-------	-------	-------	----------

**योजना**

(ii)	मूल	8.00	8.00	2.91	(-)5.09
------	-----	------	------	------	---------

23- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(iii)	मूल	32.00	32.00	2.13	(-)29.87
-------	-----	-------	-------	------	----------

**योजना**

(iv)	मूल	4.00	4.00	0.23	(-)3.77
------	-----	------	------	------	---------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 81.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि क्रम संख्या (iii) पर भारत सरकार से ₹ 18.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

28- बगीचे/नर्सरी की स्थापना तथा रखरखाव-

**योजना**

मूल	14.85			
		11.59	11.42	(-)0.17

पुनर्वि० (-)3.26

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.26 लाख की कमी मशीनों, पैकेजिंग सामग्री की खरीद और बिजली, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

29- फलदार वृक्षों के पोषण पर व्यय-

**योजना**

मूल	3.90			
		2.04	2.04	..

पुनर्वि० (-)1.86

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.86 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

30- मशीनरी और औजारों के वितरण पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	16.00			
			10.00	9.99	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)6.00			
31-	पौध संरक्षण पर व्यय-				
	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	5.00			
			1.40	0.50	(-)0.90
	पुनर्वि०	(-)3.60			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.60 लाख की कमी लाभार्थियों से मांगों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
32-	पुष्पोत्पादन के विकास पर व्यय-				
	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	7.00			
			5.00	..	(-)5.00
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
34-	मशरूम का विकास-				
	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
36-	पौधों के वितरण पर व्यय-				
	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	3.00			
			1.20	0.60	(-)0.60
	पुनर्वि०	(-)1.80			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.80 लाख की कमी लाभार्थियों से मांगों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
37-	प्लास्टिक टैंक उपलब्ध कराने पर व्यय-				
	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	7.00	7.00	439	(-)2.61
	₹ 2.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

38-	नई नर्सरियों की स्थापना पर व्यय (संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी)- <b>केन्द्रीय योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	3.50			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)3.50			
39-	मशीनरी तथा औजारों अवयवों के वितरण पर व्यय (संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी)- <b>केन्द्रीय योजना</b> <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	2.50			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.50			
40-	पौध संरक्षण पर व्यय (संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी)- <b>केन्द्रीय योजना</b> <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	2.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			
41-	किसानों के प्रशिक्षण पर व्यय (संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी)- <b>केन्द्रीय योजना</b> <b>योजना</b>				
(iv)	मूल	2.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
45-	स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	68.00	68.00	22.80	(-)45.20
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	7.00	7.00	2.53	(-)4.47
46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	1,22.00	1,22.00	44.81	(-)77.19
	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	14.00	14.00	4.98	(-)9.02
48-	बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय (बागवानी के एकीकृत विकास मिशन)- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(v)	मूल	1,62.00	1,62.00	80.00	(-)82.00
	<b>योजना</b>				
(vi)	मूल	49.00	49.00	8.89	(-)40.11
50-	विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(vii)	मूल	1,06.00	1,06.00	72.42	(-)33.58
	<b>योजना</b>				
(viii)	मूल	12.00	12.00	8.04	(-)3.96
52-	उठाऊ सिंचाई योजना और नलकूप- <b>योजना</b>				
(ix)	मूल	10.00	10.00	6.23	(-)3.77
	उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 2,99.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
55-	प्राकृतिक खेल खुशहाल किसान- <b>योजना</b>				
	मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
	₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
56-	मुख्यमंत्री खेल संरक्षण योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	3,15.00	3,15.00	1,24.28	(-)1,90.72
	₹ 1,90.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,24.28 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 36.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
57-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

58- परम्परागत कृषि विकास योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल 34.00

78.21

22.28

(-)55.93

पुनर्वि० 44.21

₹ 55.93 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.21 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 55.93 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 4.00

4.00

2.47

(-)1.53

₹ 1.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2402- मृदा तथा जल संरक्षण-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कृषि योग्य भूमि पर भू-संरक्षण व्यय-  
**गैर योजना**

मूल 1,75.00

1,17.47

96.62

(-)20.85

पुनर्वि० (-)57.53

₹ 20.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.53 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 20.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि

उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता-

**केन्द्रीय योजना**

**योजना**

(i) मूल 79.00

79.00

23.25

(-)55.75

08- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत

भू-संरक्षण पर व्यय (कृषि)-

**केन्द्रीय योजना**

**योजना**

(ii) मूल 70.00

70.00

51.94

(-)18.06

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 73.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	46.00	46.00	..	(-)46.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 51.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
11-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	81.00	81.00	51.95	(-)29.05
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	9.00	9.00	5.76	(-)3.24
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 32.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
12-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई- <b>योजना</b>				
	मूल	2,70.00			
			2,08.00	1,36.99	(-)71.01
	पुनर्वि०	(-)62.00			
	₹ 71.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.00 लाख की कमी लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 71.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2403-</b>	<b>पशु पालन-</b>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	क्षेत्रीय स्थापना- <b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	2,85.63	2,85.63	1,76.30	(-)1,09.33
02-	अस्पताल और औषधालय- <b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	24,21.85	24,21.85	18,47.28	(-)5,74.57
04-	भेड़ एवं ऊँट विकास पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	1,46.74	1,46.74	73.89	(-)72.85
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	61.00	61.00	1.25	(-)59.75
	<b>योजना</b>				
(v)	मूल	7.00	7.00	0.14	(-)6.86
12-	पशुओं की बीमारी के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(vi)	मूल	6.64	6.00	0.38	(-)5.62
	पुनर्वि०	(-)0.64			
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 8,28.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
16-	पेस्ट डेस पेटिट्स नियंत्रण कार्यक्रम- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
	मूल	1.85	7.88	..	(-)7.88
	पुनर्वि०	6.03			
	₹ 7.88 लाख के समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.03 लाख का आवर्धन मशीनरी, उपकरण, सामग्री और वस्तुओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 7.88 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
20-	पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	1.50	1.50	..	(-)1.50
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1.50	1.50	..	(-)1.50
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2405-</b>	<b>मत्स्य पालन-</b>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	जिला प्रशासन के अधीन मत्स्य योजनाओं पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
	मूल	19.79	12.71	11.11	(-)1.60
	पुनर्वि०	(-)7.08			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

02-	मत्स्य स्कीमों पर व्यय-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	33.00			
			17.04	14.40	(-)2.64
	पुनर्वि०	(-)15.96			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.96 लाख की कमी भवनों के रखरखाव, सामग्री की खरीद और आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई।				
04-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मत्स्य पालन पर व्यय-				
	<b>केन्द्रीय योजना</b>				
	मूल	8.10			
			13.50	7.20	(-)6.30
	पुनर्वि०	5.40			
	₹ 6.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.40 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 6.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
06-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	8.00	8.00	..	(-)8.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2406-</b>	<b>वानिकी तथा वन्य प्राणी-</b>				
	01- वानिकी-				
	796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
	01- कर्मचारियों पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	12,58.36	12,58.36	11,13.99	(-)1,44.37
02-	वानिकी कार्यक्रम-				
	<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	5,34.69	5,34.69	2,99.72	(-)2,34.97



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

03-	भवन कार्यक्रम- <b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	17.58	17.58	12.00	(-)5.58
07-	चिलगोजा पार्सन का पुनोत्पादन पर व्यय- <b>गैर योजना</b>				
(iv)	मूल	17.27	17.27	12.02	(-)5.25
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 3,90.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
22-	वन प्रबंधन की गहनता- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	मूल	36.00			
			1.00	..	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)35.00			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
	₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
23-	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	मूल	41.00			
			1.00	..	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)40.00			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
	₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
26-	स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी मिशन- <b>योजना</b>				
	मूल	0.10			
			3.20	0.10	(-)3.10
	पुनर्वि०	3.10			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 3.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 3.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 29- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और  
जीव विज्ञान सुधार परियोजना-  
**योजना**

मूल	3,60.00			
		2,86.00	2,60.00	(-)26.00
पुनर्वि०	(-)74.00			

₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 33- सामुदायिक वन संवर्धन योजना-  
**योजना**

मूल	50.00			
पूरक	0.01	36.96	36.16	(-)0.80
पुनर्वि०	(-)13.05			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.05 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

- 34- विधार्थी वन मित्र योजना-  
**योजना**

मूल	25.00			
		13.60	..	(-)13.60
पुनर्वि०	(-)11.40			

₹ 13.60 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.40 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, वस्तुओं व सामग्री की खरीद पर कम व्यय और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 13.60 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 35- वन समृद्धि जल समृद्धि-  
**योजना**

मूल	50.00			
	0.01	38.06	26.99	(-)11.07
पुनर्वि०	(-)11.95			

₹ 11.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.95 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

37- एक बूटा बेटी के नाम-  
**योजना**

(i)	मूल	54.00			
	पूरक	0.01	48.82	28.81	(-)20.01
	पुनर्वि०	(-)5.19			

02- पर्यावरणीये वानिकी तथा वन्य जीव-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- वन्य प्राणी प्रबन्ध तथा प्राकृतिक संरक्षण पर व्यय-  
**गैर योजना**

(ii)	मूल	52.45	52.45	39.95	(-)12.50
------	-----	-------	-------	-------	----------

02- वन्य जीव अभ्यारण्यों के सुधार एवं विकास पर व्यय-  
**गैर योजना**

(iii)	मूल	20.07	20.07	4.16	(-)15.91
-------	-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 48.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- वन्य जीव अभ्यारण्यों के गहन प्रबंधन पर व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

	मूल	1,00.00			
			54.83	54.42	(-)0.41
	पुनर्वि०	(-)45.17			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.17 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि ₹ 66.35 लाख का अनुदान भारत सरकार से योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ।

**गैर योजना**

	मूल	27.80	27.80	5.92	(-)21.88
--	-----	-------	-------	------	----------

₹ 21.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

	मूल	1,00.00			
			8.95	8.95	..
	पुनर्वि०	(-)91.05			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.05 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा सामग्री/वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

**गैर योजना**

(i)	मूल	47.84	47.84	36.73	(-)11.11
-----	-----	-------	-------	-------	----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(ii) मूल	2.50	2.50	0.99	(-)1.51
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 12.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>07- ठंडा रेगिस्तान बायोस्फियर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
मूल	81.00			
		14.76	..	(-)14.76
पुनर्वि०	(-)66.24			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.24 लाख कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
<b>योजना</b>				
मूल	2.50	2.50	..	(-)2.50
₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2408- खाद्य भण्डार तथा भण्डागार-</b>				
01- खाद्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजना</b>				
मूल	3,31.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)3,31.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,31.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
<b>2425- सहकारिता-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-गैर योजना				
मूल	1,87.65			
		1,43.25	1,28.31	(-)14.94
पुनर्वि०	(-)44.40			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने बाहरी स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
<b>2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-</b>				
06- स्वरोजगार योजना -				

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- जिला ग्रामीण स्थापना विकास अभिकरण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

(i) मूल 54.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)54.00

**योजना**

(ii) मूल 9.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)9.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल 2,03.00

1,69.00

1,69.00

..

पुनर्वि० (-)34.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल 6,22.00

6,22.00

5,57.17

(-)64.83

₹ 64.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 69.00

65.88

..

(-)65.88

पुनर्वि० (-)3.12

65.88 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- राष्ट्रीय रूबन मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल 2,19.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)2,19.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	36.00		
	पुनर्वि०	(-)36.00		
<b>2505- ग्राम रोजगार-</b>				
01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	24,30.00		
	पुनर्वि०	(-)24,30.00		
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,85.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
<b>योजना</b>				
	मूल	12,15.00	14,85.00	11,11.10
	पुनर्वि०	2,70.00		(-)3,73.90
3,73.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,70.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 3,73.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2506- भूमि सुधार-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- जिला कर्मचार वर्ग पर व्यय-				
<b>गैर योजना</b>				
(i)	मूल	29.15	29.15	16.86
				(-)12.29
<b>2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-				
<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	2,28.39		
	पूरक	0.01	2,28.79	1,46.56
	पुनर्वि०	0.39		(-)82.23
02- सामुदायिक विस्तार के विकास कार्यक्रम पर व्यय-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>गैर योजना</b>				
मूल	7,11.86			
		7,19.26	4,81.42	(-)2,37.84
पुनर्वि०	7.40			
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,32.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
10-	<b>सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>			
मूल	20,52.00			
पूरक	0.01	99.74	99.74	..
पुनर्वि०	(-)19,52.27			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,52.27 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 99.74 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
<b>योजना</b>				
(i)	मूल	3,38.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)3,38.00		
14-	<b>आवासीय भवन/ग्राम सेवक हटस- योजना</b>			
(ii)	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
15-	<b>स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य पुरस्कार योजना- योजना</b>			
(iii)	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,40.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
17-	<b>कार्यालय भवन/भण्डार के निर्माण/नवीनीकरण- योजना</b>			
	मूल	90.00		
			2.00	2.00
	पुनर्वि०	(-)88.00		..

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के माध्यम से प्रावधान में ₹ 88.00 लाख का कमी कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई ।

18- महिला मंडल प्रोत्साहन योजना-  
**योजना**

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

22- केंद्रीय वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत  
समितियों को बुनियादी अनुदान-  
**गैर योजना**

मूल 3,03.00

2,54.59

2,54.59

..

पुनर्वि० (-)48.41

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.41 लाख की कमी पंचायती राज संस्थानों के तीन स्तरों को पन्द्रहवें वित्तायोग के अन्तर्गत राशि के वितरण के बंटवारे के पैटर्न में बदलाव के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,54.59 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,27.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

23- केंद्रीय वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत  
समितियों को बंधित अनुदान-  
**गैर योजना**

मूल 3,03.00

2,54.00

2,54.00

..

पुनर्वि० (-)49.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.00 लाख की कमी पंचायती राज संस्थानों के तीन स्तरों को पन्द्रहवें वित्तायोग के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे के पैटर्न में बदलाव के कारण हुई।

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को

स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल 8,97.77

8,97.77

5,59.76

(-)3.38.01

07- स्थापना पर व्यय-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

	<b>गैर योजना</b>				
(ii)	मूल	5,99.63	5,99.63	3,28.88	(-)2,70.75
11-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-				
	<b>गैर योजना</b>				
(iii)	मूल	8,97.77	8,97.77	1,59.17	(-)7,38.60
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 13,47.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2851-</b>	<b>ग्रामीण तथा लघु उद्योग-</b>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	2.00			
			0.50	0.50	..
	पुनर्वि०	(-)1.50			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.50 लाख की कमी लाभाथियों की कम मांग के कारण हुई।				
02-	जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	1,08.46			
			80.54	70.31	(-)10.23
	पुनर्वि०	(-)27.92			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
08-	हथकरघा और हस्तकला के लिए				
	एकीकृत योजना-				
	<b>योजना</b>				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
10-	खाद्यी उद्योग इकाइयों पर व्यय-				
	<b>गैर योजना</b>				
	मूल	1.98			
			0.20	..	(-)0.20
	पुनर्वि०	(-)1.78			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.78 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

16- विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत  
खादी ओर ग्रामोदयोग पर व्यय-  
**केन्द्रीय योजना**  
**योजना**

(i) मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
---------	-------	-------	----	----------

21- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन-  
**योजना**

(ii) मूल	34.00	34.00	..	(-)34.00
----------	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 44.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

26- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र-  
**योजना**

मूल	10.00			
		7.50	0.81	(-)6.69
पुनर्वि0	(-)2.50			

₹ 6.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 6.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

27- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	8.00	8.00	..	(-)8.00
---------	------	------	----	---------

**योजना**

(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

28- मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना-  
**योजना**

मूल	10.00	10.00	3.10	(-)6.90
-----	-------	-------	------	---------

₹ 6.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2852- उद्योग-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान विज्ञापन बिलों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

**2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग--**

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खनिज विकास पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 85.07

64.14

53.95

(-)10.19

पुनर्वि० (-)20.93

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

**3054- सड़कें तथा पुल-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत

स्थापना पर व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल 20,11.57

18,11.57

12,55.94

(-)5,55.63

पुनर्वि० (-)2,00.00

02- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को स्थाई

स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-

**गैर योजना**

(ii) मूल 98,45.62

96,45.62

82,07.88

(-)14,37.74

पुनर्वि० (-)2,00.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 19,93.37 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 19,93.37 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- जिला सड़कों के रख-रखाव तथा

मरम्मत पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल 19,57.10 19,57.10 16,56.43 (-)3,00.67  
₹ 3,00.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-

**गैर योजना**

मूल 98,45.62  
96,46.62 27,33.94 (-)69,12.68

पुनर्वि० (-)1,99.00

₹ 69,12.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.00 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 69,12.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**3452- पर्यटन-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास पर व्यय-  
**योजना**

मूल 69.80  
19.80 17.75 (-)2.05

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-  
**योजना**

(i) मूल 16.00  
16.20 12.19 (-)4.01

पुनर्वि० 0.20

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-**

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सर्वेक्षण कर्मचारी वर्ग मूल्यांकन अध्ययन तथा तकनीकी पर व्यय-  
**गैर योजना**

(ii) मूल 87.69  
95.18 51.00 (-)44.18

पुनर्वि० 7.49

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 48.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**3456- नागरिक आपूर्ति-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

04- उपभोक्ता जागरूकता-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**  
मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- किन्नौर तथा लाहौल स्पीति जिलों पर माप एवं तोल पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल 7.15 7.15 5.64 (-)1.51

₹ 1.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

**2015- निर्वाचन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- मतदाता सूचियों के निर्माण तथा मुद्रण  
पर व्यय विधान सभा-  
**गैर योजना**

मूल 17.87 32.81 31.50 (-)1.31

पुनर्वि० 14.94

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.94 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने पर अधिक व्यय तथा बूथ स्तर के अधिकारियों को मानदेय के भुगतान के कारण हुआ।

05- संसद के चुनाव के संचालन प्रभार पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल 0.08 2.12 2.09 (-)0.03

पुनर्वि० 2.04

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.04 लाख का आवर्धन संसदीय चुनाव के लंबित मानदेय बिलों की मंजूरी और यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- स्थानीय निकायों के चुनाव से सम्बन्धित प्रभार पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**गैर योजना**

मूल	2.68			
पूरक	0.01	37.46	35.01	(-)2.45
पुनर्वि०	34.77			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.77 लाख का आवर्धन वस्तुओं की खरीद, यात्रा, दूरभाष, विद्युत, पानी के बिल और बाहरी स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2053- जिला प्रशासन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल	27.37			
		44.82	45.46	+0.64
पुनर्वि०	17.45			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.45 लाख का आवर्धन वेतन के अधिक भुगतान पर व्यय के कारण हुआ।

09- विकास में जन सहयोग पर व्यय-

**योजना**

मूल	1,50.00			
		2,15.00	1,91.88	(-)23.12
पुनर्वि०	65.00			

₹ 23.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.00 लाख का आवर्धन लघु कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,91.88 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 98.90 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 23.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- अतिरिक्त आयुक्त काजा के कार्यालय पर व्यय-

**गैर योजना**

(i) मूल	8.86	8.86	12.17	+3.31
---------	------	------	-------	-------

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (स्टाक)-

**गैर योजना**

(ii) मूल	10,00.00	10,00.00	14,88.81	+4,88.81
----------	----------	----------	----------	----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

09- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय  
(विविध लोक निर्माण विभाग)  
**गैर योजना**

(iii) मूल	5,00.00	5,00.00	19,22.83	+14,22.83
-----------	---------	---------	----------	-----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 19,14.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

14- पुलिस आवास  
**योजना**

मूल	10.00			
		14.71	14.71	..
पुनर्वि०	4.71			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.71 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

04- प्रौढ शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- पढना लिखना अभियान-  
**केंद्रीय प्रायोजित याजना**  
**योजना**

पूरक	0.01			
		24.17	24.17	..
पुनर्वि०	24.16			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**योजना**

पुनर्वि०	2.69	2.69	2.69	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.69 लाख बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जबकि निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। प्रावधान के बिना पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

**2204 खेल तथा युवा सेवाएं**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- युवा सेवा एवं खेल निदेशालय पर व्यय-  
**योजना**

मूल	1,35.00			
		2,03.04	1,53.45	(-)49.59
पुनर्वि०	68.04			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 49.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.04 लाख का आवर्धन सामग्री/वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय, खेल संगठनों से प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति तथा खेल आयोजनों के संगठन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 49.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं/  
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-  
**योजना**

मूल 7,49.00

7,84.45

7,82.14

(-)2.31

पुनर्वि० 35.45

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.45 लाख का आवर्धन सामग्री/वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- डॉ राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा का उन्नयन  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 1.00

पूरक 0.01

98.11

97.11

(-)1.00

पुनर्वि० 97.10

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**2215- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता-**

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-  
**गैर योजना**

मूल 4,21.02

5,51.53

7,29.58

+1,78.05

पुनर्वि० 1,30.51

₹ 1,78.05 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.51 लाख का आवर्धन ग्रामीण जलापूर्ति योजना के रखरखाव पर अधिक व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,78.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

04-	स्कन्ध-				
	<b>योजना</b>				
(i)	पूरक	0.01	0.01	3,84.37	+3,84.36
05-	स्कन्ध विनिर्माण-				
	<b>योजना</b>				
(ii)	पूरक	0.01	0.01	5.00	+4.99
06-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
	<b>योजना</b>				
(iii)	पूरक	0.01	0.01	87.01	+87.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 4,76.35 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2216-</b>	<b>आवास-</b>				
	03- ग्रामीण आवास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	गांधी कुटीर योजना/इंदिरा आवास योजना				
	के अन्तर्गत बेघर गरीबों के लिए मकानों का निर्माण-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	97.00			
			2,36.93	2,36.93	..
	पुनर्वि०	1,39.93			
<b>2217-</b>	<b>शहरी विकास-</b>				
	03- छोटे तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन				
	दीन दयाल अन्तयोदया योजना-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना-</b>				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	20.00			
			43.92	43.92	..
	पुनर्वि०	23.92			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.85 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
04-	प्रधानमंत्री आवास योजना				
	<b>योजना</b>				
	मूल	2.00			
			3.18	3.18	..
	पुनर्वि०	1.18			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.18 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

**2220- सूचना तथा प्रचार-**

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

**योजना**

मूल 15.00

20.02

19.86

(-)0.16

पुनर्वि० 5.02

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.02 लाख का आवर्धन मशीनरी एवं उपकरणों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

13- अल्प संख्यकों के लिए बहू पक्ष विकास कार्यक्रम-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) पूरक 0.01

5,74.80

5,74.80

..

पुनर्वि० 5,74.79

**योजना**

(ii) परक 0.01

63.87

63.87

..

पुनर्वि० 63.86

**2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-**

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए

कौशल को मजबूत बनाना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(iii) पूरक 0.01

1,18.75

1,18.75

..

पुनर्वि० 1,18.74

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

11- आजीविका प्रोत्साहन के लिए कौशल और जागरूकता अधिग्रहण योजना (संकल्प)  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना**

(iv) पूरक	0.01			
		16.30	16.30	..
पुनर्वि०	16.29			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,73.68 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 63.87 लाख की समस्त राशि तथा क्रम संख्या (iv) में ₹ 16.30 लाख की समस्त राशि आहरित की गई जिसको आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- बेटा है अनमोल पर व्यय-  
**योजना**

(i) मूल	7.00			
		13.06	13.03	(-)0.03
पुनर्वि०	6.06			

07- मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना-  
**योजना**

(ii) मूल	26.50			
		35.56	31.43	(-)4.13
पुनर्वि०	9.06			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.12 लाख का आवर्धन लंबित प्रस्तावों का मंजूरी देने के कारण हुआ।

22- विकलांगों का उत्थान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना**

पूरक	0.01			
		4.54	4.54	..
पुनर्वि०	4.53			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.53 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

<b>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-</b>				
<b>796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-</b>				
<b>01- सामाजिक कल्याण तथा वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय- योजना</b>				
(i)	मूल	9,31.40		
			9,83.17	9,83.17
				..
	पुनर्वि०	51.77		
<b>02- विधवा पेंशन पर व्यय- योजना</b>				
(ii)	मूल	2,51.00		
			3,90.12	3,90.11
				(-)0.01
	पुनर्वि०	1,39.12		
<b>06- विकलांग पुर्नवास योजना</b>				
(iii)	मूल	40.09		
			1,16.87	1,16.73
				(-)0.14
	पुनर्वि०	76.78		

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.67 लाख का आवर्धन लम्बित देयताओं के संशोधन के कारण हुआ।

**2236- पोषण-**

<b>02- पौष्टिक भोजन तथा पेय पदार्थों का वितरण-</b>				
<b>796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-</b>				
<b>01- खाद्य कार्यक्रम पर व्यय केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	6,40.00		
			16,96.23	16,95.95
				(-)0.28
	पुनर्वि०	10,56.23		
<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	71.00		
			1,88.21	1,88.21
				..
	पुनर्वि०	1,17.21		

**2251- सचिवालय सामाजिक सेवाए-**

<b>796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-</b>				
<b>07- जनजातीय अनुसंधान संस्थान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना-</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(iii)	मूल	2.00			
			50.00	50.00	..
	पुनर्वि०	48.00			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,21.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
<b>2401- फसल कृषि कर्म-</b>					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
27- फल डिब्बाबंदी इकाई पर व्यय-					
<b>योजना</b>					
	मूल	4.70			
			9.00	7.70	(-)1.30
	पुनर्वि०	4.30			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.30 लाख का आवर्धन सामग्री की खरीद और बिजली, पानी और दूरभाष बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।					
54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-					
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना-</b>					
<b>योजना</b>					
	मूल	81.00			
			1,03.82	1,03.82	..
	पुनर्वि०	22.82			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.82 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
<b>योजना</b>					
	मूल	27.35			
			79.03	64.77	(-)14.26
	पुनर्वि०	51.68			
₹ 14.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.68 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।					
₹ 14.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
60- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उप-मिशन-					
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
<b>योजना</b>					
(i)	मूल	26.00			
			51.66	51.66	..
	पुनर्वि०	25.66			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

61-	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	1,35.00			
			3,00.00	3,00.00	..
	पुनर्वि०	1,65.00			
	योजना				
(iii)	मूल	15.00			
			33.33	33.33	..
	पुनर्वि०	18.33			
63-	कृषि निर्माण पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	पूरक	0.01			
			1,00.00	1,00.00	..
	पुनर्वि०	99.99			
	योजना				
(v)	पूरक	0.01			
			11.11	11.11	..
	पुनर्वि०	11.10			

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा से प्रावधान में ₹ 3,20.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**2402- भू तथा जल संरक्षण-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- भू तथा जल संरक्षण कार्यक्रम (वन)-  
योजना

मूल	1,63.00				
पूरक	0.01	1,84.00	1,82.77		(-)1.23
पुनर्वि०	20.99				

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा से प्रावधान में ₹ 20.99 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।

**2403- पशु पालन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
	मूल	9.50			
	पूरक	0.01	93.94	93.94	..
	पुनर्वि०	84.43			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.43 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
17-	<b>राष्ट्रीय पशुधन मिशन - केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	1.00			
			26.55	26.55	..
	पुनर्वि०	25.55			
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1.00			
	पूरक	0.01	3.95	2.95	(-)1.00
	पुनर्वि०	2.94			
19-	<b>पशुधन की जनगणना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(iii)	पूरक	0.01			
			8.00	8.00	..
	पुनर्वि०	7.99			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.48 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 40.43 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
<b>2405- मत्स्य पालन</b>					
796-	<b>जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-</b>				
03-	<b>चंबा तथा भटियात की जेबों के लिए विशेष सहायता के अन्तर्गत मत्स्य पालन पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना</b>				
	मूल	1.55			
			3.08	3.06	(-)0.02
	पुनर्वि०	1.53			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.53 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
07-	<b>नीली क्रांति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	27.00				
		85.42	85.41		(-)0.01

पुनर्वि० 58.42

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.42 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 1,69.03 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**योजना**

मूल	2.32				
		13.11	13.11		..

पुनर्वि० 10.79

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.79 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) पूरक	0.02				
		83.61	83.61		..

पुनर्वि० 83.59

**योजना**

(ii) पूरक	0.03				
		9.72	9.68		(-)0.04

पुनर्वि० 9.69

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.28 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण और भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-**

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

20- वनक्षेत्र में सुधार/नर्सरियों उत्पादन-  
**योजना**

मूल	3,76.25				
पूरक	0.01	4,31.13	4,31.06		(-)0.07
पुनर्वि०	54.87				

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.87 लाख का आवर्धन वृक्षों के आवरण में सुधार/नर्सरियों के निर्माण और दूरभाष, बिजली और पानी के बिलों के भुगतान पर लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

38- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

पूरक	0.01			
		1,02.50	1,02.50	..
पुनर्वि०	1,02.49			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.49 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**योजना**

पूरक	0.01			
		11.40	11.40	..
पुनर्वि०	11.39			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.39 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- सुरक्षित हिमालय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	1,00.00			
		2,74.86	2,74.86	..
पुनर्वि०	1,74.86			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.86 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,74.86 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,67.92 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह-**

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य संगठन पर व्यय-

**योजना**

मूल	5.00			
पूरक	0.01	6.90	6.52	(-)0.38
पुनर्वि०	1.89			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.89 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहाक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-**

04- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर व्यय-  
**योजना**

मूल 2,00.00

5,12.78

5,12.78

..

पुनर्वि० 3,12.78

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,12.78 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 2,43.00

4,99.97

4,99.97

..

पुनर्वि० 2,56.97

**योजना**

(ii) मूल 27.00

53.66

53.66

..

पुनर्वि० 26.66

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,83.63 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और इसलिए इतनी ही राज्य की हिस्सेदारी भी जारी करने के कारण हुआ।

**2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-  
**योजना**

मूल 11,74.00

13,17.80

12,74.77

(-)43.03

पुनर्वि० 1,43.80

₹ 43.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.80 लाख का आवर्धन पंचायत सहायक/तकनीकी सहायक के मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 43.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार  
पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	60.00			
		8,79.18	8,74.17	(-)5.01
पुनर्वि०	8,19.18			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,19.18 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 8,74.17 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,44.53 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
16-	<b>राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>			
मूल	1,74.00			
		2,46.60	2,46.60	..
पुनर्वि०	72.60			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.60 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,46.60 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14.90 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
<b>योजना</b>				
मूल	19.00			
		27.41	27.41	..
पुनर्वि०	8.41			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा से प्रावधान में ₹ 8.41 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
20-	<b>केंद्रीय वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को बुनियादी अनुदान- गैर योजना</b>			
मूल	1,17.00			
		1,76.42	1,76.42	..
पुनर्वि०	59.42			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.42 लाख का आवर्धन पंचायती राज संस्थानों के तीन स्तरों को पन्द्रहवें वित्तायोग के अन्तर्गत राशि के वितरण के बंटवारे के स्वरूप में परिवर्तन के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,76.42 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 88.00 लाख				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

21- केंद्रीय वितायोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को बंधित अनुदान-

**गैर योजना**

मूल 1,17.00

1,76.00

1,76.00

..

पुनर्वि० 59.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा से प्रावधान में ₹ 59.00 लाख का आवर्धन पंचायत राज संस्थाओं के तीन स्तरों को पंद्रहवें वितायोग के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे के स्वरूप में बदलाव के कारण हुआ।

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उद्धारसिंचाई योजनाएं (विशेष मरम्मत)

मरम्मत तथा रखरखाव पर व्यय-

**गैर योजना**

मूल 51.00

1,56.00

2,47.63

+91.63

पुनर्वि० 1,05.00

अंतिम रूप से ₹ 91.63 लाख के आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.00 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 91.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव तथा

मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मतें)-

**गैर योजना**

(i) मूल 2,51.72

3,43.72

3,71.48

+27.76

पुनर्वि० 92.00

04- अन्य लघु सिंचाई कार्यों की मरम्मत

(प्रवाह सिंचाई योजना) के रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-

**गैर योजना**

(ii) मूल 2,91.35

3,51.35

4,29.06

+77.71

पुनर्वि० 60.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,05.47 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52.00 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 3,71.48 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.92 लाख तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 4,29.06 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3.84 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,05.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**08- स्कन्ध (स्टॉक) पर व्यय -  
योजना**

(i) पूरक	0.01	0.01	6,76.61	+6,76.60
----------	------	------	---------	----------

**09- स्कन्ध (स्टॉक निर्माण ) पर व्यय-  
योजना**

(ii) पूरक	0.01	0.01	18.97	+18.96
-----------	------	------	-------	--------

**10- स्कन्ध (विविध अग्रिम) पर व्यय-  
योजना**

(iii) पूरक	0.01	0.01	44.31	+44.30
------------	------	------	-------	--------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 7,39.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-**

**796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-**

**02- जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-  
योजना**

मूल	11.00			
		13.22	13.10	(-)0.12

पुनर्वि० 2.22

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.22 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय तथा कार्यालय भवनों के लिए लघु कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**3054- सड़क तथा सेतु-**

**04- जिला तथा अन्य सड़कें-**

**796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-**

**04- जिला तथा अन्य सड़कों का रखरखाव-  
गैर योजना**

मूल	18,00.83	18,00.83	18,24.41	+23.58
-----	----------	----------	----------	--------

₹ 23.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाखों में)		
<b>4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- पुलिस बल का आधुनिकीकरण- <b>गैर योजना</b>				
मूल	25.06	25.06	14.77	(-)10.29
				₹ 10.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।
<b>4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
01- कार्यालय भवन-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02- अन्य प्रशासन पर व्यय- <b>केन्द्रीय योजना</b> <b>योजना</b>				
मूल	41.00			
		4.45	0.14	(-)4.31
पुनर्वि०	(-)36.55			
				मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.55 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।
<b>योजना</b>				
मूल	6,50.00			
		7,20.46	5,91.26	(-)1,29.20
पुनर्वि०	70.46			
				₹ 1,29.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.46 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,91.26 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 49.54 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
				₹ 1,29.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।
05- न्यायपालिका पर व्यय-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल 1.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**60- अन्य भवन-****796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****01- दवारका (दिल्ली) में हिमाचल भवन का निर्माण-  
योजना**

मूल 9.00 9.00 0.99 (-)8.01

₹ 8.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-****796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****01- अग्निशमन विभाग के भवनों का निर्माण-  
योजना**

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-****01- सामान्य शिक्षा-****796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****01- भवन-  
केन्द्रीय योजना  
योजना**

(i) मूल 4,85.90

2,75.00 2,75.00 ..

पुनर्वि० (-)2,10.90

**02- तकनीकी शिक्षा-****796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****01- ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास  
भवन का निर्माण-  
योजना**

(ii) मूल 1,70.00

1,13.55 98.55 (-)15.00

पुनर्वि० (-)56.45

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.35 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर****पूँजीगत परिव्यय-**

- 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-  
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-  
01- भवन-

**केन्द्रीय योजना  
योजना**

मूल 2,71.00

1,40.23

50.00

(-)90.23

पुनर्वि० (-)1,30.77

₹ 90.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.77 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 90.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-  
01- भवन-

**योजना**

मूल 1,81.60

1,58.60

1,58.60

..

पुनर्वि० (-)23.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

## 05- चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

मूल 2,26.00

2,26.00

15.52

(-)2,10.48

₹ 2,10.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## 06- चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल 3,16.00

3,16.00

30.00

(-)2,86.00

₹ 2,86.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

07- चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	75.00	75.00	50.63	(-)24.37
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 24.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

09- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-

**योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जल आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- नलकूप लगाने पर व्यय-

**योजना**

मूल	40.00			
		15.00	14.71	(-)0.29

पुनर्वि० (-)25.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी नलकूप पर कम व्यय के कारण हुई।

03- मल निवासी योजनाओं पर व्यय-

**योजना**

मूल	2,41.00			
		2,39.98	2,02.00	(-)37.98

पुनर्वि० (-)1.02

₹ 37.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,02.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 25.53 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

05- पुरानी जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-

**योजना**

मूल	4,67.60			
		4,46.67	4,48.57	+1.90

पुनर्वि० (-)20.93

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.93 लाख की कमी भवनों/पानी की टंकी के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

- 09- कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-  
**योजना**

मूल 15,12.00

37.73

37.75

+0.02

पुनर्वि० (-)14,74.27

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,74.27 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

- 14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 43,26.00 43,26.00 9,70.79 (-)33,55.21

**योजना**

(ii) मूल 7,20.00 7,20.00 1,08.34 (-) 6,11.66

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 39,66.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 16- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-  
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)-  
**योजना**

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सरकारी आवासीय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- भवन-

**योजना**

(i) मूल 2,00.00 2,04.56 1,75.03 (-)29.53

पुनर्वि० 4.56

- 09- सामान्य प्रशासनिक विभाग के सामान्य पूल आवास का निर्माण-  
**योजना**

(ii) मूल 1,08.00 1,08.00 12.75 (-)95.25

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,24.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>4225-</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
02-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों विकास निगम की समान हिस्सेदारी पर व्यय- <b>योजना</b>				
(i)	मूल	48.00	48.00	..	(-) 48.00
<b>4235-</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
02-	समाज कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	बहुदेशीय सामुदायिक/आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 56.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>4401-</b>	<b>फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01-	कृषि भवनों पर व्यय- <b>योजना</b>				
	मूल	20.00			
			3.00	3.00	..
	पुनर्वि०	(-)17.00			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
<b>4402-</b>	<b>मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01-	पॉलीहाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना (ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष) निर्माण पर व्यय- <b>योजना</b>				
	मूल	1,18.00			
			2,20.00	27.00	(-)1,93.00
	पुनर्वि०	40.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 1,93.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,93.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4408- खाद्य भंडारण तथा भाण्डागार पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

02- भंडारण तथा भांडागार-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- कृषि एवं शहरी विकास का राष्ट्रीय बैंक  
के तहत गोदामों का निर्माण-  
**योजना**

(i) मूल 1.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

**4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारी समितियों में निवेश-  
**योजना**

(ii) मूल 2.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)2.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- ग्रामीण संरचित विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि  
तथा ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत  
लघु सिंचाई योजना पर व्यय-  
**योजना**

मूल 6,00.00

6,87.60 2,62.00 (-)4,25.60

पुनर्वि० 87.60

₹ 4,25.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.60 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,25.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- विभिन्न बिलों में लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय  
(प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	4,00.00	4,00.00	7.46	(-)3,92.54
-----	---------	---------	------	------------

₹ 3,92.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	51.00			
		31.00	5.50	(-)25.50

पुनर्वि (-)20.00

₹ 25.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य अंश की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 25.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 10- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर  
खेत को पानी-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल	7,01.00	7,01.00	2,11.92	(-)4,89.08
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 4,89.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

(i) मूल	80.00	80.00	..	(-)80.00
---------	-------	-------	----	----------

- 11- हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण द्वारा किसानों  
की आय दोगुनी करने हेतु योजना-

**योजना**

(ii) मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
----------	------	------	----	---------

**4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 01- कमांड क्षेत्र विकास पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(iii) मूल	4,41.00	4,41.00	..	(-)4,41.00
-----------	---------	---------	----	------------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5,30.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	4,39.00			
		2,50.74	1,94.92	(-)55.82

पुनर्वि0 (-)1,88.26

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 55.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,88.26 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,94.92 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 8.99 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 55.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ नियंत्रण कार्यों पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	3,65.00	3,65.00	..	(-)3,65.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 3,65.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	4,10.00			
		3,53.16	2,99.80	(-)53.36

पुनर्वि० (-)56.84

₹ 53.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.84 लाख की कमी बाढ नियंत्रण कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,99.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 80.43 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 53.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के

अन्तर्गत बाढ नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-

**योजना**

मूल	1,00.00			
		66.69	66.67	(-)0.02

पुनर्वि० (-)33.31

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.31 लाख की कमी बाढ नियंत्रण कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

**5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

- 03- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष/  
कृषि के लिए नेशनल बैंक और ग्रामीण विकास  
ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

**योजना**

मूल 16,91.00

8,19.01                      7,89.02                      (-)29.99

पुनर्वि० (-)8,71.99

₹ 29.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में  
₹ 8,71.99 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 29.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 07- मुख्य जिला सड़कें-  
**योजना**

मूल 2,00.00

2,00.00

..

(-)2,00.00

₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 08- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत  
सड़कों का निर्माण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

- (i) मूल 9,90.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)9,90.00

- 09- सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत  
परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-  
**योजना**

- (ii) मूल 36.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)36.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,26.00 लाख का समस्त  
प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न  
करने के कारण कम कर दिया गया।

- 10- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निर्माण में वृद्धि-  
**योजना**

मूल 90.00

90.00

..

(-)90.00

₹ 90.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 80- सामान्य-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

03- मशीनरी तथा उपकरण, औजार  
तथा संयंत्र पर व्यय-

**योजना**

मूल 1,02.00

1,53.30

..

(-)1,53.30

पुनर्वि० 51.30

₹ 1,53.30 लाख के समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.30 लाख का आवर्धन मशीनरी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,53.30 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- रोपवेज तथा केवलवेज पर व्यय-

**योजना**

मूल 26.00

37.15

23.26

(-)13.89

पुनर्वि० 11.15

₹ 13.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.15 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में रोपवे एवं केवलवे पर अधिक व्यय के कारण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 13.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

09- ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय

कृषि तथा ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत

मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-

**योजना**

मूल 25,36.00

11,77.98

11,05.14

(-)72.84

पुनर्वि० (-)13,58.02

₹ 72.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,58.02 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 72.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम की

परियोजनाओं हेतु ऋण-

**योजना**

मूल 7,02.00

7,02.00

..

(-)7,02.00

₹ 7,02.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
<b>4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
01- सामान्य शिक्षा-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- भवन- <b>योजना</b>				
मूल	4,77.00			
		5,70.27	5,69.67	(-)0.60
पुनर्वि०	93.27			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.27 लाख का आवर्धन विद्यालय भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- भवन- <b>केन्द्रीय योजना</b>				
मूल	20.00			
		60.00	60.00	..
पुनर्वि०	40.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।				
<b>योजना</b>				
मूल	1,15.00			
		2,25.82	2,23.05	(-)2.77
पुनर्वि०	1,10.82			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.82 लाख का आवर्धन चालू कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,23.05 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 17.02 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
03- पर्वतारोहण विभाग के खेल भवनों पर व्यय- <b>योजना</b>				
मूल	0.10			
		53.10	53.10	..
पुनर्वि०	53.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

- 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-  
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-  
01- भवन-

**योजना**

मूल	4,99.00			
		5,60.00	6,36.00	+76.00
पुनर्वि०	61.00			

₹ 76.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.00 लाख का आवर्धन कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 6,36.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,90.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।  
₹ 76.00 लाख के आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत  
स्कीमों पर व्यय -**

- 01- जलापूर्ति-  
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-  
01- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-

**योजना**

मूल	9,43.00			
		10,06.48	9,64.93	(-)41.55
पुनर्वि०	63.48			

₹ 41.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.48 लाख का आवर्धन चलते हुए कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 9,64.93 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.85 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 41.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -  
02- उद्यान भवनों पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	58.00			
		77.00	77.00	..
पुनर्वि०	19.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख का आवर्धन चलते हुए कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 77.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम-

**योजना**

मूल	60.00			
		1,11.83	1,11.83	..
पुनर्वि०	51.83			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.83 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,11.83 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 25.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

(i) मूल	1,44.00			
		1,64.50	1,64.50	..
पुनर्वि०	20.50			

**4406- वानिकी तथा अन्य प्राणियों पर****पूंजीगत परिव्यय-**

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- भवन निर्माण पर व्यय-

**योजना**

(ii) मूल	1,96.00			
		2,25.74	2,23.74	(-)2.00
पुनर्वि०	29.74			

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय ऊठारु सिंचाई योजनाएं-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	50.70		
			1,01.04	1,00.41
				(-)0.63
	पुनर्वि०	50.34		
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.58 लाख का आवर्धन चलते हुए कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ।			
02-	लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (प्रवाह सिंचाई योजनाएं)-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	9,14.30		
			10,32.00	9,44.20
				(-)87.80
	पुनर्वि०	1,17.70		
	₹ 87.80 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.70 लाख का आवर्धन चलते हुए कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
	₹ 87.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
<b>4801-</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
	01- जल विद्युत उत्पादन-			
	796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
	07- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में समान योगदान-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	6,25.00		
			7,01.56	7,01.56
				..
	पुनर्वि०	76.56		
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 76.56 लाख का आवर्धन डीजल जनरेटर सेट की खरीद के कारण हुआ।			
<b>5053-</b>	<b>नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
	80- सामान्य-			
	796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
	02- हवाई पट्टियों के निर्माण पर व्यय-			
	<b>योजना</b>			
	मूल	79.00		
			1,67.50	1,66.49
				(-)1.01
	पुनर्वि०	88.50		
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.50 लाख का आवर्धन चलते हुए कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ।			
<b>5054-</b>	<b>सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
	04- जिला तथा अन्य सड़कें-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सडकों के निर्माण पर व्यय-  
**योजना**

मूल	45,69.00			
		53,76.00	55,98.45	+2,22.45
पुनर्वि०	8,07.00			

₹ 2,22.45 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,07.00 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्र में ग्रामीण सडकों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 2,22.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना  
के अन्तर्गत ग्रामीण सडकों पर व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	48,60.00			
पूरक	3,25.70	77,29.27	89,76.00	+12,46.73
पुनर्वि०	25,43.57			

₹ 12,46.73 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,43.57 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 12,46.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	5,40.00			
		9,97.00	9,97.00	..
पुनर्वि०	4,57.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,57.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- प्रमुख पुलों पर व्यय-  
**योजना**

मूल	9,55.00			
		12,13.65	11,25.53	(-)88.12
पुनर्वि०	2,58.65			

₹ 88.12 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,58.65 लाख का आवर्धन पुलों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 88.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- बस अड्डों के निर्माण पर व्यय-  
**योजना**

मूल 1,58.00

3,31.41

3,31.41

..

पुनर्वि० 1,73.41

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.41 लाख का आवर्धन बस अड्डों/वर्षा आश्रयों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पर्यटन भवनों पर व्यय-  
**योजना**

मूल 1,03.20

2,21.75

1,21.75

(-)1,00.00

पुनर्वि० 1,18.55

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.55 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,21.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 66.65 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

**(viii) उच्चंत लेन-देन:-**

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 50,23.97 लाख (₹ 50,23.97 लाख राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (xii) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2020-21 में इस अनुदान में उच्चंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (लाखों में )	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<b>राजस्व शीर्ष</b>				
<b>2059- लोक निर्माण-कार्य-</b>				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय				
स्कन्ध-	(-)21,80.80	14,88.81	5,75.95	(-)12,67.94*
08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय				
(स्कन्ध विनिर्माण)	+8,96.24	3,96.06	10,07.66	+2,84.64
09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय				
(विविध लोक निर्माण अग्रिम)-	+47,35.59	19,22.83	3,74.68	+62,83.74
<b>कुल 2059-</b>	<b>+34,51.03</b>	<b>38,07.70</b>	<b>19,58.29</b>	<b>+53,00.44</b>
<b>2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)92.80	3,84.37	6,07.25	(-)3,15.68*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	+1,56.84	5.00	5.76	+1,56.08
06- विविध लोक				
निर्माण अग्रिम-	+26.42	87.01	8.98	+1,04.45
<b>कुल 2215-</b>	<b>90.46</b>	<b>4,76.38</b>	<b>6,21.99</b>	<b>(-)55.15</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)**

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (* लाखों में )	क्रेडिट	31 मार्च 2021 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
<b>2702- लघु सिंचाई-</b>				
80- सामान्य-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना- उच्चंत -				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्टॉक)-	+44.52	6,76.61	8,42.43	(-)1,21.30*
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	+1,26.54	18.97	2.99	+1,42.52
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध कार्य अग्रिम)-	+5,15.36	44.31	0.00	+5,59.67
<b>कुल-2702-</b>	<b>+6,86.42</b>	<b>7,39.89</b>	<b>8,45.42</b>	<b>+5,80.89</b>
<b>कुल राजस्व प्रवर्ग-</b>	<b>+42,27.91</b>	<b>50,23.97</b>	<b>34,25.70</b>	<b>+58,26.18</b>
<b>कुल मांग-</b>	<b>+42,27.91</b>	<b>50,23.97</b>	<b>34,25.70</b>	<b>+58,26.18</b>

टिप्पणी:- \*ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2021)।



## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उप-योजना

(शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम तथा रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456-नागरिक आपूर्ति 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	14,53,71,62		
		14,53,71,93	(-)2,64,69,13
पूरक	31		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			36,63,58

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**पूँजीगत प्रवर्ग****दत्तमत**

मूल	13,90,21,38			
		14,47,02,01	12,97,27,37	(-)1,49,74,64
पूरक	56,80,63			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि

..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,64,69.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 36,63.58 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 11,89,02.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,15,71.35 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।
- (ii) पूँजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,49,74.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में प्राप्त ₹ 56,80.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 12,97,27.37 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 24,46.24 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्राथमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-  
योजना

(i) मूल	8,49.00	8,49.00	7,95.72	(-)53.28
---------	---------	---------	---------	----------

03- माध्यमिक विद्यालय-  
योजना

(ii) मूल	9,50.00	9,50.00	8,79.73	(-)70.27
----------	---------	---------	---------	----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

06-	मध्याह्न आहार- <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	8,11.00	8,11.00	7,60.29	(-)50.71

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,74.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि उपरोक्त क्रम संख्या (iii) पर ₹ 25,91.32 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (iii) में ₹ 7,60.29 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 0.35 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

08-	साक्षर भारत योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

11-	अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान पर व्यय- <b>योजना</b>				
	मूल	16,00.00			
			7,54.57	5,11.98	(-)2,42.59
	पुनर्वि०	(-)8,45.43			

₹ 2,42.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,45.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत कर्मचारियों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,42.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12-	अटल वर्दी योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	8,53.00	8,53.00	6,23.05	(-)2,29.95

₹ 2,29.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 6,23.05 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

13-	अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
	₹ 50.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
15-	विद्यालय प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान- <b>योजना</b>				
(i)	मूल	6,23.00	6,23.00	3,57.72	(-)2,65.28
16-	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान- <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	7,31.00	7,31.00	4,57.05	(-)2,73.95
18-	उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक- <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	30.00	30.00	4.76	(-)25.24
19-	समग्र शिक्षा अभियान- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(iv)	मूल	99,68.00	99,68.00	67,85.45	(-)31,82.55
	<b>योजना</b>				
(v)	मूल	11,06.00	11,06.00	7,53.95	(-)3,52.05
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 40,99.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि उपरोक्त क्रम संख्या (ii) पर ₹ 19.01 लाख तथा क्रम संख्या (iv) पर ₹ 14,15.00 लाख का अनुदान केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुए थे।				
20-	स्वस्थ बचपन- <b>योजना</b>				
	पूरक	0.01			
			75.00	..	(-)75.00
	पुनर्वि०	74.99			
	₹ 75.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.99 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
02-	<b>माध्यमिक शिक्षा-</b>				
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-				
12-	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना- <b>योजना</b>				
	मूल	6,30.00	6,30.00	..	(-)6,30.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 6,30.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 15- अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया था।

- 16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए  
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 6,05.00 6,05.00 4,08.00 (-)1,97.00

₹ 1,97.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि ₹ 40,86.58 लाख का अनुदान इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,08.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,02.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 20- अभिभावक शिक्षक संघ को अनुदान सहायता-  
**योजना**

मूल 2,60.00

1,04.40 1,04.42 +0.02

पुनर्वि० (-)1,55.60

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.60 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

- 21- अटल स्कूल वर्दी योजना-  
**योजना**

मूल 3,78.00

3,49.57 1,61.84 (-)1,87.73

पुनर्वि० (-)28.43

₹ 1,87.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.43 लाख की कमी सामग्री एवं वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 1,87.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

24- समग्र शिक्षा अभियान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 46,92.00 46,92.00 42,55.13 (-)4,36.87

**योजना**

(ii) मूल 5,21.00 5,21.00 4,72.82 (-)48.18

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,85.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 42,55.13 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 62.25 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

25- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीकी प्रयोगशालाओं  
और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रख रखाव-  
**योजना**

मूल 1.00

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

26- खेल से स्वास्थ्य योजना-  
**योजना**

(i) मूल 49.57 49.57 20.31 (-)29.26

27- सी0वी0रमन बर्चुअल क्लास रूम-  
**योजना**

(ii) मूल 25.00 25.00 13.59 (-)11.41

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 40.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 34,28.00 34,28.00 .. (-)34,28.00

₹ 34,28.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 16,21.00 16,21.00 3,20.98 (-)13,00.02

**योजना**

(ii) मूल 1,80.00 1,80.00 35.66 (-)1,44.34

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 14,44.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि ₹ 14.98 लाख का अनुदान इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

06- राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय-  
**योजना**

मूल 2,00.00 1,25.00 47.33 (-)77.67

पुनर्वि० (-)75.00

₹ 77.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की कमी वस्तुओं मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 77.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- व्यवसायिक स्नातक कार्यक्रम-  
**योजना**

मूल 1.00 .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

09- खेल से स्वास्थ्य योजना-  
**योजना**

(i) मूल 1,00.00 1,00.00 .. (-)1,00.00

10- सी०वी० रमन वर्चुअल क्लासरूम-  
**योजना**

(ii) मूल 50.00 50.00 .. (-)50.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2205- कला तथा संस्कृति-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- कला खजाना और दुर्लभ वस्तुएं अधिनियम 1972-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	40.00			
		20.65	20.65	..
पुनर्वि०	(-)19.35			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.35 लाख की कमी पुरातत्व विज्ञान पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 20.65 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 12.50 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

03- सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-  
**योजना**

मूल	1,10.00			
		70.00	58.41	(-)11.59
पुनर्वि०	(-)40.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी शिविरों और संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई।

**2210- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य  
चिकित्सा पद्धति-

## 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-  
**योजना**

मूल	14,31.00	14,31.00	10,47.06	(-)3,83.94
-----	----------	----------	----------	------------

₹ 3,83.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-  
**योजना**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	1,10,80.00	1,10,80.00	92,88.00	(-)17,92.00
---------	------------	------------	----------	-------------

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य  
चिकित्सा पद्धति-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्नयन

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(ii) मूल 1,93.00 1,93.00 0.10 (-)1,92.90

**योजना**

(iii) मूल 21.00 21.00 0.01 (-)20.99

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 20,05.89 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि ₹ 94,58.00 लाख का अनुदान क्रम संख्या (i) पर योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राजकीय मैडिकल कॉलेजों का उन्नयन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(i) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

**योजना**

(ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

03- राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा

में मशीनरी एवं उपकरणों का रख रखाव-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(iii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा

महाविद्यालय अस्पताल नेरचौक-

**योजना**

(i) मूल 2,22.00 2,22.00 1,95.98 (-)26.02

07- डॉ० यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-

**योजना**

(ii) मूल 1,89.00 1,89.00 98.34 (-)90.66

08- डॉ० राधा कृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर-

**योजना**

(iii) मूल 2,52.00 2,52.00 94.64 (-)1,57.36

09- पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(iv)	मूल	2,45.00	2,45.00	1,38.80	(-)1,06.20
11-	अटल चिकित्सा एवं शोध विश्वविद्यालय मण्डी स्थित नेरचौक-				
<b>योजना</b>					
(v)	मूल	2,52.00	2,52.00	88.20	(-)1,63.80
उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 5,44.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 1,95.98 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,14.50, क्रम संख्या (iii) में ₹ 94.64 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 49.60 लाख की राशि तथा क्रम संख्या (iv) में ₹ 1,38.80 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 99.00 लाख को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
06-	लोक स्वास्थ्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
<b>योजना</b>					
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..
02-	ट्रामा सेंटर-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..
<b>योजना</b>					
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान को मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।					
<b>2211-</b>	<b>परिवार कल्याण-</b>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	92.00	92.00	..	(-)92.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 92.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- निदेशन एवं प्रशासन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	3,03.00	3,03.00	2,35.59	(-)67.41
---------	---------	---------	---------	----------

04- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii) मूल	17,30.00	17,30.00	11,50.59	(-)5,79.41
----------	----------	----------	----------	------------

05- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii) मूल	1,74.00	1,74.00	1,18.95	(-)55.05
-----------	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 7,01.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2216- आवास**

## 03- ग्रामीण आवास-

## 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का रख-रखाव-  
**योजना**

मूल	1,83.00		91.35	91.35	..
पुनर्वि०	(-)91.65				

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.65 लाख की कमी आवासों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 91.35 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 55.30 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

06- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	2,73.00	2,73.00	1,88.24	(-)84.76
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 84.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 1,88.24 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,88.24 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 78.98 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

(i)	मूल	1,26.00	1,26.00	..	(-)1,26.00
-----	-----	---------	---------	----	------------

**2217- शहरी विकास-**

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- स्वच्छ भारत मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(ii)	मूल	60.00	60.00	..	(-)60.00
------	-----	-------	-------	----	----------

**योजना**

(iii)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
-------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,93.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार से क्रमांक संख्या (iii) पर ₹ 6,80.50 लाख का अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ था।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	7,92.00	7,92.00	7,38.41	(-)53.59
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 53.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,38.41 लाख की समस्त राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े**

**वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- निदेशन तथा प्रशासन-

**योजना**

मूल	12,00.00			
पूरक	0.01	9,72.35	2,61.74	(-)7,10.61
पुनर्वि0	(-)2,27.66			

₹ 7,10.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,27.66 लाख की कमी विभिन्न मदों, विज्ञापन, प्रचार, बाहरी स्रोत, वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 7,10.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

11- अनुवर्ती कार्यक्रम-  
**योजना**

(i) मूल	1,00.00			
		70.60	63.17	(-)7.43
पुनर्वि०	(-)29.40			

12- कम्प्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम-  
**योजना**

(ii) मूल	1,95.00			
		1,36.14	1,27.15	(-)8.99
पुनर्वि०	(-)58.86			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.26 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	5.00	5.00	3.80	(-)1.20
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	5.00	5.00	3.80	(-)1.20

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-**

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-  
**योजना**

मूल	15,37.00	15,37.00	..	(-)15,37.00
-----	----------	----------	----	-------------

₹ 15,37.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	64,74.00			
पूरक	0.01	71,41.85	53,35.36	(-)18,06.49
पुनर्वि०	6,67.84			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 18,06.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,67.84 लाख का आवर्धन प्री स्कूल किटों एवं कार्यालय सामग्री की खरीद तथा शिविरों के अधिक आयोजन के कारण हुआ जोकि मानदेय के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 64,72.67 लाख का अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 53,35.36 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,42.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 18,06.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	12,98.00			
पूरक	0.02	10,76.70	7,08.20	(-)3,68.50
पुनर्वि०	(-)2,21.32			

₹ 3,68.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,21.32 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 7,08.20 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 38.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 3,68.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- बेटे है अनमोल-

**योजना**

मूल	3,78.00			
		2,47.47	1,91.09	(-)56.38
पुनर्वि०	(-)1,30.53			

₹ 56.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.53 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,91.09 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 56.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

09- विधवा पुनर्विवाह योजना-

**योजना**

मूल	15.00	15.00	10.00	(-)5.00
-----	-------	-------	-------	---------

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

12- महिला आयोग-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे अगस्त 2021)।

20- समेकित बाल संरक्षण योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	4,76.00			
		4,04.78	4,04.78	..
पुनर्वि०	(-)71.22			

**योजना**

(ii) मूल	48.00			
		36.00	36.00	..
पुनर्वि०	(-)12.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सदारी भी अप्रयुक्त रही।

21- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	3,40.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)3,40.00			

मार्च 2021 में ₹ 3,40.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**2236- पोषण-**

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम-  
**योजना**

(i) मूल	1,99.00	1,99.00	1,47.98	(-)51.02
---------	---------	---------	---------	----------

**2401- फसल कृषि कर्म-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- किसानों को प्रशिक्षण तथा विस्तार-  
**योजना**

(ii) मूल	18.00	18.00	13.84	(-)4.16
----------	-------	-------	-------	---------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

14-	मधुमक्खी पालन- केन्द्रगत योजना योजना				
(iii)	मूल	2.00	2.00	0.99	(-)1.01
(iv)	मूल	14.00	14.00	10.86	(-)3.14
15-	पुष्प विकास- केन्द्रगत योजना योजना				
(v)	मूल	6.00	6.00	4.29	(-)1.71
(vi)	मूल	16.00	16.00	10.76	(-)5.24
17-	खुम्ब खेती परियोजना- केन्द्रगत योजना योजना				
(vii)	मूल	8.00	8.00	5.90	(-)2.10
25-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(कृषि)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(viii)	मूल	1,93.00	1,93.00	1,43.41	(-)49.59
(ix)	मूल	21.00	21.00	15.95	(-)5.05
26-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(उद्यान)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(x)	मूल	91.00	91.00	38.44	(-)52.56
(xi)	मूल	10.00	10.00	4.20	(-)5.80
33-	विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(xii)	मूल	3,49.00	3,49.00	3,20.18	(-)28.82
36-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(xiii)	मूल	3,40.00	3,40.00	2,76.63	(-)63.37



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

उपरोक्त तेरह मामलों में ₹ 2,73.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (viii) में ₹ 1,43.41 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 96.00 की राशि, क्रम संख्या (ix) में ₹ 15.95 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.67 लाख की राशि तथा क्रम संख्या (xiii) में ₹ 2,76.63 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 39.85 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
38-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- <b>योजना</b>			
	मूल	1,54.00		
			1,96.49	1,18.04
	पुनर्वि0	42.49		(-)78.45
	₹ 78.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.49 लाख का आवर्धन अनुदान प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
	₹ 78.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
44-	फसल विविधीकरण परियोजना (जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं चरण-II- <b>योजना</b>			
	मूल	1.00	1.00	..
				(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
45-	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान- <b>योजना</b>			
	मूल	3,20.00		
			..	..
	पुनर्वि0	(-)3,20.00		..
	मार्च 2021 में ₹ 3,20.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			
47-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना- <b>योजना</b>			
	मूल	10.00	10.00	2.00
				(-)8.00
	₹ 8.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
51-	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	(i) मूल	95.00	95.00	72.56
				(-)22.44

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	10.00	10.00	7.96	(-)2.04
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 24.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
54-	<b>राष्ट्रीय बम्बू मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>2402- भू तथा जल संरक्षण-</b>					
789-	<b>अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-</b>				
02-	<b>संरक्षण वनरोपण मृदा संरक्षण एवं प्रदर्शन वन विभाग- योजना</b>				
(i)	मूल	2,60.00			
			2,60.01	2,12.27	(-)47.74
	पूरक	0.01			
03-	<b>फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबन्ध- केन्द्रगत योजना योजना</b>				
(ii)	मूल	1,50.00	1,50.00	1,21.54	(-)28.46
05-	<b>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(iii)	मूल	2,27.00	2,27.00	1,72.05	(-)54.95
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,31.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (iii) में ₹ 1,72.05 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,31.35 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
<b>2403- पशु पालन-</b>					
789-	<b>अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-</b>				
09-	<b>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
	मूल	1,70.00	1,70.00	19.60	(-)1,50.40

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 1,50.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 19.60 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

## (i) योजना

मूल	19.00	19.00	2.18	(-)16.82
-----	-------	-------	------	----------

11- पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii) मूल	19.00	19.00	12.00	(-)7.00
----------	-------	-------	-------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 23.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

14- व्यावसायिक निपुणता विकास योजना के अन्तर्गत  
पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	5.50	5.50	..	(-)5.50
---------	------	------	----	---------

**योजना**

(ii) मूल	5.50	5.50	..	(-)5.50
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

16- पेस डेस पेटिट्स जुगाली  
नियन्त्रण कार्यक्रम-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	5.14	5.14	..	(-)5.14
---------	------	------	----	---------

17- ब्रुसेलोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii) मूल	2.33	2.33	..	(-)2.33
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7.47 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2405- मत्स्य पालन-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	22.00	22.00	..	(-)22.00
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00
08-	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत मुछुआरों का बीमा योजना- <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	2.64	2.64	..	(-)2.64
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 27.64 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>2406-</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन-</b>				
	01- वानिकी-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07-	एकीकृत वन संरक्षण योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1,03.00	1,03.00	71.28	(-)31.72
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	11.00	11.00	7.92	(-)3.08
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 34.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
08-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु प्रूफिंग परियोजना(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)- <b>योजना</b>				
	मूल	12,34.00			
			7,68.20	5,87.76	(-)1,80.44
	पुनर्वि0	(-)4,65.80			
	₹ 1,80.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,65.80 लाख की कमी ग्रामीण वन प्रबंधन समीति से माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,80.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
09-	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
	मूल	1,14.00			
			5.00	4.50	(-)0.50
	पुनर्वि0	(-)1,09.00			
	मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 4,85.78 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	12.00			
		0.50	0.50	..
पुनर्वि०	(-)11.50			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.50 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुई।				
11-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन- <b>योजना</b>			
मूल	2.10			
		4.43	1.11	(-)3.32
पुनर्वि०	2.33			
₹ 3.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.33 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ । ₹ 3.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
12-	वनक्षेत्र का सुधार- <b>योजना</b>			
(i)	मूल	4,00.00		
		4,00.01	3,79.88	(-)20.13
	पूरक	0.01		
14-	पुराने वृक्षारोपण और नर्सरी का रख रखाव- <b>योजना</b>			
(ii)	मूल	1,54.90	1,54.90	1,30.84
				(-)24.06
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 44.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
16-	हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना- <b>योजना</b>			
	मूल	10,08.00		
		7,00.00	7,00.00	..
	पुनर्वि०	(-)3,08.00		
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,08.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई।				
17-	स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना- <b>योजना</b>			
	मूल	12,60.00		
		12,86.39	12,56.29	(-)30.10
	पुनर्वि०	26.39		

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 30.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.39 लाख का आवर्धन एकीकृत विकास परियोजना पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री व मदों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशत प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 30.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

18- नर्सरियों का विकास-  
**योजना**

(i) मूल	3,75.00			
		3,75.01	3,31.04	(-)43.97
पूरक	0.01			

20- वन चकबंदी तथा सीमांकन-  
**योजना**

(ii) मूल	50.00			
		50.01	18.43	(-)31.58
पूरक	0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 75.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

21- प्रबन्धादि योजना संगठन-  
**योजना**

मूल	25.00			
		25.01	..	(-)25.01
पूरक	0.01			

₹ 25.01 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

22- प्रायोगिक सिल्विकल्चर कटाई-  
**योजना**

मूल	2,52.00			
पूरक	0.01	1,93.01	1,51.15	(-)41.86
पुनर्वि०	(-)59.00			

₹ 41.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.00 लाख की कमी वानिकी कार्यों में लगे दैनिक वेतन भोगियों के बिलों के भुगतान न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 41.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

23- सहायक सिल्विकल्चर संचालन-  
**योजना**

(i) मूल	76.00			
		76.01	26.27	(-)49.74
पूरक	0.01			

24- एक बूटा बेटी के नाम-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	1,51.00			
			1,51.01	93.70	(-)57.31
	पूरक	0.01			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,07.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
25-	चिड़ की पत्तियों का जंगल से संग्रह तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान- <b>योजना</b>				
	मूल	63.00			
			10.00	..	(-)10.00
	पूरक	(-)53.00			
मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.00 लाख की कमी लाभार्थियों से दावों की कम प्राप्ति तथा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।					
02-	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास- <b>योजना</b>				
(i)	मूल	1,25.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1,25.00			
02-	हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण और प्रजनन समितियों को सहायता अनुदान- <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	2,35.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2,35.00			
<b>2408-</b>	<b>खाद्य भंडारण और भांडागार-</b>				
01-	खाद्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	9,28.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)9,28.00			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में ₹ 12,88.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने और दैनिक वेतन भागियों की नियुक्ति न करने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**2425- सहकारिता-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-**

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल	6,80.00	6,80.00	6,34.53	(-)45.47
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 45.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,53.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

04- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल 1,52.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1,52.00

**योजना**

(ii) मूल 24.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)24.00

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(iii) मूल 5,67.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)5,67.00

**योजना**

(iv) मूल 63.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)63.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2021 में ₹ 8,06.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण

कौशल योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(i) मूल 17,42.00

13,76.75

7,69.43

(-)6,07.32

पुनर्वि० (-)3,65.25

**योजना**

(ii) मूल 1,93.00

90.97

23.49

(-)67.48

पुनर्वि० (-)1,02.03

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,74.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,67.28 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,74.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(i) मूल 6,12.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)6,12.00

**योजना**

(ii) मूल 1,01.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,01.00

09- राष्ट्रीय बाँस मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

**योजना**

(iv) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

**2505- ग्राम रोजगार-**

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

(v) मूल 68,01.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)68,01.00

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2021 में ₹ 75,16.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा उसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया। जबकि क्रम संख्या (i) में भारत सरकार से ₹ 2,02.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**योजना**

(i) मूल 22,67.00 22,67.00 19,76.03 (-)2,90.97

**2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- कार्यालय भवनों/ग्राम सेवक हट का रख रखाव-

**योजना**

(ii) मूल 2,52.00 2,52.00 2,04.42 (-)47.58

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,38.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (ii) में ₹ 2,04.42 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 40.97 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

08- राज्य पुरस्कार योजना-

**योजना**

(i) मूल 77.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)77.00

09- महिला प्रोत्साहन योजना-

**योजना**

(ii) मूल 50.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)50.00

10- पंचायती राज विभाग का उन्नयन-

**योजना**

(iii) मूल 3,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)3,00.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में ₹ 4,27.00 लाख का समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

13- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	57,43.00			
पूरक	0.01	6,80.50	6,80.50	..
पुनर्वि०	(-)50,62.51			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50,62.51 लाख की सारभूत कमी योजना में हिस्सेदारी पद्धति में परिवर्तन तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**योजना**

मूल	9,46.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)9,46.00			

मार्च 2021 में ₹ 9,46.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना की हिस्सेदारी पद्धति में परिवर्तन होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

16- राष्ट्रीय बाँस मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
<b>योजना</b>				
(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

**2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- रेशम उद्योग का विकास-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(iii) मूल	23.00	23.00	..	(-)23.00
-----------	-------	-------	----	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

19- ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-  
**केन्द्रगत योजना**  
**योजना**

(i) मूल	40.00			
		20.00	19.32	(-)0.68
पुनर्वि०	(-)20.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	40.00			
			20.00	18.26	(-)1.74
	पुनर्वि०	(-)20.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्रों पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
20-	<b>लघु उद्योग इकाइयों को उपदान-योजना</b>				
	मूल	2.00			
			1.00	0.86	(-)0.14
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
25-	<b>राष्ट्रीय हथकरघा विकास-योजना</b>				
	मूल	20.00			
			5.84	..	(-)5.84
	पुनर्वि०	(-)14.16			
₹ 5.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.16 लाख की कमी मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 5.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
30-	<b>खाद्य विधायन उद्योग हेतु राज्य मिशन-योजना</b>				
	मूल	1,26.00	1,26.00	..	(-)1,26.00
₹ 1,26.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
33-	<b>राष्ट्रीय बाँस मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2021 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।					
<b>योजना</b>					
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-**

60- अन्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- मानव संसाधनों का सुदृढीकरण-  
**योजना**

मूल 40.00

18.00

18.00

..

पुनर्वि० (-)22.00

मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई।

02- जल प्रबंधन-

**योजना**

(i) मूल 7.50

5.00

5.00

..

पुनर्वि० (-)2.50

05- अनुसंधान और विकास परियोजना तथा

हिमाचल विज्ञान कांग्रेस को समर्थन-

**योजना**

(ii) मूल 20.00

15.00

15.00

..

पुनर्वि० (-)5.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.50 लाख की कमी सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**3456- नागरिक आपूर्ति-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उपभोक्ता जागरूकता-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल 7.00

7.00

..

(-)7.00

₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

व्यय

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)

बचत (-)

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

06- मध्याह्न भोजन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	24,26.00			
		27,57.98	27,09.18	(-)48.80
पुनर्वि०	3,31.98			

₹ 48.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,31.98 लाख का आवर्धन सामग्री तथा कार्यालय मदों की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 48.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- माध्यमिक शिक्षा-  
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-  
02- उच्चतर पाठशालाएं-  
**योजना**

मूल	10,08.00			
		10,83.00	13,67.52	+2,84.52
पुनर्वि०	75.00			

₹ 2,84.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख का आवर्धन अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 13,67.52 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,00.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 2,84.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-  
01- आयुर्वेदिक औषधालय-  
**योजना**

मूल	12,00.00			
		12,07.55	12,49.33	+41.78
पुनर्वि०	7.55			

₹ 41.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2217- शहरी विकास-**

04- गन्दी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

- 10- दीन दयाल अन्वयोदय योजना-  
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	57.00			
		2,29.80	2,29.80	..
पुनर्वि०	1,72.80			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 2,29.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

- 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-  
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-  
05- आवास-  
**योजना**

मूल	14,62.00			
		43,30.00	43,28.25	(-)1.75
पुनर्वि०	28,68.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28,68.00 लाख का आवर्धन आवास उपदान के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 43,28.25 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10,33.50 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 08- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	9,51.98			
		25,41.20	25,41.20	..
पुनर्वि०	15,89.22			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,89.22 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 13- अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा-  
**योजना**

मूल	1,50.00			
		1,94.05	1,74.89	(-)19.16
पुनर्वि०	44.05			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.05 लाख का आवर्धन अत्याचार पीड़ितों से अधिक मामलों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

**2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-**

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल  
उपयोगिता संवर्धन सशक्तिकरण परियोजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

पूरक 0.01

2,62.63

2,62.63

..

पुनर्वि० 2,62.62

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,62.62 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

01- पुनर्वास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विकलांग पुनर्वास-

**योजना**

मूल 9,50.00

18,96.00

18,93.36

(-)2.64

पुनर्वि० 9,46.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,46.00 लाख का आवर्धन नई पेंशन के लिए अधिक लाभार्थियों को जुड़ने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 18,93.36 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7,23.71 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

21- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

**योजना**

मूल 38.00

1,09.91

1,09.91

..

पुनर्वि० 71.91

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 71.91 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

23- विकलांगों का उत्थान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	0.01			
		26.32	26.31	(-)0.01
पुनर्वि०	26.31			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.31 लाख का आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02- सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा पेंशन-				
<b>योजना</b>				
मूल	20,00.00			
		41,85.00	41,82.75	(-)2.25
पुनर्वि०	21,85.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,85.00 लाख का आवर्धन नई पेंशन के लिए अधिक लाभार्थियों के जुड़ने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 41,82.75 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 13,88.20 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
03- वृद्धावस्था पेंशन-				
<b>योजना</b>				
मूल	40,00.00			
		81,39.00	81,32.08	(-)6.92
पुनर्वि०	41,39.00			
मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41,39.00 लाख का आवर्धन नई पेंशन के लिए अधिक लाभार्थियों के जुड़ने तथा पेंशन के भुगतान में सेवा प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 81,32.08 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 23,45.37 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
<b>2401- फसल कृषि-कर्म-</b>				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
38- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजना</b>				
(i) मूल	4,53.00			
		5,00.00	5,00.00	..
पुनर्वि०	47.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

43-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>			
(ii)	मूल	2,27.00		
			2,84.70	2,84.70
	पुनर्वि०	57.70		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.70 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि क्रम संख्या (i) पर योजना के अंतर्गत भारत सरकार से ₹ 5,00.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।			
	<b>योजना</b>			
	मूल	1,64.00		
			2,29.39	1,87.66
	पुनर्वि०	65.39		(-)41.73
	₹ 41.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.39 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
	₹ 41.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
48-	बीज और उपजाऊसामग्री पर उपलाभ- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>			
(i)	मूल	76.00		
			1,03.32	1,03.32
	पुनर्वि०	27.32		..
49-	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>			
(ii)	मूल	3,73.00		
			7,00.00	7,00.00
	पुनर्वि०	3,27.00		..
	<b>योजना</b>			
(iii)	मूल	42.00		
			77.78	77.78
	पुनर्वि०	35.78		..
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,90.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (iii) में ₹ 77.78 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 35.78 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

50- परम्परागत कृषि विकास योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	95.00			
		3,38.91	2,64.45	(-)74.46
पुनर्वि०	2,43.91			

₹ 74.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,43.91 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 74.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**योजना**

मूल	11.00			
		29.38	29.11	(-)0.27
पुनर्वि०	18.38			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.38 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 29.11 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 18.38 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

52- राष्ट्रीय बाँस मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

मूल	1.00			
		25.20	25.20	..
पुनर्वि०	24.20			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.20 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 25.20 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**योजना**

मूल	1.00			
		2.80	2.80	..
पुनर्वि०	1.80			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.80 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुआ।

55- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना-</b>					
<b>योजना</b>					
(i)	पूरक	0.01			
			5,00.00	5,00.00	..
	पुनर्वि०	4,99.99			
<b>योजना</b>					
(ii)	पूरक	0.01			
			55.56	55.56	..
	पुनर्वि०	55.55			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,55.54 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा राज्य की हिस्सेदारी भी उसी अनुपात में जारी करने के कारण हुआ।

**2403- पशुपालन-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

15- पशुधन गणना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

	पूरक	0.01			
			25.00	25.00	..
	पुनर्वि०	24.99			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 25.00 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

20- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजना**

	मूल	2.01			
			76.85	76.85	..
	पुनर्वि०	74.84			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.84 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से योजना के अंतर्गत ₹ 17,89.62 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 76.85 लाख की समस्त राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजना**

मूल	0.01			
पूरक	0.02	1,14.21	20.15	(-)94.06
पुनर्वि०	1,14.18			

₹ 94.06 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.18 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 20.15 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 14.25 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 94.06 लाख की सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**2405- मछली पालन-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

(i)	पूरक	0.02			
			1,87.91	1,87.91	..
	पुनर्वि०	1,87.89			
(ii)	पूरक	0.03			
			25.48	25.33	(-)0.15
	पुनर्वि०	25.45			

**2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-**

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

26- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

(iii)	पूरक	0.01			
			4,10.00	4,10.00	..
	पुनर्वि०	4,09.99			
(iv)	पूरक	0.01			
			45.55	45.55	..
	पुनर्वि०	45.54			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,68.87 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और अनुपातिक राज्य हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

**2408- खाद्य भंडारण और भांडागार-**

01- खाद्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-  
**योजना**

मूल 3,65.00

3,98.56

3,98.56

..

पुनर्वि० 33.56

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.56 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,98.56 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2,07.77 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-**

04- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- आपातकाल के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रमया प्रणाली-  
**केन्द्रगत योजना**

**योजना**

पूरक 0.01

2,50.00

2,50.00

..

पुनर्वि० 2,49.99

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,49.99 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

12- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 4,86.00

पूरक 0.01

9,16.07

9,16.07

..

पुनर्वि० 4,30.06

**योजना**

(ii) मूल 54.00

पूरक 0.01

1,07.39

1,01.80

(-)5.59

पुनर्वि० 53.38

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,83.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा उसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जबकि क्रमांक संख्या (i) पर भारत सरकार से ₹ 5,16.07 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

15- हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एकीकृत योजना-  
**योजना**

मूल 1.00

20.03

20.03

..

पुनर्वि० 19.03

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.03 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

**3054- सड़कें तथा पुल-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-सड़क कार्य-  
**योजना**

मूल 15,11.00

15,11.00

15,48.32

+37.32

₹ 37.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 15,48.32 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 40.38 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

**4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर व्यय-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 1,81.00

1,81.00

14.40

(-)1,66.60

**योजना**

(ii) मूल 20.00

20.00

1.50

(-)18.50

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,85.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

04- पुलिस आवास-  
योजना

मूल	12,09.00				
		12,44.00	6,74.46	(-)5,69.54	
पुनर्वि०	35.00				

₹ 5,69.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 6,74.46 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 60.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 5,69.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पूल किए गए गैर-आवासीय भवन-  
योजना

मूल	25,94.00				
		13,11.39	10,86.78	(-)2,24.61	
पुनर्वि०	(-)12,82.61				

₹ 2,24.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,82.61 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,24.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

02- न्यायपालिका आधारिक संरचना का उन्नयन-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i) मूल 1.00

		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

**योजना**

(ii) मूल 2,50.00

		..	..	..
पुनर्वि०	(-)2,50.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,51.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

60- अन्य भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल भवन द्वारका (दिल्ली) का निर्माण-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	25.00	25.00	2.49	(-)22.51
<b>4202-</b>	<b>शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
	<i>02- तकनीकी शिक्षा-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण- <b>योजना</b>				
(ii)	मूल	8,50.00	8,50.00	6,33.00	(-)2,17.00
06-	राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय- <b>योजना</b>				
(iii)	मूल	13,60.00	13,60.00	13,06.72	(-)53.28
<b>4210-</b>	<b>चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
	<i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य- <b>योजना</b>				
(iv)	मूल	19,14.00	19,14.00	17,86.22	(-)1,27.78
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4,20.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	<i>03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	मेडिकल कॉलेज चंबा- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
	<b>योजना</b>				
	मूल	6,32.00	6,32.00	33.41	(-)5,98.59
	₹ 5,98.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
04-	मेडिकल कॉलेज नाहन- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
मूल	8,83.00	8,83.00	83.00	(-)8,00.00
₹ 8,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
05-	<b>मेडिकल कॉलेज हमीरपुर- केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
<b>योजना</b>				
मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>योजना</b>				
मूल	2,09.00	2,09.00	1,82.76	(-)26.24
₹ 26.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
07-	<b>हिमाचल प्रदेश सरकार दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला-</b>			
<b>योजना</b>				
मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।				
<b>4215-</b>	<b>जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
01-	<b>जलापूर्ति-</b>			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजना-			
<b>योजना</b>				
मूल	11,34.00	11,34.00	9,96.93	(-)1,37.07
₹ 1,37.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 9,96.93 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 4.10 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
02-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-			
<b>योजना</b>				
मूल	57,25.00			
		59,98.08	55,86.95	(-)4,11.13
पुनर्वि0	2,73.08			
₹ 4,11.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,73.08 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 55,86.95 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20.54 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 4,11.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 09- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना  
बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय विकास बैंक)-  
**योजना**

मूल 12,50.00

पुनर्वि० (-)12,50.00

मार्च 2021 में ₹ 12,50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

- 02- मल निकासी तथा सफाई-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

- 02- विभिन्न जिलों में जलस्तर तथा मल व्यवस्था योजनाएं-  
**योजना**

मूल 38,43.00

39,33.00

13,89.88

(-)25,43.12

पुनर्वि० 90.00

₹ 25,43.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 25,43.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

- 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- सरकारी आवासीय भवन-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

- 01- सरकारी आवासीय भवन-

**योजना**

मूल 2,00.00

1,84.92

47.98

(-)1,36.94

पुनर्वि० (-)15.08

₹ 1,36.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 47.98 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 2.72 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

- 02- सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी  
रिहायशी पूल आवासों का निर्माण-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
मूल	3,02.00	3,02.00	..		(-)3,02.00
₹ 3,02.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>4217-</b>	<b>शहरी आवास पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
01-	राज्य पूंजी विकास-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में इक्विटी/निवेश-				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	15,11.00	15,11.00	7,00.00	(-)8,11.00
<b>4225-</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	अनुसूचित जाति निगम में पूंजी निवेश-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना-</b>				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,00.00	(-)1,00.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9,11.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
02-	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण-				
	<b>योजना</b>				
(i)	मूल	83.98	83.98	..	(-)83.98
<b>4235-</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
02-	सामाजिक कल्याण-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-				
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
	<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
	<b>योजना</b>				
(iii)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,05.98 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>4401-</b>	<b>फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कृषि विभाग के भवन-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	2,72.00	2,72.00	2,49.00	(-)23.00
<b>4402-</b>	<b>मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	पोलीहाउस तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना-				
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	5,04.00	5,04.00	1,24.75	(-)3,79.25
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,02.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 2,49.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 20.00 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
03-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
<b>योजना</b>					
(i)	मूल	1,29.00	1,29.00	..	(-)1,29.00
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	14.00	14.00	..	(-)14.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,43.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे।					
04-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-				
<b>योजना</b>					
	मूल	7,56.00	7,56.00	5,84.76	(-)1,71.24
₹ 1,71.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 5,84.76 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 15.42 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
<b>4408-</b>	<b>खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
02-	भंडारण और भांडागार-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	गोदाम का निर्माण-				
<b>योजना</b>					
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- कोसिल झरेड़ा मंडप परियोजना पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-  
योजना**

(i) मूल 1.06

पुनर्वि० (-)1.06

20- फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- फिना सिंह परियोजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-  
योजना**

(ii) मूल 2,64.00

पुनर्वि० (-)2,64.00

उपरोक्त दो मामलों मार्च 2021 में ₹ 2,65.06 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया था।

**योजना**

मूल 6,29.09

6,00.00

6,00.23

+0.23

पुनर्वि० (-)29.09

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.09 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना/वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजना**

(i) मूल 75.76

पुनर्वि० (-)75.76

**योजना**

(ii) मूल 8.36

पुनर्वि० (-)8.36

25- मध्यम सिंचाई परियोजना (सुक्काहर)(गैर-वाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

01-	कांगड़ा जिले में सुक्का हर परियोजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(iii)	मूल	10.56	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)10.56			
	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	1.16	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.16			
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना</b>				
(v)	मूल	10.56	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)10.56			
	<b>योजना</b>				
(vi)	मूल	1.16	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.16			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2021 में ₹ 1,07.56 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-  
01- विभिन्न जिलों में ट्यूबवेल योजनाएं-  
**योजना**

मूल	1,28.67	1,21.79	98.98	(-)22.81
पुनर्वि०	(-)6.88			

₹ 22.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 98.98 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 4.52 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

03- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना-  
**योजना**

मूल	3,82.71			
		4.14.53	3,51.99	(-)62.54
पुनर्वि०	31.82			

₹ 62.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.82 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,51.99 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 7.48 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 62.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

04- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना  
(राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)-  
**योजना**

मूल	18,37.00			
		13,37.00	6,68.54	(-)6,68.46
पुनर्वि०	(-)5,00.00			

₹ 6,68.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 6,68.54 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 5.05 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 6,68.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

05- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत  
विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजना-  
**योजना**

(i) मूल	2,61.24	2,61.24	2,12.86	(-)48.38
---------	---------	---------	---------	----------

06- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत  
विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-  
**योजना**

(ii) मूल	3,46.28	3,46.28	2,18.18	(-)1,28.10
----------	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,76.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत  
विभिन्न जिलों में जल प्रवास योजना-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>					
(i)	मूल	70.50	70.50	..	(-)70.50
<b>योजना</b>					
(ii)	मूल	15.72	15.72	..	(-)15.72
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 86.22 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
08-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नलकूप योजना-				
<b>योजना</b>					
	मूल	6,76.76	6,76.76	6,40.16	(-)36.60
₹ 36.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
10-	वर्षा जल संचयन संरचनाएं-				
<b>योजना</b>					
	मूल	5,00.00			
			4,00.00	2,06.31	(-)1,93.69
	पुनर्वि०	(-)1,00.00			
₹ 1,93.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,06.31 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 21.02 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।					
₹ 1,93.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
11-	जल संरक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजना-				
<b>योजना</b>					
	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।					
<b>4705-</b>	<b>कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कमांड क्षेत्र विकास-				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>					
	मूल	12,34.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)12,34.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में ₹ 12,34.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**योजना**

मूल	10,60.00			
		9,34.00	7,44.33	(-)1,89.67
पुनर्वि०	(-)1,26.00			

₹ 1,89.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा उसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,89.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- स्टॉक-

**योजना**

मूल	2,00.00	2,00.00	1,18.46	(-)81.54
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 81.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड

से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-

(बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल 1,54.49 1,54.49 .. (-)1,54.49

**योजना**

(ii) मूल 16.88 16.88 .. (-)16.88

09- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब सीमा

तक स्वां नदी का तटीयकरण (चरण-III)-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(iii) मूल 71.53 71.53 .. (-)71.53

**योजना**

(iv) मूल 7.95 7.95 .. (-)7.95

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 2,50.85 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

10- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से

गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी सहायक

नदियों का तटीयकरण (चरण IV)-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	<b>योजना</b>			
(i)	मूल	5,72.25		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)5,72.25		..
11-	जिला उजा में लिकरी खड्ड का तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	<b>योजना</b>			
(ii)	मूल	1.43		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.43		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में ₹ 5,73.68 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			
12-	तहसील इन्दौरा में छौंछखड का बाढ नियन्त्रण कार्य (बाढ प्रबंधन कार्यक्रम)- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	<b>योजना</b>			
(i)	मूल	71.53	71.53	.. (-)71.53
(ii)	मूल	7.95	7.95	.. (-)7.95
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 79.48 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।			
13-	जिला कुल्लू में पलवान से औट तक तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	<b>योजना</b>			
(i)	मूल	1.43		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.43		..
14-	नदौन, हमीरपुर, ज्वालामुखी और रक्कर जिला हमीरपुर में व्यास नदी और इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	<b>योजना</b>			
(ii)	मूल	1.43		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.43		..
15-	पब्वर नदी जिला शिमला का तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>			
	<b>योजना</b>			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

(iii)	मूल	1,43.05			
	पुनर्वि०	(-)1,43.05			
	<b>योजना</b>				
(iv)	मूल	15.89			
	पुनर्वि०	(-)15.89			
16-	जब्बर और गरली खड्ड, जिला कांगड़ा का तटीयकरण- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(v)	मूल	1.43			
	पुनर्वि०	(-)1.43			
17-	जिला मंडी में ब्यास नदी जलग्रहण हेतु के तहत सुकेती खड्ड तथा इसकी सहायक खड्डों बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम- <b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b> <b>योजना</b>				
(vi)	मूल	1.43			
	पुनर्वि०	(-)1.43			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2021 में ₹ 1,64.66 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा उसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>5054-</b>	<b>सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण- <b>योजना</b>				
	मूल	1,73,06.60	1,73,01.28	1,62,42.92	(-)10,58.36
	पुनर्वि०	(-)5.32			
	₹ 10,58.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,62,42.92 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,77.96 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।				
02-	उच्च मार्गों के साथ पंचायतों को लिंक रोड़ द्वारा जोड़ना-				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजना</b>				
(i)	मूल	10,05.40		
			11,36.31	9,92.73
				(-)1,43.58
	पुनर्वि०	1,30.91		
04-	पुलों का निर्माण-			
<b>योजना</b>				
(ii)	मूल	61,50.00		
			61,69.96	40,47.66
				(-)21,22.30
	पुनर्वि०	19.96		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 22,65.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.87 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से क्रम संख्या (i) में ₹ 9,92.73 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3.14 तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 40,47.66 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3,30.30 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 22,65.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)

09-	मुख्य जिला सड़कें-			
<b>योजना</b>				
	मूल	1,50.00	1,50.00	1,28.15
				(-)21.85

₹ 21.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 1,28.15 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 3.26 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

10-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत सड़को का निर्माण-			
<b>योजना</b>				
	मूल	1,18,32.00		
			1,08,01.03	80,35.56
				(-)27,65.47
	पुनर्वि०	(-)10,30.97		

₹ 27,65.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,30.97 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 80,35.56 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,35.60 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 27,65.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

11- ग्रामीण सड़क विश्व बैंक-  
**योजना**

मूल 28,00.00

15,00.00

15,00.00

..

पुनर्वि० (-)13,00.00

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,00.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

12- केन्द्रीय सड़क कोष के तहत सड़कों का निर्माण-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल 27,71.00

47,97.00

40,33.92

(-)7,63.08

पूरक 20,26.00

₹ 7,63.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 40,33.92 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,56.24 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

13- सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत  
परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-  
**योजना**

मूल 1,01.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,01.00

मार्च 2021 में ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

14- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य का विस्तार-  
**योजना**

मूल 2,52.00

2,52.00

..

(-)2,52.00

₹ 2,52.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-

**योजना**

मूल 25.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)25.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में ₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को लेखा समायोजन करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया क्योंकि मूल अनुदान में उप मुख्यशीर्ष नहीं खोला गया था।

60- अन्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-

**योजना**

पूरक 0.01

25.00

..

(-)25.00

पुनर्वि० 24.99

₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.99 लाख का आवर्धन लेखा समायोजन करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-

**योजना**

मूल 19,65.00

19,65.00

..

(-)19,65.00

₹ 19,65.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

03- हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं विकास निगम को ऋण-

**योजना**

मूल 59,00.00

59,00.00

50,46.53

(-)8,53.47

₹ 8,53.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में )

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-

**केन्द्रगत योजना**

**योजना**

पूरक 0.01

2,68.96

2,68.96

..

पुनर्वि० 2,68.95

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,68.95 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**योजना**

मूल	13,35.00			
		15,80.00	15,80.00	..
पुनर्वि०	2,45.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

03- भवन (माध्यमिक स्कूल)-

**योजना**

मूल	3,50.00			
		4,65.08	4,65.08	..
पुनर्वि०	1,15.08			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.08 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,65.08 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 26.15 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

05- कॉलेज भवनों का निर्माण-

**योजना**

मूल	16,38.00			
		18,68.00	18,58.00	(-)10.00
पुनर्वि०	2,30.00			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- ग्रामीण संरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-

**योजना**

मूल	42,32.00			
		49,53.73	43,80.32	(-)5,73.41
पुनर्वि०	7,21.73			

₹ 5,73.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,21.73 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 43,80.32 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 10.57 लाख की



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 5,73.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- जल जीवन मिशन-  
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(i)	मूल	1,21,08.00			
			1,22,75.87	1,22,75.87	..
	पुनर्वि०	1,67.87			

**4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- बाबू जग जीवन राम कन्या छात्रावास-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

(ii)	पूरक	0.01			
			57.95	57.95	..
	पुनर्वि०	57.94			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,25.81 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- भवन-

**योजना**

	मूल	1,50.00			
			2,97.28	2,47.28	(-)50.00
	पुनर्वि०	1,47.28			

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,47.28 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- भवनों का निर्माण-

**योजना**

	पूरक	0.01			
			3,00.00	3,00.00	..
	पुनर्वि०	2,99.99			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,99.99 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 3,00.00 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 1,64.07 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं-  
**योजना**

मूल	2,29.62			
		3,05.50	2,68.67	(-)36.83
पुनर्वि०	75.88			

₹ 36.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.88 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 2,68.67 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 6.01 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 36.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

06- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न

जिलों में उठाऊसिंचाई योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**  
**योजना**

मूल	30,11.50	30,11.50	33,16.88	+3,05.38
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 3,05.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियंत्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- बाढ़प्रबंधन कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण (चरण-IV)-

**योजना**

मूल	63.58			
		9,13.64	9,13.63	(-)0.01
पुनर्वि०	8,50.06			

मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,50.06 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (समाप्त)**

**5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

**केन्द्रगत योजना****योजना**

मूल 2,00.00

7,00.00

4,95.78

(-)2,04.22

पुनर्वि० 5,00.00

₹ 2,04.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि राज्य सरकार/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागारों से ₹ 4,95.78 लाख की राशि आहरित की गई जिसमें से ₹ 9.51 लाख की राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और सरकारी खातों से बाहर रखा गया जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों का उल्लंघन है।

₹ 2,04.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

08- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

(i) मूल 1,36,03.00

पूरक 36,54.59

2,05,66.00

2,55,79.00

+50,13.00

पुनर्वि० 33,08.41

**योजना**

(ii) मूल 15,11.00

22,87.00

28,44.00

+5,57.00

पुनर्वि० 7,76.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 55,70.00 लाख के सारभूत आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2021 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40,84.41 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा उसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 55,70.00 लाख के सारभूत आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

## विनियोग लेखे

## परिशिष्ट

(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2020-21 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण:-

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	वृद्धि (+)	ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
(₹ हजारों में)						
5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन-	4,56,90,47	..	4,50,02,47*	..	(-)6,88,00	..
10- लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन-	14,61,58,13	..	8,97,57,81	..	(-)5,64,00,32	..
11- कृषि-	..	45,02,95	..	42,83,37	..	(-)2,19,58
12- उद्यान-	..	12,93,10	..	14,09,77	..	+1,16,67
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	10,34,15,29	..	12,05,69,16	..	+1,71,53,87	..
16- वन और वन्य जीवन-	1,50,99,00	..	1,19,48,57	..	(-)31,50,43	..
31-जनजातीय विकास-	1,81,99,65	..	1,03,51,75	..	(-)78,47,90	..
<b>सकल जोड़-</b>	<b>32,85,62,54</b>	<b>57,96,05</b>	<b>27,76,29,76</b>	<b>56,93,14</b>	<b>(-)5,09,32,78</b>	<b>(-)1,02,91</b>

\*वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दर्शाये गये ब्यौरे से राज्य आपदा प्रबंधन निधि में से प्रयुक्त राशि को घटाएं।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2021  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



[www.ghp.cag.gov.in](http://www.ghp.cag.gov.in)